खण्ड-187, अंक-10
शुक्रवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(13 सितम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३२८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असग़रअली खाँ, कुंवर
अहमद बख्श , श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधरजाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवी प्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुलाकीराम, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रकाश, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री

रामस्वरूप यादव, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण वंसल, श्री
लायर्कासिह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवीमहनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलिया-गाजीपुर सड़क के पिपराघाट पर टोंस नदी के पुल की निर्माण योजना

**१--श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बलिया-गाजीपुर सड़क पर पिपराघाट (बलिया) पर टोंस नदी में पुल बनाने की कोई योजना है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--जी हां ।

श्री मान्धाता सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुल का कार्य कब शुरू होगा और कब तक बनेगा ?

श्री गिरधारी लाल--इस वर्ष इसकी शुरुआत होगी । अभी सर्वे वगैरह का काम बहुत जल्द शुरू किया जाने वाला है और उसके बाद करीब ३ वर्ष में बन जायगा ।

श्री मान्धाता सिंह--कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--यह उसका डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार हो जाने के बाद मालूम होगा, लेकिन अनुमानित लागत करीब १० लाख रुपया है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या पुल बनने के बाद उस पर उतराई ली जायगी ?

श्री गिरधारी लाल--हां, टैक्स लिया जायगा ।

जिला वाराणसी में ग्राम रामगढ़ को बाढ़-सहायता देने की प्रार्थना

**२--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के परगना बरह में ग्राम रामगढ़ को सरकार द्वारा बाढ़-ग्रस्त एरिया घोषित किया गया है ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--किसी ग्राम या क्षेत्र को बाढ़-ग्रस्त एरिया घोषित करने का न कोई कानून है और न कोई नियम । केवल कुछ जिलों को जिनमें बाढ़ बहुधा आती है १० हजार रुपया शुरू साल में दे दिया जाता है ताकि बाढ़ एरिया में काम फौरन शुरू किया जा सके और वाराणसी उन जिलों में से एक है ।

श्री लोकनाथ सिंह--माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जब वाराणसी जिला बहुधा बाढ़ आने वालों में से है तो मौजा रामगढ़ बाढ़-ग्रस्त एरिया है या नहीं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--वहां के अधिकारी उसका प्रबन्ध करते हैं, देखते हैं कि उस ग्राम में बाढ़ आई या नहीं । एरिया घोषित करने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

तारांकित प्रश्न

बैतालघाट डिस्पेंसरी, जिला नैनीताल में डाक्टर न होने की शिकायत

*१--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बैतालघाट डिस्पेन्सरी, जिला नैनीताल में पिछले एक वर्ष से कोई डाक्टर कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उप-मंत्री (डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी)--(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैतालघाट डिस्पेंसरी में डाक्टर कब भेजे गये ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)--अभी हम भेज रहे हैं। वहां भेजने के लिये कोई पहाड़ का डाक्टर ढूंढेंगे । मैदान का आदमी वहां रुकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप भेज रहे हैं तो यह जवाब कैसे आया कि "जी नहीं" ? "जी नहीं" का तो मतलब यह है कि वहां कोई डाक्टर कार्य कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--"जी नहीं" १ वर्ष से कम शायद ८ महीने हों जब से डाक्टर न हो। यह हो सकता है ।

श्री हुकुम सिंह बिसेन--यह बात गलत है कि साल भर से काम नहीं कर रहे हैं। ५,६ महीने से काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यह जवाब दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी को मालूम है कि वहां १ वर्ष से भी अधिक से डाक्टर काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--वहां डाक्टर अब पोस्ट कर दिया जायगा । जैसे ही कोई पहाड़ का आदमी मिल जायगा वैसे ही पोस्ट कर दिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी पहाड़ के आदमियों के लिये डाक्टरी की ट्रेनिंग का विशेष प्रबंध कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन--हां, पहाड़ के कुछ आदमी डाक्टर हैं ।

बैतालघाट, जिला नैनीताल में मिडवाइफ न होना

*२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिडवाइफ सेंटर, बैतालघाट, जिला नैनीताल में कोई मिडवाइफ नहीं भेजी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां । शिक्षित मिडवाइफों की अत्यधिक कमी के कारण बेतालघाट प्रसूति केन्द्र पर कोई मिडवाइफ की नियुक्ति अब तक नहीं की जा सकी है। जैसे ही शिक्षित मिडवाइफ उपलब्ध होंगी, उनमें से एक की नियुक्ति बैतालघाट प्रसूति केन्द्र पर कर दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शिक्षित मिडवाइफों की कमी केवल बैतालघाट डिस्पेंसरी के लिये ही है या प्रदेश के लिये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---प्रदेश भर के लिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सरकार क्या कोई ऐसी योजना बना रही है कि जिससे प्रदेश भर में मिडवाइफों की कमी दूर हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ट्रेनिंग के लिये सेंटर खोले गये हैं और ट्रेनिंग दी जा रही है।

बैतालघाट डिस्पेंसरी, जिला नैनीताल की इमारत

*३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि बैतालघाट डिस्पेंसरी, जिला नैनीताल की बिल्डिंग की दशा खराब है ? यदि हां, तो सरकार उसकी मरम्मत किये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---बिल्डिंग की दशा खराब नहीं है। १९५५ में ३०० रु० लगाकर मरम्मत कराई गई थी, इस वर्ष मरम्मत और पुताई जाड़े में होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास नैनीताल क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य की २ इंस्पैक्शन रिपोर्ट आई हैं जिनमें कहा गया है कि इमारत में दरारें आ गई हैं और किवाड़ों को कीड़ों ने काट दिया है और वे गिर चुके हैं और इमारत भी गिरने की दशा में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज के कार्यालय से उन रिपोर्टों को मंगा कर संबंधित कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सिविल सर्जन की रिपोर्ट हमारे पास आई है और उससे पता चलता है कि उसकी हालत खराब नहीं है। अभी फिर भी मरम्मत कर दी जायगी और ठीक हो जायगी ।

इलाहाबाद में शरणार्थियों की दुकानों को हटाने का सुझाव

*४---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह इलाहाबाद में आये हुये शरणार्थियों के लिये, जिनकी दुकानें मुहम्मद अली पार्क में बनी हैं, उनको हटा कर दूसरे स्थान पर बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी नहीं ।

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो शरणार्थियों के लिये मकान बनाये गये थे उनको बेचने या नीलाम करने पर वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वह बिकेंगे या नीलाम करवाये जायंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इलाहाबाद में शरणार्थियों के लिये बनाये गये मकानों का निस्तारण भारत सरकार खुद कर रही है और राज्य सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार ने जिस तरह से लखनऊ के अमीनाबाद पार्क से शरणार्थी दूकानों को हटाकर दूसरी जगह बनवाई है उसी तरह से इलाहाबाद में भी करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---फिलहाल कोई जरूरत नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मुहम्मदअली पार्क के आस-पास के नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि वे दूकानें वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाई जावें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब तक सेंट्रल गवर्नमेन्ट कंसट्रक्शन के लिये सैंक्शन नहीं करती है तब तक राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि कन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को इन दुकानों को हटाने के लिये लिखा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बात तो सही नहीं मालूम होती है ।

चीनी मिलों से सम्बंधित अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सों की कमी

*६---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार उत्तर प्रदेश के उन चीनी कारखानों के नाम बतायेगी जिन्होंने फैक्ट्री रूल्स की धारा ६७ के अनुसार अपने अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सों की व्यवस्था की है ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---ऐसे कारखानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३७ पर)

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतावेंगे कि इस प्रदेश की लगभग ७० चीनी मिलों में से केवल ३० की सूची मंत्री जी ने दी है जिनमें फैक्ट्री रूल्स की धारा ६७ क अनुसार कार्य हो रहा है, बाकी में इसका पालन न होने का क्या कारण है ? जिन्होंने पालन नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कदम उठाये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एक तो यह कारण है कि फैक्ट्री रूल्स में इनकी क्वालिफिकेशन निश्चित नहीं थी । सन् ५० में उसे निर्धारित करने की बात चली और लेबर विभाग के नोटीफिकेशन से ८ दिसम्बर, १९५५ को जाब्ते से क्वालिफिकेशन को फैक्ट्री रूल्स में रख दिया गया । दूसरी बात यह थी कि उस क्वालीफिकेशन की नर्स सब जगह नहीं मिलती हैं। जैसे जैसे उनके शिक्षण की व्यवस्था हो रही है वैसे वैसे ले रहे हैं। इसके मानी यह नहीं हैं कि बाकी चीनी मिलों में वे नहीं हैं।

तीसरी बात यह है कि हमने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी का जो रिजल्ट निकला उसके अनुसार ३० मिलों में ऐसा पाया गया । अभी कुछ मिलों के जवाब हमारे पास आये भी नहीं हैं ।

श्री मदन पांडेय---जिन मिलों में इस धारा का पालन नहीं हो रहा है वहां मजदूरों की व्यवस्था के लिये और कौन-सी दूसरी व्यवस्था है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने निवेदन किया कि ३० स्थानों पर तो क्वालीफाइड नसज हैं, बाकी जगहों पर भी हो सकती हैं।

चीनी मिलों में विश्राम गृहों की व्यवस्था

*७---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैक्ट्री रूल्स की धारा ६९ के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलों में विश्राम गृहों की व्यवस्था है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---५३ में ।

श्री मदन पांडेय---सरकार ने जिन ५३ मिलों के बारे में बतलाया है कि उन्होंने प्रबंध किय जाने की सूचना दी ह तो क्या उन में रूल के अनुसार जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये, वैसी है ? जो विश्रामगृह बनाये गये हैं वे मजदूरों और मिल की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---फैक्ट्री ऐक्ट के जो निश्चय हैं उनके अनुसार यह विश्रामगृह हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---जिन चीनी मिलों में विश्रामगृह नहीं हैं, क्या सरकार उनमें विश्रामगृह खुलवाने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। कई मिलों पर मुकदमा चलाया गया है, कइयों पर जुर्माने हुए हैं। कोशिश बराबर हो रही है कि सब जगह विश्रामगृह हों।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बतायेगी कि जिन मिलों ने बावजूद हिदायत के कंप्लायेंस नहीं किया है उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर में कदम तो उन्होंने बता दिया।

इटावा जिले की कथित कुक्कुटशालाएं

*८---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी कुक्कुट शालायें खोली गईं और उनमें कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई कुक्कुट शाला नहीं खोली गई। व्यय होने का प्रश्न नहीं उठता।

*९---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कुक्कुट शालायें खोली गईं वे सभी चल रही हैं या कुछ बन्द भी हो गईं ? यदि बन्द हो गईं तो इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न नहीं उठता।

*१०-११---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

अभिनवीकरण सम्बन्धी त्रिदलीय सम्मेलन रानीखेत के निश्चयों को लागू करना

*१२---श्री भगवती सिंह विशारद---क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि Rationalisation Committee की Report को लागू करने के सम्बन्ध में हाल में हुये त्रिदलीय सम्मेलन रानीखेत में क्या निश्चय हुये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अभिनवीकरण (Rationalisation) के प्रश्न पर भारतीय श्रम सम्मेलन के मत की प्रतीक्षा की जाय तथा उसके आधार पर इस रिपोर्ट पर विचार-विनिमय किया जाय।

*१३---श्री भगवती सिंह विशारद---क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निश्चयों को कब से कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस सम्बन्ध में भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय तथा सुझाव जो कि भारत सरकार से अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं, सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी उन सुझाव और निर्णयों को बताने की कृपा करेंगे जो उन्हें रेशनलाइजेशन के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--वे सुझाव तो बहुत से होंगे, आप मंत्री जी से मिलकर उसकी कापी ले लें। अगर एक दो सुझाव हों तो माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह बहुत हैं, लेकिन चूंकि अभी विचाराधीन भी हैं, इस लिये उनके बारे में कुछ कहना भी उचित नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन निश्चयों और निर्णयों में यह बात भी सम्मिलित है कि उद्योगपतियों को यह साबित करना होगा कि रेशनलाइजेशन योजना से देश और प्रदेश की आर्थिक योजना में लाभ होगा, उसके बाद ही रेशनलाइजेशन की योजना को लागू किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--भारतीय श्रम सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, उसमें यह निर्णय हुआ था कि रेशनलाइजेशन करने के पहले सरकार को इस पहलू पर संतुष्ट होना पड़ेगा कि उस रेशनलाइजेशन से उस उद्योग को और देश के आर्थिक ढांचे की आर्थिक हालत को बल मिलेगा या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या प्रदेशीय सरकार ने भी रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई निश्चय कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष--वह कह चुके हैं कि अंडर कंसीडरेशन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--भारत सरकार के सुझाव के बारे में उन्होंने कहा है। मैं पूछता हूं कि कानपुर के मसले पर जो विन्ध्यवासिनी रिपोर्ट है, उस पर विचार कर लिया गया है या नहीं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ?

शाप्स ऐण्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये मामले

*१४--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६ में कितने cases Shops and Commercial Establishment Act के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--९५७।

*१५--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उनमें से कितने मामलों में सजा हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--८८२।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बतायेगी कि ये केसेज जो रजिस्टर किये गये हैं, प्रदेश के किन शहरों में सबसे अधिक किये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसकी सूचना अलग-अलग मेरे पास नहीं है, इसलिये कह नहीं सकता कि किस शहर में सबसे ज्यादा है।

आजमगढ़ जिले में धान के बीज का वितरण

*१६--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १९५५-५६ व १९५६-५७ में धान के बीज के वितरण की व्यवस्था की गई थी और तकावी भी बीज की खरीद के निमित्त दी गई थी ? यदि हां, तो कुल कितना बीज किसानों को ऋण या सहायता-स्वरूप सरकार के बीज भंडारों व सहकारी बीज भंडारों द्वारा दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां । किसानों को ऋण या सहायता स्वरूप सरकार के बीज भंडारों तथा सहकारी बीज भंडारों द्वारा वितरित बीज का विवरण इस प्रकार है:

	मन	सेर	छटांक
१९५५-५६	४९८०	१६	१३
१९५६-५७	४२७३	२७	१
योग	९,२५४	३	१४

सरकारी बीज भंडारों तथा सहकारी बीज भंडारों द्वारा तकावी नहीं दी गई, किन्तु Collection Officer (कलेक्शन आफिसर) द्वारा १९५५-५६ में ३,९०,००० रु० तथा १९५६-५७ में ४,५०,००० रु० की तकावी (नकद सूद पर) किसानों को बीजों की खरीद के निमित्त दी गई ।

*१७--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ के चालू वर्ष में आजमगढ़ जिले में सरकार ने कितना धान का बीज या बीज के निमित्त कितनी तकावी बीज भंडारों द्वारा या अन्य प्रकार से दी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सन् १९५७-५८ के चालू वर्ष में आजमगढ़ जिले में सरकार ने कुल मिलाकर ४८३६ मन २८ सेर धान का बीज, बीज भंडारों द्वारा दिया, किन्तु बीज भंडारों द्वारा तकावी नहीं दी गई । इस चालू वर्ष में धान के बीज अन्य किसी प्रकार से नहीं बांटे गये, किन्तु कलेक्शन आफिसर द्वारा ५९,००० रु० की तकावी (नकद) सूद पर किसानों को बीजों के खरीद के निमित्त दी गई ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में धान के बीज का वितरण नहीं हुआ है और तकावी भी गत वर्ष की अपेक्षा बहुत कम दी गयी है, इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--कारण यह है जरूरत कम रही होगी ।

श्री मुक्तिनाथ राय--सरकार लोगों की मांग का पता किस प्रकार लगाती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--लोग अक्सर दरख्वास्तें देते हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या जिला अधिकारियों से भी इसकी रिपोर्ट मंगी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मांगी नहीं जाती है, जब वे देते हैं तो उसको रिसीव किया जाता है ।

*१८--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९-२०--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

स्वास्थ्य मंत्री कोष से मुजफ्फरनगर जिले में सहायता

*२१--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य मन्त्री कोष में गत वर्ष १९५६-५७ में कितनी धनराशि रक्खी गई थी और क्या उसम से कुछ धन वितरण से शष रह गया था ? यदि हां, तो कितना ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—९८,००० रु० की व्यवस्था की गई थी जिसमें से कुछ भी शेष नहीं रह गया था ।

*२२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त धन में से कितना धन मुजफ्फरनगर जिले के कितने रोगियों को दिया गया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—१०० रु० की धनराशि केवल एक रोगी को ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ९८,००० रुपये में से जैसा कि उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर तीसरे शुक्रवार को दिया था, ३३,८७० रुपया लखनउ में खर्च हुआ है, तो क्या भविष्य के लिये वे इस प्रकार की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दूसरे स्थानों के गरीब रोगियों को भी इस अनुदान से सहायता प्राप्त हो सके ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यह तो इत्तला नहीं मांग रहे हैं, हमको सुझाव दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—वे तो दूसरी जगह यानी मुजफ्फरनगर के लिये पूछ रहे हैं कि वहां आप देंगे कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जिलेवाइज नहीं होता, दरख्वास्तों पर होता है । अगर दरख्वास्त किसी जिले से नहीं आयी तो नहीं मिलेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुजफ्फरनगर के एक रोगी को १०० रुपया दिया गया है तो कितने प्रार्थना-पत्र मुजफ्फरनगर से रोगियों के उनको प्राप्त हुए थे और जिस रोगी को दिया गया है उसका नाम और उसका रोग बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—रोग तो डाक्टर बतला सकता है, लेकिन और बातों के लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस धन के अलावा डेढ़ लाख की और रकम भी मंत्री जी के विवेकानुदान के ऊपर है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—कुछ चीफ मिनिस्टर के फंड से भी रकम आती है ।

भिक्षा-वृत्ति का अन्त करने का सुझाव

*२३—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र ही प्रदेश की बढ़ती हुई भिखारियों की संख्या को देखते हुये भिक्षा-वृत्ति का अन्त करने के सम्बन्ध में कोई विधेयक सदन में लाने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं ।

*२४—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार प्रदेश की भिखारियों की संख्या के वर्तमान आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर—१९५१ की जनगणना के अनुसार प्रदेश में भिखारी व आवारा व्यक्तियों (Vagrants) की संख्या १,०२,७४९ थी ।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार को मालूम है कि भिखारी अक्सर कोढ़ रोग से ग्रसित होते हैं और उनसे इस रोग के फैलने की सम्भावना है ?

आचार्य जुगल किशोर—इस प्रश्न में उसका कोई जिक्र नहीं है और न इन रोगों का इस विभाग से सम्बन्ध है ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सरकार द्वारा जो यह भिक्षावृत्ति निरोध केन्द्र खोले गये हैं वह कहां-कहां और कितने खोले गये हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---सरकार की ओर से केवल हरिद्वार में ही एक केन्द्र खोला गया है। बाकी अन्य स्थानों में म्युनिसिपैलिटीज और गैर-सरकारी संस्थायें भी खोलने की कोशिश कर रही हैं और खोले भी गये हैं।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन केन्द्रों में भिखारियों को क्या-क्या शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है ?

आचार्य जुगल किशोर---जो केन्द्र सरकार की ओर से हरिद्वार में खोला गया है वहां पर सिलाई का काम, खिलौने बनाने का काम, पत्तल बनाने काम या जो काम वह कर सकते हैं सिखाया जाता है क्योंकि वहां पर विशेषकर वही व्यक्ति हैं जो कि अपाहिज हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---वह कारण क्या हैं कि जिनकी वजह से सरकार ने यह निश्चय किया ह कि कोई विधेयक इस सम्बन्ध में न लाया जाय ?

आचार्य जुगल किशोर---विधेयक लाने की आवश्यकता इसलिये नहीं समझी गई क्योंकि ऐक्ट बनने के बाद सरकार के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जिसे पूरा करने में वह अभी अपने को असमर्थ समझती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि म्युनिसिपल ऐक्ट में ऐसे संशोधन हो जायं कि जिससे म्युनिसिपैलिटीज जहां-जहां इस तरह के गृह खोलना चाहें वें खोल सकें और इस तरह की मुमानियत भिखारियों पर लगायें कि वे भिक्षा न मांगें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि कानपुर में जूही गोशाला में भी भिखारियों के लिये केन्द्र खोला गया है ? यदि हां, तो उसके लिये कितना रुपया दिया जाता है ?

आचार्य जुगल किशोर---जहां तक मुझे खयाल है इस तरह का कोई गृह वहां नहीं खोला गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने ऐसे म्युनिसिपल बोर्डों को, जो ऐसे भिखारी गृह खोलेंगे, कोई विशेष अनुदान देने की योजना बनाई है ?

श्री अध्यक्ष---अभी तो वह म्युनिसिपल ऐक्ट में कुछ संशोधन करने की बात ही कह रहे हैं, अभी तो वह कानून बना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हरिद्वार में भिखारियों का केन्द्र खोला गया है वह स्त्रियों के लिए है या पुरुषों के लिए अथवा दोनों के लिए ?

आचार्य जुगलकिशोर---दोनों के लिए है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो भिखारियों के आंकड़े दिये गये हैं उनमें सभी प्रकार के भिखारी हैं, और क्या उनके भी आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में ४३० हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---यह तो जन-गणना के समय पर, जन-गणना अधिकारियों ने अपने कुछ नियम बना कर इनकी गिनती की है। मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे तैयार किया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कोई भिखारियों का आश्रयगृह या इस सम्बन्ध की कोई संस्था निकट भविष्य में खोली जाने वाली है ?

आचार्य जुगल किशोर---जी, अभी कोई खोलने का विचार नहीं है।

*२५-२६—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कम होना

*२७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने रोजगार के दफ्तरों के कितने कर्मचारियों के महंगाई के भत्तों पर असर दफ्तरों के केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को हस्तान्तरित होने के कारण पड़ा है ? वह असर क्या है ?

आचार्य जुगल किशोर—रोजगार के दफ्तरों के केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को हस्तान्तरित होने से १३ रोजगार के दफ्तरों के १९६ कर्मचारियों के महंगाई भत्तों पर असर पड़ा है। भारत सरकार में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए यह अंतर पड़ा है।

*२८—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि रोजगार के दफ्तरों के हस्तान्तरित होने के कारण प्रदेश पर उनके वार्षिक व्यय का क्या भार पड़ा है ?

आचार्य जुगल किशोर—रोजगार के दफ्तरों के राज्य सरकार को हस्तान्तरित होने के कारण राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय का भार नहीं पड़ा है।

लेडी डाक्टरों की सिविल सर्जन के पद पर नियुक्ति की मांग

*२९—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में कोई ऐसा सरकारी आदेश (G. O) जारी किया गया है जिसके द्वारा लेडी डाक्टरों को सिविल सर्जन के पद पर भी नियुक्त किया जावेगा ? यदि हां, तो क्या कोई नियुक्ति उसके आधार पर की गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि "जी नहीं" से क्या मतलब है ? आदेश जारी नहीं किया गया या सिविल सर्जन के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—"जी नहीं" से मेरा मतलब "जी नहीं" से है।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या यह सही है कि सीनियर लेडी डाक्टरों को सिविल सर्जन न बना कर उन्हें सुपरसीड करके मेल जूनियर डाक्टरों को सिविल सर्जन बनाया जाता है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उनका कैडर अलग होता है, सिविल सर्जन का कैडर अलग होता ह। यह बात गलत है जो माननीय प्रश्नकर्ता ने बतायी।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि "जी नहीं" का क्या कारण है ?

श्री हुकम सिंह विसेन—सिविल सर्जन और वीमेन सेक्शन के पी० एम० एस० (वन) का कैडर अलहदा-अलहदा है। और उनको सिविल सर्जन के कैडर में लाने के लिये कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसीलिये मैंने "जी नहीं" कहा।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या यह सही है कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि लेडी डाक्टरों को भी सिविल सर्जन बनाया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी लेडी डाक्टर को यदि वह इस योग्य है तो भविष्य में सिविल सर्जन बनाया जा सके, इसके ऊपर वह विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---भविष्य की बात भविष्य में बतायी जा सकती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महिलाओं को सिविल सर्जन के कैडर में आने की कोई मुमानियत है या परीक्षा में बैठ कर और उस कैडर में आकर सिविल सर्जन हो सकती हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---मुमानियत नहीं, तो इजाजत भी नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लेडी डाक्टरों का अन्तिम प्रोमोशन का कैडर क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---नव पद के लिये सेलेक्शन ग्रेड, पांच सौ से बारह सौ तक का स्केल है।

धानापुर, जिला वाराणसी में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता

*३०---श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगा कि धानापुर, जिला वाराणसी में महिला चिकित्सालय कब से खुला है?

श्री हकुम सिंह विसेन---धानापुर, जिला वाराणसी में कोई महिला चिकित्सालय अभी तक नहीं खुला है।

चौबेपुर, जिला वाराणसी में अस्पताल के लिए इमारत खरीदने पर आपत्ति

*३१---श्री लोकनाथ सिंह---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौबेपुर अस्पताल, जिला वाराणसी के भवन निर्माण की नींव श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने कितने वर्ष पूर्व डाली थी ?

डाक्टर जगवाहरलाल रोहतगी---१८ अक्तूबर, १९३७ को।

*३२---श्री लोकनाथ सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के चौबेपुर अस्पताल के भवन निर्माण में सामूहिक जुर्माने की रकम क्या है और सरकार अपनी ओर से क्या खर्च करने जा रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---सामूहिक चन्दे की रकम ८,००० रु० है जिससे एक भवन ६,०३७ रु० व ७५ नये पैसे में खरीदा जा चुका है। सरकार का अपनी ओर से कुछ खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३३---श्री लोकनाथ सिंह---क्या यह सही है कि वाराणसी जिले के चौबेपुर अस्पताल की धनराशि जो सामूहिक जुर्माने की है उक्त अस्पताल के भवन निर्माण में न लगा कर चौबेपुर बाजार से २ मील उत्तर एक भयानक स्थान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था का एक जमींदार का बंगला खरीद रही है ? यदि हां, तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---भवन खरीदा जा चुका है, क्योंकि सिविल सर्जन, वाराणसी ने उक्त भवन को औषधालय के लिये उपयुक्त समझा है।

श्री लोकनाथ सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस स्थान पर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने १९३७ में नींव डाली थी औषधालय भवन के निर्माण के लिये वह बन चुका है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी नहीं। उसके बाद राय बदल दी गई कि वहां बिल्डिग बनायी न जाय और एक बिल्डिग खरीदी जायगी जो खरीदी जा चुकी है।

श्री लोकनाथ सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ८ हजार रुपया जो सामूहिक जुर्माने की रकम उक्त औषधालय भवन के निर्माण के लिये सन् १९४२ में दी गयी थी उक्त रकम में से ६,०३७ रुपये ७५ नये पैसे की जमींदार की पुरानी छावनी खरीदी गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---बिल्डिंग खरीदी गयी। अब भूमिधर था या जमींदार था, मैं नहीं जानता।

श्री गंगाप्रसाद---जो छावनी खरीदी गयी है और जिसकी नींव रखी गयी थी उससे यह छावनी कितनी दूर है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्न ३३ में जो कहा गया है कि जहां भवन खरीदा गया है वह स्थान भयानक है और वह भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। क्या ये दोनों बातें सही हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---सम्भवतः ये सही नहीं हैं।

श्री लोकनाथ सिंह---मैं उसी क्षेत्र से प्रतिनिधि हूं। क्या मंत्री महोदय को अपने प्रतिनिधि पर विश्वास है ? अगर है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किसी इंजीनियर द्वारा इसकी जांच करायेंगे कि नीचे की नींव से ३ फीट तक की दीवाल नौना लग कर गिर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह तो मैं नहीं कह सकता कि विश्वास नहीं है।

श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस स्थान पर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने नींव डाली थी उस स्थान पर भवन निर्माण क्यों अनुपयुक्त समझा गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---बनारस के डी० एम० ने यह तजवीज किया था कि दूसरा मकान खरीद लिया जाय, इमारत न बने। सम्भवतः डी० एम० थे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जो भवन खरीदा गया है वह तमाम सरकार के ही पैसे से खरीदा गया है अथवा कलेक्टिव सब्स्क्रिप्शन का भी उसमें धन लगा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जवाब में है चंदे का पैसा है।

झांसी जिले में नवीन अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*३४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एलोपैथिक के कितने अस्पताल किन-किन स्थानों पर खोलने का निश्चय है ? उनमें स्त्रियों के कितने अस्पताल किन-किन स्थानों पर खुलेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---निश्चय नहीं हुआ है।

*३५—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*३६-३७—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में एलोपैथिक डिस्पेंसरीज खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*३८—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी एलोपैथिक डिस्पेन्सरी बनेंगी और कहां-कहां ?

*३९—उपर्युक्त डिस्पेंसरियों में किस डिस्पेंसरी को प्राथमिकता दी गई है ?

*४०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राथमिकता प्राप्त डिस्पेंसरी पर कब से काम आरम्भ होगा ?

श्री हुकुम सिंह चिसेन—यह अभी निश्चय नहीं हुआ है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के स्थायीकरण का मामला

*४१—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को जो कि लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अस्थायी है, कब तक स्थायी करने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सरकार इस विषय पर अगले वर्ष विचार करेगी।

श्री भूपकिशोर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह चिसेन—इस साल पैसे की गुंजायश कम मालूम होती है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह कालेज द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है ?

श्री हुकुम सिंह चिसेन—जहां तक मुझे याद है, शामिल है।

*४२—श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४—श्री सुरय बहादुर शाह (जिला खीरी)—[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गन्ना मिलों के गन्दे पानी के प्रयोग के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशें

*४५—श्री महीलाल (जिला मुदाराबाद)—क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने गन्ना मिलों से निकलने वाले गन्दे पानी को नदियों में डालने से रोकने अथवा उसको साफ करके प्रयोग में लाने पर विचार करने के हेतु किसी कमेटी का निर्माण किया था जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

*४६—श्री महीलाल—यदि हां, तो क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(१) गंदे पानी को सिंचाई के काम में लाने के लिये न्यूनातिन्यून शुद्धता का मापदंड निश्चित किया।

(२) गंदे पानी को नदी अथवा किसी धारा में मिलाने के लिए न्यूनातिन्यून शुद्धता का मापदंड निश्चित किया।

(३) मापदंड के अनुसार काम लेने के लिये गवेषणागार की स्थापना तथा जब तक इस गवेषणागार की स्थापना न हो सके तब तक प्रान्तीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का उपयोग करना।

(४) गंदे पानी से सिंचाई के लिए भूमि कारखाने के निकट होनी चाहिये अन्यथा कारखाने पक्के नाले बनवायें। गंदे पानी से सिंचाई की जाने वाली भूमि के बारे में यह ध्यान रखा जाय कि कहीं गूथ पूल (cess pool) न बन जाये तथा भूमि को हल द्वारा समय-समय पर पलटा जाय ताकि फर्मेन्टेशन (fermentation) न हो सके और न पर्पटी (crust) ही पड़ सके।

(५) यू० पी० फैक्टरीज रूल्स, १९५० के नियम १८ में संशोधन जिससे कि कारखानों के मालिकों से गंदे पानी की सफाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करायी जा सके।

श्री महीलाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी कब बैठाई गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट कब दी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस कमेटी की सिफारिश सरकार के सामने सन् ५३ तक आ गई थी।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा कि उत्तर में बताया गया है फैक्ट्री ऐक्ट के रूल में संशोधन करवाया गया है तथा जहां-जहां सम्भव हो सका पक्के नाले बनवाने वगैरह का काम करवाया गया है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन फैक्ट्रीज ने अभी तक इन सिफारिशों में से कोई सिफारिश नहीं मानी उन फैक्ट्रीज के खिलाफ यू० पी० फैक्ट्रीज रूल्स, १९५० के रूल १८ के संशोधन के मुताबिक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, यह काम ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन इन्वाल्व्ड हैं और अभी तक यह कहना कि इतनी ही शुद्धता या इस प्रकार की न्यूनतम शुद्धता होनी चाहिए वह भी पूर्णरूपेण कार्यरूप में सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी बातचीत कर के और फैक्ट्रियों को समझा बुझाकर रास्ते पर लाने की कोशिश की गई है कि वह इन कामों को कर सकें। वित्तीय खर्च इसमें बहुत ज्यादा है इसलिये एकदम से उनके ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जा सकता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—कितनी मिलें हैं जिन्होंने इन सुझावों को अब तक नहीं माना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह कहना तो मुश्किल है, श्रीमन्, कि ये जितनी भी बातें हैं सब को किसी ने मान लिया है। शायद ही किसी भी मिल ने सब चीजें एबसोल्यूट स्टैंडर्ड की कायम कर दी हों। ऐसी निश्चित सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन मिलों के नजदीक कोई नदी या नाले नहीं हैं और उनका पानी मीलों तक तालाब की शकल में जाता है उनके मुताल्लिक इस कमेटी ने कोई सिफारिश की है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, जहां तक उन स्थानों का सवाल है वहीं के सम्बन्ध में तो चौथी सिफारिश कमेटी की लागू होती है। पक्के नाले बनाकर काफी दूर तक उसे ले जाया जाता है और आशा की जाती है कि जिन खेतों में वह उसको ले जाकर छोड़ेंगे उनके बराबर वह उलटा-पलटा करेंगे जिससे कि क्रस्ट न जमने पावे। इस बात की देखरेख वह रखेंगे।

एसोसियेटेड-जर्नल्स के मजदूरों की कथित मुअत्तली

*४७---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एसोशियेटेड-जर्नल्स में तीन महीने ४७-४८ से लगभग ५० प्रेस मजदूर मुअत्तल किये गये हैं?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं।

*४८---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार इसके कारणों पर सदन में पूर्ण प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

आचार्य जुगल किशोर---प्रश्न नहीं उठता।

*४९-५१---श्री गनेशीलाल चौधरी---[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बीसलपुर, जिला पीलीभीत में महिला अस्पताल खोलने पर विचार

*५२---श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बीसलपुर, जिला पीलीभीत में सरकारी महिला अस्पताल खोलने की कोई योजना है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इस स्थान पर अन्य स्थानों के साथ विचार किया जायगा।

श्री बिहारीलाल---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह इस स्थान पर कब तक विचार करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब जल्द ही होगा।

दोहरीघाट (आजमगढ़) में अस्पताल के निर्माण-कार्य का स्थगन

*५३---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट (आजमगढ़) में अस्पताल निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---धनाभाव के कारण यह निर्माण-कार्य स्थगित हो गया है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति न मिलना

*५४—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मेडिकल कालेज खोलने के लिये अपनी सहमति दे दी है? यदि हां, तो उसके कब तक खुलने की आशा है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं।

श्री अनन्तराम वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति सरकार ने क्यों नहीं दी?

श्री हुकुम सिंह चिसेन—हमारे उनके दर्मियान में कुछ बातें हो रही हैं, कुछ शरायत राज्य सरकार की तरफ से हैं। जब तक वे उन शरायत को पूरा नहीं करेंगे तब तक स्वीकृति कैसे दी जा सकती है?

*५५-५६—श्री मदनगोपाल वैद्य—[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन कल्याण विभाग के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की मांग

*५८—श्री रामदास आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वेतन पाने वाले प्राइमरी स्कूलों के ट्रेण्ड और अन्ट्रेण्ड अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड क्या है? क्या सरकार उन ग्रेडों में वृद्धि करने का विचार रखती है?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—(अ)

(१) प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक का वेतन क्रम ४०-१-४५-द० रो०-१-५०-इ० रो०-१-५५ रु० है।

(२) प्रशिक्षित अध्यापक का वेतन-क्रम ३५-१-४०-इ० रो०-१-४५-द० रो०-१-५० रु० है।

(३) अप्रशिक्षित अध्यापक का वेतन-क्रम २०-१-२५ रु० है।

(ब) जी नहीं।

श्री रामदास आर्य—क्या सरकार को मालूम है कि इन स्कूलों के पास जो नगरपालिकाओं और जिला बोर्ड्स के स्कूल हैं उनमें इनसे ज्यादा वेतन मिलता है जिसके कारण इन स्कूलों में अध्यापक महोदय नहीं आते?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो सही है कि जो नगरपालिकाओं और जिला बोर्ड्स के स्कूल हैं उनके यहां अध्यापकों के वेतन कुछ ज्यादा हैं, लेकिन यह स्कूल शासन के नहीं हैं। कहीं-कहीं जिला बोर्ड ने और कहीं-कहीं प्राइवेट संस्थाओं ने खोल रक्खे हैं। सरकार उनको अनुदान देती है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि मास्टर नहीं आते हैं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी के पास इन स्कूलों के मैनेजर्स की तरफ से कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आया था जिसमें प्रार्थना की गई है कि इस वेतन के अन्तर को मिटा दिया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि वेतन के बारे में मैनेजर्स से सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र आये, लेकिन वेतन बढ़ाने के लिये तो सरकार के पास आवेदन-पत्र आया ही करते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ९५ रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में ५ रुपय की वृद्धि करने का बजट में सरकार ने आश्वासन दिया है, उससे ये अध्यापक भी फायदा उठायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--वैसे तो जैसी अभी स्थिति है उसमें वे ५ रुपये पाने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन सुझाव शासन के विचाराधीन है कि ये ५ रुपये उनको दिये जायं ।

*५९-६०--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६१--श्री बादाम सिंह--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२-६३--श्री जंगबहादुर वर्मा--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

टी० बी० हास्पिटल बस्ती की खेती योग्य भूमि का लगान

*६४--श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टी० बी० हास्पिटल, बस्ती के कब्जे में कितने एकड़ जमीन में खेती होती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--३ बीघा १२ बिस्वा और ८ धूर ।

*६५--श्री सोहनलाल धुसिया--वह जमीन जिन लोगों से ली गई है क्या उसका लगान अब भी वे ही दे रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां ।

श्री सोहनलाल धुसिया--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि यह क्रम कब तक चलता रहेगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--कम्पेन्सशन स्टेटमेंट बन रहा है । जैसे ही बन जायगा वैसे ही यह क्रम बन्द हो जायगा ।

श्री सोहनलाल धुसिया--मेरा प्रश्न यह है कि जिससे जमीन ले ली गई उसी से उस जमीन का लगान कब तक लिया जायगा और क्यों लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--कब तक लिया जायगा यह तो बता दिया गया, क्यों लिया जायगा यह बता दिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह विसेन--यह वापस किया जायगा । लिया नहीं जायगा ।

श्री सोहनलाल धुसिया--जिन आफिसर्स के द्वारा ऐसी गलती से या बेकायदगी से हुआ, क्या उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--कम्पेन्सेशन एवार्ड अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही फाइनल हो जायगा...

श्री अध्यक्ष--सवाल यह है कि कार्यवाही लीगल हुई है या गैर कानूनी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--यह तो वकील ही राय दे सकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जमीन लेने पर कम्पेन्सेशन तो कम्पेन्सेशन्स एवार्ड तैयार हो जाने पर दिया जायगा, लेकिन जो जमीन ले ली गई उसके लिये उनसे मालगुजारी और लगान क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने कह दिया कि यह लगान जो लिया जा रहा है वह वापस किया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जमीनें काश्तकारों से कब ली गई थीं और कितने दिनों से वह फसल नहीं बो पा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--लगभग १९५५ के आखिर में ली गयी थीं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको मुआविजा दिया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब दिया गया है कि अभी उसका निर्णय नहीं हुआ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि माल मंत्री जी ने कहा है कि जो लगान वसूल कर लिया जाता है, वह इल्लीगल हो तब भी वापस नहीं होता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--ऐसा तो नहीं कहा होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो १९५५ में जमीनें ले ली गई हैं और उनका चार फसलों का नुकसान हो जायगा तो क्या मुआवजा देते समय फसलों का भी नुकसान दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--यह तो कम्पेंसेशन आफिसर तय करेगा। जुडीशियल प्रोसीडिंग्स में मैं दखल नहीं दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो किसानों को रिफंड किया जायगा वह रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक किया जायगा या किसी दूसरे मैनुअल के मुताबिक किया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--कोई कायदा होगा उसके हिसाब से होगा।

*६६-६७--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ जिले में खोले गये चिकित्सालय तथा प्रसूतिका गृह

*६९--श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में सन् १९५२ से १९५७ तक कितने चिकित्सालय और प्रसूतिका गृह खोले गये हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--३ चिकित्सालय और ८ प्रसूतिका गृह।

श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये हैं, और सरकारी इमारत में हैं या किराये की इमारत में हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह चिकित्सालय गोविन्दपुर, पिलखुआ और बिनौली में खोले गये हैं। सरकारी इमारत में हैं या किराये की इमारत में इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह तीन अस्पताल जो खोले गये हैं वह जनसंख्या के आधार पर हैं या किसी और आधार पर हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सारे सूबे की स्थिति को देखकर खोले थे।

*७०--श्री हरदयाल सिंह बिसेन (जिला अलीगढ़)--[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७१--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२--श्री रामाश्रय राय (जिला देवरिया)--[१७ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

ग्रामों के सुरक्षार्थ मलिहाबाद म कारखाना स्थापित करने का सुझाव

*७३--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में जिस प्रकार का एक ग्रामों का कारखाना स्थापित किया जा रहा है उसी प्रकार का एक कारखाना मलिहाबाद में भी स्थापित किया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन--जी नहीं ।

महामारियों की रोक-थाम के उपाय

*७४--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य क किस जिल में कितनी मौतें पिछले ६ महीने के भीतर प्लेग, चेचक, मलेरिया तथा अतिसार (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) के द्वारा हुई हैं और इन जिलों में क्या एहतियाती कार्यवाही की गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--१--प्लेग--बीमारी की सूचना सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुई। केवल एक मृत्यु सुल्तानपुर जिले में हुई। अन्य जिले बीमारी से मुक्त रहे। बीमारी को रोकने के लिये ४५,७०१ टीके लगाये गये और डी० डी० टी० का छिड़काव रोगग्रस्त क्षेत्रों में किया गया। विस्तृत सूचना जिलेवार सूची में दी हुई है।

२--चेचक--संलग्न जिले वार सूची में इस बीमारी से मृतकों के आंकड़े दिये हुये हैं। बीमारी की रोक-थाम के लिये लोगों को टीके सारे प्रदेश में लगाये गये और संक्रामक रोग के अस्पतालों में पूर्ण प्रबन्ध किया गया। संक्रमित घरों का निःसंक्रमीकरण किया गया।

३- हैजा और अतिसार- मौतों और टीकों के आंकड़े संलग्न सूची में दिये गये हैं। उसकी रोक के लिये टीके बहुत तादाद में लगाये गये, मुख्य मेलों में जाने के लिये टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया गया और रोग-ग्रसित घरों का निःसंक्रमीकरण किया गया।

४--मलेरिया--इस बीमारी में कितनी मौतें हुई इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कारण यही है कि मलेरिया से सम्बन्धित आंकड़े साप्ताहिक महामारियों की रिपोर्ट में नहीं रहते, क्योंकि मलेरिया को एपीडेमिक नहीं माना जाता। यह बीमारी हमारे प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में साल भर रहती थी। पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में मलेरिया का निरोधक कार्य जोरों से किया गया जिसमें W. H. O., U. N. I. C. E. F. और भारत सरकार से काफी सहयोग और सहायता मिली। इस समय इस प्रदेश के ३५ जिलों में National Malaria Control Programme units प्रशिक्षित डाक्टरों के अधीन कार्य कर रही है और इससे इस प्रदेश में दो करोड़ निवासियों को लाभ हो रहा है। मुख्य काम यह है कि क्षेत्रों में डी० डी० टी० का छिड़काव साल में दो बार किया जाता है और मलेरिया निरोधक दवाएं भी जैसे क्लोन आदि के अतिरिक्त Avloclor भी बांटी जाती हैं। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में यह हमारी एक मुख्य स्कीम है और इसके लिये ११४ लाख रुपया रखा गया है जिसमें से २२ लाख रुपया इस वर्ष के आय-व्ययक में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३८-८३९ पर ।)

श्री लक्ष्मणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस की बीमारी के इलाज के भी कोई टीके होते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसके लिए नोटिस चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश में जो मलेरिया के मच्छर हैं उन्होंने अपने को डी० डी० टी० से इम्यून कर लिया है और इसलिये गैमेक्सीन से छिड़काव कराने की जरूरत है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---सरकार को यह नहीं मालूम है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार को मालूम है कि जब प्रदेश में मलेरिया से हर साल हजारों नहीं बीसों हजार मौतें होती हैं तो उसके आंकड़े क्यों नहीं रखे जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसकी वजह जवाब में बता दी गयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास मलेरिया कंट्रोल यूनिट ने कोई रिपोर्ट भेजी है कि डी० डी० टी० में जो क्लोरीन के मिक्सचर का परसेंटेज है वह बहुत कम है उसको बढ़ाया जाय ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस की बीमारी अब भी चालू है और किन-किन जिलों में है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अब बहुत कम हो गयी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मलेरिया महामारी की टेक्निकल परिभाषा में नहीं आती है, लेकिन चूंकि उससे इतनी ज्यादा मौतें होती हैं इसलिये सरकार उसके आंकड़े रखने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---हम मौत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं ।

बुलन्दशहर, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों से पंजाब सरकार के लिये गेहूं के बीज का क्रय

*७५---श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई व जून, १९५७ के महीने में ३३ हजार मन गेहूं बीज के लिये जिला बुलन्दशहर, मेरठ व सहारनपुर से पंजाब सरकार के लिये खरीदा गया ? अगर हां, तो किसके द्वारा खरीदा गया और किस रेट से खरीदा गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री हिम्मत सिंह---क्या मंत्री जी सूचना एकत्रित हो जाने पर सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये तो एक दफा जवाब दिया जा चुका है कि सदन की मेज पर सूचना रखी जायगी ।

प्रदेश में १०० एकड़ से अधिक रकबे के व्यक्तिगत कृषि फार्म

*७६---स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १०० एकड़ से अधिक रकबे के व्यक्तिगत कृषि फार्म कितने हैं, कहां-कहां हैं और उनका कुल रकबा कितना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---कितना समय और लगेगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---काफी वक्त लगेगा ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---समय की अवधि बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---असम्भव है।

सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व का अभाव

*७७---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीटचूट की एक्जीक्युटिव कौंसिल में उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधि कौन है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---कोई नहीं।

सरकारी डेरियों का आय-व्यय

*७८---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी सरकारी डेरियां हैं और कहां-कहां ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---प्रदेश में कोई पूर्णरूपेण सरकारी डेरी नहीं है बल्कि १४ फार्म हैं जहां पशु विकास, पशु प्रजनन, पशु सम्बन्धों शिक्षा तथा अन्य कार्य के साथ-साथ डेरियां भी हैं। इस प्रकार की डेरियां निम्नलिखित स्थानों पर हैं :---

(१) सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़।
(२) राजकीय पशुधन क्षेत्र, चक गंजरिया, लखनऊ।
(३) पशु प्रजनन तथा दुग्धशाला क्षेत्र, कालसी, देहरादून।
(४) डिस्ट्रिक्ट डेरी डिमांस्ट्रेशन फार्म, मथुरा।
(५) यांत्रिक कृषि क्षेत्र, बाबूगढ़, मेरठ।
(६) ,, ,, ,, हस्तिनापुर, मेरठ।
(७) ,, ,, ,, भरारी, झांसी।
(८) ,, ,, ,, सैदपुर, झांसी।
(९) ,, ,, ,, मंझरा, लखीमपुर खीरी।
(१०) ,, ,, ,, नीलगांव, सीतापुर।
(११) ,, ,, ,, आराजी लाईन, वाराणसी।
(१२) ,, ,, ,, माधुरीकुंड, मथुरा।
(१३) तराई स्टेट फार्म, नगला, नैनीताल।
(१४) यांत्रिक कृषि क्षेत्र, हेमपुर, नैनीताल।

*७९---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत दो वित्तीय वर्षों में अर्थात् १९५५-५६, १९५६-५७ में अलग-अलग सरकार का कुल कितना व्यय सरकारी डेरियों पर हुआ और अलग-अलग क्या आय हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---चूंकि प्रदेश में कोई पूर्णरूपेण डेरी नहीं है इसलिये उनका अलग-अलग आय तथा व्यय देना सम्भव नहीं है। जो सूचना उपलब्ध है वह संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४०-८४१ पर।)

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सारे फार्मों और डेरीज़ पर सरकार को प्रति वर्ष अत्यधिक हानि होने का क्या विशेष कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---कारण यह है कि इनको कार्मशियल लाइन पर नहीं किया जा रहा है। इनका काम डिमांस्ट्रेशन और डेवलपमेंट है और कैटिल वगैरह की ब्रीडिंग भी इनका काम है जिसमें हमको काफी रुपया खर्च करना पड़ता है। हमारी एक योजना है कि हम पंचायतों में अच्छे वीर्य के बुल सप्लाई करें। ४००, ५०० रुपये की कीमत के बुल लेकर या अपने यहां पैदा करके ५० रुपये की नामिनल प्राइस पर हम देते हैं और हम अच्छी नस्ल के बफैलोज़ भी एन० ई० एस० ब्लाक और कम्युनिटी प्रोजेक्ट में ३० रुपया सेक्योरिटी लेकर देते हैं। शर्त यह है कि पहला बच्चा वह सरकार को वापस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा खर्चा ज्यादा होता है। इन तमाम बातों के होते हुए यह मुश्किल मालूम होता है कि वह कार्मशियल लाइन पर चले और इसमें मुनाफा हो, लेकिन फिर भी हमने सोचा है, एस्टीमेट कमेटी का भी सुझाव था हमने एक फार्म तोड़ा भी है और अब अजसरेनौ आर्गनाइज कर रहे हैं, जिससे बेटर रिजल्ट उम्मीद किये जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जितने यह डेरी फार्म्स हैं उनमें कितने प्रजनन केन्द्र हैं और कितने केवल डेरी फार्म्स हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसकी तफसील बताने के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या सरकार यह बतायेगी कि महायुद्ध के समय में जितनी सरकारी डेरियां खोली गई थीं वह तोड़ दी गई हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह तो ग्रो मोर फूड कैम्पेन के सिलसिले में बहुत से फार्म खोले गये थे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सूची में उन्होंने दिया है कि ९,१० और ११ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले साढ़े ५ महीने हो जाने के बाद भी उनके आंकड़े या हिसाब न बनने का क्या विशेष कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---हिसाब किताब का काम बड़ा मुश्किल है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जहां-जहां पर डेरी थीं या फार्म थे, वहां अब डेरी के काम में शिथिलता आ गई है और वहां जूट औ गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---ऐसा तो नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें दिखाये गये नुकसान का कारण हिसाब को सही न रखना और उसको देरी से तैयार करना भी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी नहीं, ऐसा नहीं है।

कृषि विभाग में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*८०---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में कुल कितने क्लर्क तथा चपरासी हैं ? उनमें कितने हरिजन हैं तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---सूचना एकत्रित की जा रही है।

हरिजन टोला, बस्ती के हरिजनों को कुआं बनाने से रोकने की शिकायत

*८१--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या श्री रामलाल एम० एल० ए०, बस्ती ने इस संबंध में जिलाधीश को तारीख २१ मई, १९५७ को कोई आवेदन-पत्र दिया था कि नगरपालिका, बस्ती के अन्तर्गत वार्ड नं० ६ के ग्राम वेलवाडांडी में हरिजन टोला के अन्दर हरिजन वर्ग एक कुआं खुदवा कर कोठी बनवा रहे थे, जिसको वहां के भूतपूर्व ज़मींदार ने बलपूर्वक पटवा कर खेत बना लिया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--जिलाधीश, बस्ती के कार्यालय में ऐसे आवेदन-पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

मुख्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद प्रान्तीय रक्षक दल के कुछ कर्मचारियों को कार्य-मुक्ति का नोटिस देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री मदन पांडेय ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है कि :--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा में गत १३ अगस्त को मुख्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल का विघटन नहीं होगा बल्कि उनकी कार्य-सूची में समाज कल्याण संबंधी कुछ और कार्यों को जोड़ दिया जावेगा जिससे प्रदेश एवं इस सदन में संतोष प्रकट किया गया था। लोगों ने यह समझा कि जिन नौजवानों ने गत कई वर्षों से प्रदेश को अनुशासित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है उनकी बेकारी का प्रश्न सदा के लिये समाप्त हो गया। परन्तु गत २२ अगस्त को प्रांतीय रक्षक दल के सैकड़ों जोन वर्करों को उनकी सेवाओं की आवश्यकता समाप्त होने की सूचना दी गई है जिससे इन सैकड़ों घरों में बेकारी की भीषण समस्या रूपी काले बादल छा गये हैं तथा इस विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी आतंक छा गया है। इसके अतिरिक्त जनता में भी इन सजग प्रहरियों की बेकारी से क्षोभ उत्पन्न हो गया है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस गम्भीर एवं सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये यह सदन कार्य स्थगन करे।"

मैं समझता हूं कि यह २२ अगस्त की बात है जिसको आज लगभग ३ हफ्ते हो चुके हैं। यह एक रिसेंट आकरेंस का नोटिस नहीं मालूम होता है। इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि इसमें किसी भी आश्वासन के बाद माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री से पत्र-व्यवहार करके जानकारी हासिल नहीं की कि यह पुरानी नोटिस कैंसिल हुई है या नहीं। इसलिये यह एक बहुत अनिश्चित बात है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, उनको नोटिस मिल गया है जिनके लिये यहां पर आश्वासन दिया गया था।

श्री अध्यक्ष--आप उनको लिखें और उसके ऊपर कोई जवाब आये या कोई इसके विरुद्ध जवाब मिले तब ऐसी चीज़ पैदा हो सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--उनको अभी नोटिस मिली है।

श्री अध्यक्ष--आप उनसे बात कर सकते हैं, चिट्ठी लिख कर पूछ सकते हैं कि यह वाकया सही है या नहीं। इसके बारे में जवाब आने पर यह प्रश्न उठ सकता है।

मुरादाबाद जिले में बाढ़ से भयंकर स्थिति पैदा होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामकुमार वैद्य का है जिसमें वह कहते हैं कि "मुरादाबाद जिले की अमरोहा तहसील के पश्चिमी दक्षिणी एवं हसनपुर तहसील के कुछ भागों में गत ३,४ दिन से भयंकर बाढ़ आई हुई है जिससे अमरोहा तहसील के २० गांव जलमग्न हो गये हैं तथा खड़ी हुई फसलें सम्पूर्ण नष्ट हो गई हैं एवं इन ग्रामों के निवासियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। अतः यह सदन उक्त निश्चित तथा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह भी ऐसा ही प्रश्न है जिसके ऊपर आम बहस हो चुकी है। अब रोज ही पानी बरसेगा और कुछ गांवों में पानी भरेगा। उसके लिये कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखने के पूर्व सरकार से पूछना चाहिये कि सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि सरकार ने कुछ कार्य नहीं किया। केवल आपने यह लिख दिया कि आपको यह खबर मिली। मैं समझता हूं पहले यह कार्यवाही हो जानी चाहिये। यदि कोई कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं हुई हो तब वह महत्व का प्रश्न हो जाता है। ऐसी दशा में मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं केवल यह सूचना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि सोमवार को शायद सदन की बैठक नहीं होगी तो क्या यह सही है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जी हां, सोमवार को चेहल्लुम है, इसलिये उस रोज बैठक नहीं होगी। उसकी वजह जनाब की इजाजत से मैं खुद ही अर्ज करने वाला था। जो बिजनेस १६, १७ तारीख के लिये था वह अब नहीं होगा। तो १७ और १८ तारीख को नान-आफिशल बिजनेस हो जाय, अगर हाउस मंजूर करे और उसके बाद जो अगले दिन आयेंगे उसमें जो बिल सेलेक्ट कमेटी को गया हुआ है वह १९ और २० तारीख को हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---आपने १९ तारीख को आखिरी दिन बताया था यानी हाउस उस दिन उठ जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पहले यह पोजीशन थी क्योंकि पहले यह समझा जा रहा था, छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक कि चेहल्लुम की छुट्टी १५ तरीख को होगी लेकिन अब चांद के अदल-बदल से चेहल्लुम की छुट्टी १६ तारीख को कर दी गई है। उसकी वजह से एक दिन का फर्क आकर पड़ता है और इसलिये २० तरीख का दिन इस दिन (छुट्टी) के बदले और शामिल करना होगा।

जो मैंने अर्ज किया उसके सिलसिले में अगर जरूरत हो तो शाम को ५ बजे के बाद मैं रेजोल्यूशन पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष---किस के बारे में?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह कि १७ और १८ तारीख को नान-आफिशल बिजनेस हो जाय और १९ और २० तारीख को बिल के ऊपर बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस पर कोई खास मोशन लाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को आपत्ति न हो। इसमें तो सिर्फ एक रोज बढ़ा है, इतना ही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली कब पेश हो रही ह ताकि अवधि के अन्दर संशोधन पेश किये जा सकें।

श्री अध्यक्ष---वह तो इसमें नहीं आती। मैं समझता हूं कि इस सेशन में वह नहीं आयेगी क्योंकि १९ और २० तारीख को तो जो बिल सेलेक्ट कमेटी को गया है वही लिया जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---१८ और १९ तरीख तो पहले से नान-आफिशल कार्य के लिये थी उसके बजाय १७ और १८ तारीख को नान-आफिशल हो जाय और १९ और २० तारीख को यह बिल हो जाय।

श्री अध्यक्ष---किसी को आपत्ति नहीं है, तो १७ और १८ तारीख को गैर-सरकारी कार्य होगा और १९ और २० को वह बिल हो जायगा जो कि कल प्रवर समिति को दिया गया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---२० तारीख को कौन सा दिन होगा ?

श्री अध्यक्ष---शुक्रवार होगा।

प्राक्कलन समिति में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---प्राक्कलन समिति में श्री रामनारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, सदस्य थे उन्होंने अपना त्याग-पत्र दिया और इस हेतु दिया कि जिस समिति में उपाध्यक्ष सदस्य रहते हैं, नियमों के अनुसार वही उसके सभापति होंगे और चूंकि इस समिति में उपाध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य सभापति होते रहे हैं इसलिये वे नहीं चाहते थे कि उपाध्यक्ष इस समिति के भी सभापति हों। इसीलिये उन्होंने इस्तीफा दिया और मैंने उसे मंजूर कर लिया। और जैसे पहले श्री नवल किशोर जी इसके अध्यक्ष रहे हैं वैसे ही अब भी वे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रहेंगे। एक स्थान जो रिक्त हो गया है वह श्री राम नारायण त्रिपाठी का है। उसकी पूर्ति के लिये--

नामांकन प्राप्त करने की तिथि	१७ तारीख, ३ बजे
सूक्ष्म परीक्षा	४ बजे, उसी दिन
नाम वापस लेने की तारीख	१८-९-५७, १ बजे तक है।

यदि आवश्यक हो तो चुनाव १९ तारीख को ११ से ३ बजे तक होगा।

इसके अलावा जो २५ सदस्य चुने गये हैं, उनके नामों की सूचना माननीय सदस्यों को लिखित भेज दी जायगी।

अब जितनी भी समितियों के सदस्यों और सभापतियों को मुझे नामजद करना था उन सब को मैंने कर दिया है। उनके नाम इस प्रकार से हैं--

आश्वासन समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---आश्वासन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगें---

१---श्री गंगाप्रसाद सिंह

२---श्री अनन्तराम वर्मा

३---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि

४---श्री झारखंडे राय

५—श्री मोतीलाल अवस्थी
६—श्री गयाबख्श सिंह
७—श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह
८—श्री रामसुन्दर पांडेय
९—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी
१०—श्री सुल्तान आलम खां
११—श्री धर्मदत्त वैद्य
१२—श्री अक्षयवर सिंह
१३—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल
१४—श्री गज्जूराम
१५—श्रीमती सज्जन देवी महनोत

इस समिति के सभापति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह होंगे।

याचिका समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—याचिका समिति के लिये निम्नलिखित सदस्यों को मैंने मनोनीत किया है—

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी
२—श्री सुदामा प्रसाद
३—श्री रघुराज सिंह
४—श्री उदय शंकर
५—श्री महीलाल

याचिका समिति के सभापति उपाध्यक्ष ही रहते हैं इसलिये श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम ही मैं इसके लिये मनोनीत करता हूं।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी
२—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य
३—डाक्टर सीताराम
४—श्री नारायणदत्त तिवारी
५—श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव
६—श्री असलम खां
७—कुमारी कमलकुमारी गोईंदी
८—श्री इरतजा हुसैन
९—श्री बेचनराम गुप्त
१०—श्री लालबहादुर सिंह

उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, इसके सभापति होंगे।

प्रतिनिहित विधायन समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—प्रतिनिहित विधायन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

१—श्री प्रताप सिंह ।
२—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ।
३—श्री द्वारका प्रसाद मित्तल ।
४—श्री बुलाकी राम ।
५—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल ।
६—श्री गनेशी लाल ।
७—श्री हरिश्चन्द्र सिंह ।
८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ।
९—श्री हिम्मत सिंह ।
१०—श्री भीखा लाल ।
११—डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा ।
१२—श्री महमूद अली खां ।
१३—श्री ब्रजभूषण शरण ।
१४—श्री मदन मोहन वर्मा ।
१५—श्री नेकराम शर्मा ।

इस समिति के सभापति पिछले वर्ष भी श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल थे, उन्हीं को मैं इस साल भी मनोनीत करता हूं ।

पुस्तकालय समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—पुस्तकालय समिति के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये हैं :—

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी ।
२—श्री कमलापति त्रिपाठी ।
३—श्री मंगला प्रसाद ।
४—श्री गोविन्द सहाय ।
५—श्री लक्ष्मणराव कदम ।
६—श्री मदन गोपाल वैद्य ।
७—श्री भगवती प्रसाद दुबे ।
८—श्री वीर सेन ।
९—श्री श्रीनाथ ।
१०—श्री नवल किशोर ।
११—श्रीमती चन्द्रावती ।
१२—डाक्टर बिशम्बर सिंह ।
१३—श्री लालताप्रसाद सोनकर ।
१४—आचार्य जगन्नाथ प्रसाद ।
१५—श्रीमती सावित्री श्याम ।
१६—श्री त्रिलोकी सिंह ।
१७—श्री विश्राम राय ।
१८—श्री छत्तरसिंह ।
१९—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद ।
२०—कुंवर शिव शंकर सिंह ।
२१—श्री मदन पांडेय ।
२२—श्री अहमद बख्श ।
२३—श्री चन्द्रसिंह रावत ।
२४—श्री चन्द्र जीत यादव ।
२५—श्री महावीर सिंह ।

इसके बारे में सुझाव था कि छोटी सी समिति बना ली जाय, लेकिन चूंकि अभी प्रक्रिया नियमावली में बहुत सी चीजें तय होना बाकी हैं, नियमावली में विचार होने के पश्चात् ही उनका निश्चित रूप हमारे सामने आयेगा, इस लिए अभी पूर्ववत पुस्तकालय कमेटी २५ सदस्यों की ही होगी। प्रक्रिया नियमावली के बदलने पर पुस्तकालय के नियमों पर भी विचार होगा। इन २५ सदस्यों में से ५ सदस्य काउन्सिल के और २० विधान सभा के हैं। इसके सभापति उपाध्यक्ष रहते हैं, वह उसी तरह से रहेंगे।

वर्तमान शासन प्रणाली की जांच करने के लिये कमीशन नियुक्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—अब इन संकल्पों पर विचार होगा, जो असरकारी दिनों के लिए हैं। श्री राम गोपाल गुप्त जी अपना संकल्प उपस्थित करें।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि समय का विभाजन कर दिया जाय कि कितना समय किस संकल्प के लिए होगा, क्योंकि ९ संकल्प हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई संकल्प समाप्त करना है तो सदन में दो तीन भाषण होने के बाद आप उसको समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्लोजर मूव कर दीजियेगा, सदन चाहेगा तो वह खत्म हो जायगा। तो यह तो सदन के हाथ में है कि अगर वह किसी प्रस्ताव पर बहुत समय लगाना नहीं चाहता या वह चाहे कि किसी प्रस्ताव पर ज्यादा बहस न हो तो आप एक प्रस्ताव पेश कर दें, फिर सदन की उस पर राय ली जायगी। और कोई बात नहीं है।

श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखिन संकल्प सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं :—

"यह सदन सरकार से प्रार्थना करता है कि वह एक कमीशन शीघ्र ही नियुक्त करे जो वर्तमान शासन प्रणाली (जिस में सचिवालय शासन भी सम्मिलित है) की जांच करे . . .

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस में के शब्द "प्रार्थना" को बदल दें, तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि सदन अपनी राय दे रहा है, कोई प्रार्थना करने का सवाल ही नहीं है। अब आप खुद सोच लें कि यह कितना उचित है। मैं ने अपनी राय बतला दी।

श्री रामगोपाल गुप्त—ठीक है, उसकी जगह मैं शब्द "मांग" कर देता हूं।

(इस समय १२ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

"यह सदन सरकार से मांग करता है कि वह एक कमीशन शीघ्र ही नियुक्त करे जो वर्तमान शासन प्रणाली (जिस में सचिवालय शासन भी सम्मिलित है) की जांच करे, सरकारी कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करे तथा इस सदन के सम्मुख तीन माह के अन्दर निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करे :—

(क) वर्तमान शासन प्रणाली में कौन-कौन सी त्रुटियां हैं।
(ख) अब तक जो सुधार किये गये हैं, उनसे क्या लाभ हुआ है।
(ग) शासन प्रणाली में किन-किन सुधारों की आवश्यकता है।
(घ) इन सुधारों से सरकारी आय-व्यय के ब्योरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा।"

अधिष्ठाता जी, मैंने जो यह संकल्प इस सदन के सामने उपस्थित किया है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है और मेरा ऐसा खयाल है कि सदन इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करेगा और जिन लोगों के जिम्मे शासन का भार है, वे इस सदन की राय को ध्यान में रखते हुए, और इस संकल्प की गरिमा को समझते हुए, इस पर विचार करेंगे।

श्रीमन्, शासन में सुधार करने का मसला एक ऐसा महत्वपूर्ण मसला है जिस पर सरकार का ध्यान समय-समय पर आकर्षित होता रहा है और उस में आवश्यक सुधार करने की चेष्टा भी की जाती रही है। किसी भी शासन की कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस में जनता का विश्वास हो और जनता यह समझे कि यह शासन-प्रणाली जनता के हित के लिए काम में लायी जा रही है। यदि शासन-प्रणाली का कार्य ऐसा है जिस में जनता का विश्वास नहीं है और जनता की राय उस में शामिल नहीं है तो वह शासन-प्रणाली जनता के लिए हितकर नहीं हो सकती है। उस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की चाहे जो कुछ राय हो, पर मेरा अपना ऐसा खयाल है कि यह शासन-प्रणाली जो आज तक हमारे देश में और विशेषकर हमारे प्रदेश में चालू है, वह ऐसी शासन-प्रणाली है जिसको विदेशी सत्ता ने एक पुलिस राज्य कायम करने के लिए स्थापित किया था, लेकिन जब से हमको स्वराज्य मिल गया है तब से हमने इस बात की कोशिश की है कि हम अपने देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। मेरी राय में, और मेरा ऐसा खयाल है कि सदस्यगण भी मेरी राय से सहमत होंगे कि वह शासन-प्रणाली जो कि आज है कल्याणकारी राज्य की ओर हमें नहीं ले जा रही है। इस लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस में आवश्यक सुधार किया जाय।

हमारी सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना चलायी और अब हमने दूसरी योजना का काम आरम्भ किया है और इन योजनाओं का काम उसी शासन प्रणाली के द्वारा कराया जा रहा है जो कि बहुत पुरानी है और मैं कहना चाहता हूं कि जो जनता से बहुत दूर हो गयी है। यदि जनता का विश्वास इस शासन प्रणाली की ओर न रहा तो मैं आप से कहता हूं कि हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। योजना के जो काम हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है उनके प्रति अगर जनता की यह भावना बनी रही कि ईमानदारी से काम हो रहा है, उत्साह से काम किया जा रहा है और देश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है तो हमें जनता का सहयोग प्राप्त होता चलेगा। मैं तो कहूंगा कि शासन प्रणाली के जो विभिन्न पहलू हैं, कोई भी पहलू या शाखा शासन प्रणाली की ऐसी नहीं है कि जिसकी ओर सदन में अनेक बार शिकायतें न की गयी हों और जिसका खंडन न किया गया हो। जो काम इस शासन प्रणाली के द्वारा किये जाते हैं जनता समझती है कि वह उसके हित के नहीं हैं। जनता का खयाल है कि पिछले ५-६ साल में जो विकास के काम हुये हैं वह ठीक तरह से नहीं किये गये और वे अगर ईमानदारी से, मन लगाकर और उत्साह के साथ किये गये होते, तो जितना रुपया व्यय हुआ है, और जितना श्रम उसमें लगा है उससे कहीं अधिक काम हुआ होता।

यह बात सही है और मैं उसको नहीं छिपा सकता हूं कि शासन के जो सूत्रधार हैं उनका ध्यान वक्तन-फवक्तन इस ओर गया है और उन्होंने शासन सुधार के सम्बन्ध में समय-समय पर कई कमेटियां भी बनायी हैं। मैं आप के द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे की सरकार ने सबसे पहले हमारे उस समय के वित्त सचिव श्री गोपालाकृष्णन् को शासन सुधार सम्बन्धी काम सुपुर्द किया था और उसके बाद श्री सुच्चासिंह खेरा के सुपुर्द भी इसी प्रकार का काम किया गया था और फिर यहां के पहले माननीय मुख्य मन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में भी एक कमेटी ने इस सिलसिले में जांच की थी और अब भी सदन के हर माननीय सदस्य को मालूम है कि श्री के० के० दास की इसी काम के लिए नियुक्ति की गयी है। मैं उन अफसरों या कमेटियों द्वारा की गयी सिफारिशों के ब्योरे में नहीं जाऊंगा, न और उन पर विचार कर के सदन का अधिक समय लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सदन के सभी माननीय सदस्य गम्भीरतापूर्वक विचार कर के अपने भाव व्यक्त करें।

बावजूद इसके कि सन् १९४७ के बाद से यह तमाम प्रयत्न इस दिशा में हुए हैं, मैं आप से ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आप के इरादे चाहे जितने अच्छे क्यों न हों पर जनता यह समझती है कि इस शासन प्रणाली की मशीनरी के द्वारा जब कोई योजना जनता के पास तक पहुंचती है तो उससे जनता के हित के बजाय अनहित ही होता है। जब जनता देखती है कि उनके द्वारा हमारा अनहित हो रहा है और शासन के सूत्रधार कहते हैं कि हम प्रदेश को कल्याणकारी राज्य की ओर लिये जा रहे हैं तो उसे निराशा सी होती है। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि काफी अविश्वास हमारे ऊपर जनता का हो रहा है। चाहे हम इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, हम सबको इस बात का अनुभव है कि हमें आज जनता ने इसलिए भेजा है कि चाहे आपस में हम कितनी ही आलोचना और प्रत्यालोचना क्यों न करें, हमारा सब का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ायें, और यहां ऐसी व्यवस्था कायम हो कि जिस से इस प्रदेश की जनता का लाभ हो।

आज जनता का ऐसा खयाल होता जाता है कि इस शासन प्रणाली से हमारा लाभ नहीं होने वाला है। हम अपने यहां छोटे-छोटे मसलों पर कमीशन और कमेटियां बिठाते हैं तो इतने बड़े मसले पर कि जिसमें सारे प्रदेश के उत्थान का प्रश्न निहित है, जो एक बुनियादी सवाल है उस पर आज तक हमने कोई भी पब्लिक इन्क्वायरी या कमेटी नहीं नियुक्त की। इसके लिए हम उन्हीं आदमियों को इन्क्वायरी सौंप देते हैं जो कि उसी पुरानी मशीनरी के एक अंग थे, जिनको जनता की बहबूदी और भलाई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जिन आदमियों का नाम यहां पर लिया, मैं उनके सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह बहुत ही नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि उनका जनता से कोई सम्पर्क नहीं है। वह उस तबके के अफसर

[श्री रामगोपाल गुप्त]

हैं जो जनता की अच्छी भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं। उसी का यह नतीजा है, अधिष्ठाता महोदय, कि आज हम ने ऐन्टी करप्शन के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट नियुक्त कर दिये, लेकिन आप को सुन कर आश्चर्य होगा और मैं यह समझता हूं कि यह बात ऐसी है कि आज हमको और आप को चाहे इधर के हों या उधर के, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी आन की बात को छोड़ कर, इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज पुलिस का आदमी, दीवान, दारोगा यह कहता है कि पहले हम १० रुपये रिश्वत लेते थे, अब १५ रुपये लेते हैं और ५ रुपये डिप्टी साहब के लिए लेते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम यह नहीं कहते कि शासन के किसी उच्चाधिकारी की यह मंशा है कि ऐन्टी करप्शन के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट रिश्वत लें, लेकिन चूंकि आप यह देखते नहीं हैं कि ऐसा हो रहा है, इन पदों पर उन आदमियों को तरक्कियां दी गयी हैं जिन सब-इन्स्पेक्टरों के खिलाफ रिश्वत की काफी शिकायतें थीं, उनको ऐन्टी करप्शन का डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट बना दिया गया।

मैं आप को अपनी बीती बता दूं। एक बार मेरे जिले का एक सब-इन्स्पेक्टर जो मेरे जिले में रिश्वत लेने के लिए बहुत बदनाम था, उसको ऐन्टी करप्शन का डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट बना दिया गया था। जब वह मुझे मिला और मैंने यह कहा कि आप क्या हो गये? बोले, मैं ऐन्टी करप्शन का सुपरिन्टेंडेंट हो गया हूं। मैं ने कहा क्या तुम ठीक हो गये, अपने आप को बदल दिया है? उन्होंने कहा कि हां, मैंने अपने आप को बदल दिया है। जिस आदमी को बागबानी की जिम्मेदारी दी जाय वही बाग खा जाय, तो कैसे काम चल सकता है? किसी की यह मंशा नहीं है कि यह परेशानियां पैदा हों, लेकिन पब्लिक की निगाहों से हम इन बातों को देखने की कोशिश नहीं करते, इस वजह से गड़बड़ी पैदा हो गयी है।

आज यह समय आ गया है, जब हम इधर वाले या उधर वाले इस बात पर विचार करें कि जिस समय से हम शासन का सुधार कर रहे हैं उसमें जनता की आवाज शामिल है या नहीं, जनता किस तरह का शासन चाहती है। हम आज कहते हैं कि हम ऐसी शासन प्रणाली बनाना चाहते हैं जो जनता के लिए और जनता की हो, लकिन एक ऐसा फ्रेम वर्क, ऐसी मशीनरी लादने की कोशिश कर रहे हैं जिस में जनता से सम्पर्क नहीं है। मेरी आप से इस संकल्प के द्वारा यह प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए एक ऐसी कमेटी बनायी जाय जिस में इस सदन के सदस्य हों, शासन प्रणाली के कुछ विशेषज्ञ हों, कुछ राजनीतिज्ञ विशेष हों, कुछ प्रोफेसर्स हों, कुछ वकील हों, कुछ जनता के अच्छे आदमी जो इस विषय में दक्ष हों, उन को रखा जाय। अगर आप कहें कि जनता में ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत से अवसर प्राप्त और बुद्धिमान आदमी और बहुत से आदमी जो यहां पर आय हुए हैं, अपने अनुभवों के बल पर ही आप को सुझाव देते ह---यह कहना कि केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे अफसर ही इस बात के लिए उपयुक्त हैं और अच्छी रिपोर्ट दे सकते हैं मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को बताऊं जो एन्क्वायरी कमेटियां दो, तीन अफसरों की बनी हैं, उन में सुधार क्या हुआ है, उनमें तीन स्तरों पर सुधार किया गया है। एक जिले के स्तर पर, एक हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स के सिलसिले में और एक सेक्रेटेरियट के सम्बन्ध में।

जो जिले के स्तर पर सुधार हुयेहैं उन में मिस्टर दास ने पहले कुछ सैद्धांतिक बातें की हैं। उसके बाद जो दूसरी बातें लिखी गयी हैं उनको जब मैंने देखा तो समझा कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जिले के स्तर पर एक नियमावली बना दी गयी कि फर्नीचर के सम्बन्ध में क्या हो या दफ्तर में क्या होना चाहिए, किस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए इससे तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, बल्कि बिगड़ने वाला है। अगर हमने कुछ सुधार किया, आज जनता यह समझती है कि यह सरकार जो बालिग मताधिकार के आधार पर आज इस जगह पर है और जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं सब से अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाकर यह कहा था कि

हमारी कांस्टीट्यूएंसी में प्रदेश और देश में जो व्यवस्था फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे । लेकिन महोदय, जब हम सुधारों के लिए कहते हैं कि देखिए श्री के० के० दास ने ऐसी रिपोर्ट दी है और जिले में भी एनक्वायरी दफ्तर बनवा दिया है, हमने यह फर्नीचर लगवा दिया और जब वह हमारा देहात का आदमी जाता है तो सोचता है कि इनक्वायरी कमेटी जो बनी है उसमें भी हमको कुछ देना पड़ता है तो वह समझता है हमारे प्रतिनिधियों ने जा करके यह सुधार किया है। मैं कहता हूं कि इस बात का पता इस स्तर में चल नहीं सकता। जब यहां कोई बात होती है अगर उधर से हो तो यह सोचा जाता है, आलोचना है और इधर से कुछ हो तो जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा एक बड़ी परेशानी हमारे प्रदेश में पैदा हो गई है और मेरा ख्याल है ऐसी समस्या हमारे देश में पैदा हो गई है, एक बड़ी भारी समस्या है जिसमें काफी परेशानी पैदा हो जायगी क्योंकि इस मशीनरी के जो आदमी हैं आखिर हमारे ही तो हैं, जैसा मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है। लेकिन इस समस्या से हमें परेशान होने की बात नहीं है। हमारा यहां बैठना केवल इस बात पर है कि शासन प्रणाली में ऐसे सुधार करें जिससे देश को एक ऐसी शासन प्रणाली दे सकें जिससे देश कल्याण-कारी राज्य की ओर अग्रसर हो सके।

महोदय, हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स में आपने देखा अभी कुछ वर्षों पहले माननीय मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने कहा कि कमिश्नरों की संख्या कम की गई और उनकी संख्या कम करते चले जायंगे। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कभी कमिश्नरों की संख्या कम हुई, या ज्यादा बढ़ गई।

यह जो अनियन्त्रित योजनायें यहां पर चल रहीं हैं, जिस आदमी की आपने इन्क्वायरी कमेटी बना दी उसने अन्य सुझाव पेश कर दिये और अपने उन सुझावों पर सदन की राय नहीं ली। मैं बताना चाहता हूं कि श्री के० के० दास के कुछ सुझावों पर प्रदेश में ३१-१२-५५ को डिस्ट्रिक्ट लेविल पर आदेश जारी कर दिये गये और उनके अनुसार काम भी होने लगा। मैं पूछता हूं अगर थोड़ा सा कष्ट इस बात का कर लिया गया होता और सदन के सदस्यों से पूछ लिया गया होता या कोई और रास्ता इस बात का निकाला गया होता, यह जानने के लिये कि आखिर इसकी प्रतिक्रिया क्या है, जनता के आदमी इन सुधारों के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं, तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होता।

मेरा ऐसा ख्याल है सरकारी मशीनरी, जिस मशीनरी के ये सब पुर्जे हैं आपस में उन्हीं में डिफरेंस आफ ओपीनियन है। मैं बहुत नम्र शब्दों के साथ यह कह देना चाहता हूं कि श्री के० के० दास ने कुछ फार्म्स जो ट्रेजरी के सिलसिले में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सिलसिले में थे उनमें कुछ परिवर्तन की सूचना दी। मेरा ख्याल है मंत्री जी देखेंगे तो उन फार्मों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट मंजूर नहीं कर रहा है। उनका ऐसा ख्याल है कि अगर उस तरह के फार्म अपनाये जायंगे तो ट्रेजरी वाले मामले में सब मामला गड़बड़ हो जायगा और आज तक वह मंजूर नहीं किया गया है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं और जिनको कार्य रूप में परिणत करते चले जाते हैं आपने कभी इस बात की कोशिश की सचिव, अनु-सचिव और जिनके द्वारा यह इनक्वायरी करायी गई, क्या समस्त अधिकारी इस बात में एक राय हैं कि वह रिपोर्ट ऐसी है जिससे हमारे प्रदेश की शासन प्रणाली में सुधार हो सकते हैं ? मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे अधिकारी जो इस मामले में दक्ष हैं, इन रिपोर्टों के खिलाफ हैं और वे समझते हैं इन रिपोर्ट्स के आधार पर अगर काम किया जायगा तो प्रदेश और शासन प्रणाली को फायदा नहीं होने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि वे सुझाव सही हैं या आपके सुझाव सही हैं। मैं समझता हूं आप सही हो सकते हैं जिन पर आपने कैबिनेट लेविल पर विचार किया होगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करेंगे कि अगर डिफरेंस आफ़ ओपीनियन हो गया है, अगर आप समझते हैं यह विशेषज्ञ हैं और उनके सजेशन्स पर, उनकी राय पर हमको चलना है, तो जो दूसरे आदमी डिफरेंस आफ ओपीनियन प्रदर्शित कर रहे हैं उनकी बातों को आप इनक्वायरी करवा लीजिये और जो शासन प्रणाली आप सिर पर लादना चाहते हैं उसके सिलसिले में हमारा

[श्री रामगोपाल गुप्त]

भी मत ले लीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह जनता जिसके लिये आप काम कर रहे हैं, यह समझेगी इन सुधारों में हमारी भी राय है। और जब जनता यह समझेगी कि उसक सुधारों में हमारी भी राय है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अधिष्ठाता महोदय और आपके द्वारा इस सदन को और अपने देश के कर्णधारों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका काम ज्यादा होगा और ज्यादा उत्साह के साथ जनता काम करेगी और उसमें जो खराबियां होंगी वह आपको बताने की कोशिश करेगी।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शासन सुधार के सिलसिले में दो-तीन रिपोर्टें हमारे सामने हैं। एक तो श्री ऐपिलबाई साहब अमेरिका के यहां आये थे। वह दो-तीन बार हिन्दुस्तान में आये, वह फोर्ड कम्पनी के ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग के इञ्चार्ज थे। यहां का दौरा करके उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी दी थी। हमारे बहुत से सदस्यों ने उसे पढ़ा होगा और उनकी रिपोर्ट के सम्बन्ध में कमेंट भी अखबारों में पढ़ा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अमेरिका का रहने वाला हमारे इस देश की शासन प्रणाली में सुधार करने का सुझाव देता है। कि क्या एक अमेरिकन को हमारे देश की शासन प्रणाली को सुधारने से प्रेम हो सकता है? जिन लोगों ने उस जमाने के अखबारों में उनकी रिपोर्ट के ऊपर जो कमेंट हुआ उसको पढ़ा है वह जानते होंगे कि ऐपिलबाई साहब ने जो रिपोर्ट दी है वह नौकरशाही को मजबूत करने के लिए दी है। फिर मेरा कहना यह है कि हमारे देश की शासन प्रणाली का और हमारे देश का एक बहुत लम्बा-चौड़ा इतिहास है। अगर आप पुराने इतिहास को देखेंगे तो मालूम होगा कि हमारे देश में शासन प्रणाली उस जमाने में बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुन्दर थी जब कि दूसरे देशों में, मैं अमेरिका का नाम ले सकता हूं, इंगलैण्ड का नाम ले सकता हूं, जब कि उन देशों में उस तरह की शासन प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। उस जमाने में हमारे देश में शासन प्रणाली बहुत ही विकसित अवस्था में थी। तो उन पुरानी चीजों को छोड़कर हम एक बाहर से आये हुए आदमी की रिपोर्ट को देखें और उस पर काम करने की कोशिश करें, यह कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। जहां तक दूसरे देश के आदमी यहां आते हैं, मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वह हमको मजबूत करने के लिए नहीं आते, वह हमको कमजोर करने आते हैं। वह यह समझते हैं कि कोई ऐसी खराबी इनके शासन के यन्त्र में पैदा कर दी जाय जिससे कि आज हिन्दुस्तान जो इतनी ऊंची-ऊंची बातें कर रहा है, और इनके नेता जवाहरलाल जी जो दुनिया के देशों में कर्णधार बने घूम रहे हैं, इनका शासन का ढांचा ऐसा खराब कर दिया जाय जिससे कि ये हमेशा के लिए हमारे गुलाम बने रहें। इसलिए हमें इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और न उस पर रुपया-पैसा बर्बाद करना चाहिए।

एक रिपोर्ट हमारे श्री गोरवाला साहब ने भी ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में दी है। उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में हमारे सेकेंड फाइव ईयर प्लान की जो किताब छपी है उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन वाले चेप्टर में कुछ दिया गया है। आप उसको देखें और उस पर विचार करें तो आप देखेंगे इन सब चीजों को पढ़ने के बाद कि आप जो सुधार करने जा रहे हैं, जो आप रिआर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

तीन हिस्से मैंने बताये थे--एक डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर, एक हेड्स आफ दी डिपार्टमेंट्स के लेवेल पर और एक सचिवालय के लेवेल पर, जैसा कि आप रिआर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा सरकार को यह बताना चाहता हूं और मेरा ऐसा ख्याल है, अगर मैं गलती पर नहीं हूं, तो यह सचिवालय जो आपका है यह जो डेमोक्रेसी हम अपने देश में बनाने जा रहे हैं, इस डेमोक्रेसी के यन्त्र से और किस ढंग से यह डेमोक्रेसी संचालित की जायगी हमारे प्रदेश में, उससे उसे सब से ज्यादा जानकारी है। उसी तबके को आप हटा देना चाहते हैं। हेड्स आफ दी डिपार्टमेंट्स के द्वारा सीधे अपनी रिपोर्टें पहुंचाना चाहते हैं। उन पर कोई नोटिंग करने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सिलसिले में शायद

१३ अगस्त को एक रिपोर्ट अपनी पेश की थी। उसमें उन्होंने यह बात बताने का प्रयास किया था कि इससे फायदा होने वाला है। मेरी नम्र राय में अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ यह समझता हूं कि सेक्रेटरी और उप-सेक्रेटरी को सलाह देने वाला, उनको प्वाइंट आउट करने वाला अगर कोई साधन आपके पास नहीं रहेगा तो मामला बहुत गड़बड़ हो जायगा। वह सत्य और असत्य की जांच नहीं कर पायेंगे। आप कहते हैं कि हेड्स आफ दी डिपार्टमेंट्स के नोट सीधे सेक्रेटरी के पास या मिनिस्टर के पास पहुंचेंगे। हेड्स आफ दी डिपार्टमेंट्स अपनी लाइन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, वह हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सचिवालय में हर चीज की बात की खाल निकाली जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहां तक आप इसके लिये फाइनेंसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इसकी ओर आपका ध्यान दिलाने वाला केवल आपका सचिवालय है। उसको आप खत्म करना चाहते हैं। और आप खत्म उन लोगों के कथन पर करना चाहते हैं जो विशेषज्ञ कहलाते हैं। आप विशेषज्ञों की प्रधानता इस प्रदेश के शासन में कर देना चाहते हैं और मैं ईमानदारी के साथ यह कह देना चाहता हूं कि जिस शासन प्रणाली में टेक्निशियंस, एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की प्रधानता हो जायगी वहां डेमोक्रेसी तो शासन प्रणाली अच्छी नहीं हो सकती। हर आदमी उनका गुलाम हो जायगा। कमेटियों में जब हम जाते हैं वहां जो एक्सपर्ट्स हैं वे कह देते हैं कि आप क्या जानें, यह तो टेक्निकल बात है। हम जानते हैं हमारे जिले में बहुत से विशेषज्ञ गये लेकिन उन्होंने ऐसी इंधियां बनवाईं जिनमें पानी नहीं भरता है। अगर शासन प्रणाली में एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की प्रधानता हो जायगी तो शासन प्रणाली को ही आपको बदलना होगा। एक बार योजना बनी, बन कर बिगड़ी, फिर परिवर्तन किया, फिर परिवर्तन किया, तो यह बच्चों की तरह शासन को नहीं चलाना चाहिये। मैंने इस संकल्प को उपस्थित किया है। मुझे २५ मिनट मिल चुके हैं, लेकिन दस मिनट और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय खत्म हो चुका है। अधिक समय नहीं दिया जा सकता। मैं मजबूर हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं संशोधन पहले प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---संशोधन आपका स्वीकृत हो चुका है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तो फिर मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शासन प्रणाली में सुधार करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में, जैसा कि रामगोपाल जी गुप्त ने कहा, कोई दो राय नहीं हैं। वर्तमान शासन प्रणाली हमें अंग्रेज साम्राज्यशाही से विरासत में मिली है। वह नौकरशाही शासन प्रणाली है और जब मैं नौकरशाही शासन प्रणाली की आलोचना या निन्दा करता हूं तब उसके मानी यह नहीं हैं कि मैं हर अधिकारी की आलोचना या निन्दा करता हूं और यह कहता हूं कि हर आदमी राशी और अत्याचारी है। जैसा कि पुराने समय में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी आलोचना व्यक्तियों के बारे में नहीं है, प्रणाली और पद्धति के बारे में है, इसलिये यहां भी सवाल व्यक्तियों का नहीं है। आदर्श और ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रणाली की आलोचना हो सकती है। इसलिये नौकरशाही शासन प्रणाली की आलोचना जैसे कि उस समय की जाती थी इस समय भी करने का हमें अधिकार है और यह सवाल पैदा नहीं होता कि चूंकि हमारा जनतंत्रीय मंत्रिमंडल हो गया है, स्वाधीनता आ गई है, इसलिये नौकरशाही प्रणाली भी अपने आप बदल गई है। उसका अपने आप परिणाम यह निकलता नहीं जब तक कि उसको बदला न जाय। नौकरशाही शासन प्रणाली के मानी हैं कि वह जड़ हो, मशीन हो, हृदयहीन हो, उसमें देर होती हो, लाल फीतेशाही हो, अन्धेर होता हो, ये सभी बातें उसमें होती हैं और ये सभी बातें आज ज्यों की त्यों मौजूद हैं।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मैं एक बात यह फिर कह दूं कि नौकरशाही प्रणाली को सुधारने, बदलने और उसको कायापलट करने का सवाल किसी दल या किसी पार्टी का नहीं है। यह सर्वदलीय सवाल है और जैसा कि माननीय रामगोपाल जी गुप्त ने इस सवाल को पेश करते हुए कहा, मैं भी उससे सहमत हूं कि सब लोगों को मिलजुल कर इस प्रश्न को हल करने में योग-दान करना चाहिये।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नौकरशाही शासन प्रणाली के कई पहलू हैं। शुरू से ही एक-एक पहलू को लेकर हम देखें तो हमें हर बात में यह दो ों से भरी हुई प्रणाली मालूम पड़ती है। पहली बात तो एक्सपर्ट्स की है जिसे कि माननीय रामगोपाल जी ने भी कहा। उनकी बात सुन कर मुझे एक बात याद आ गई। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी। इंगलैण्ड के लेबर लीडर लेन्सबरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है "माई इंगलैण्ड—माई कंटरी"। जब लेबर गवर्नमेंट पहले पहल इंगलैण्ड में कायम हुई तो उन्होंने यह किताब लिखी थी। अपनी पुस्तक में, इंगलैण्ड की नौकरशाही जो आदर्श नौकरशाही मानी जाती है, उस नौकरशाही के बारे में वहां के एक्सपर्ट्स के बारे में लेन्सबरी साहब ने यह लिखा था कि एक्सपर्ट्स की रायों पर आपको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिये और अगर ऐक्सपर्टस के विषय में आपको अंध विश्वास है और श्रद्धा है तो आप एक काम कर लीजिये कि एक एक्सपर्ट की राय के बारे में दूसरे एक्सपर्ट की राय जान लीजिये और यह जान लीजिये कि वह क्या शब्द इस्तेमाल करता है तो आपको मालूम हो जायगा कि उनमें आपस में कितना मतभेद होता है और उनकी बात मानने के लिये आपको वाध्य नहीं होना चाहिये। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी राय लें, उनका सहयोग भी लें लेकिन एक्सपर्ट्स की राय मानी ही जानी चाहिये, यह ठीक नहीं है। असल में जनतंत्र प्रणाली के माने यह हैं कि जहां अधिकारी अनुभवी और विशेष ज्ञान से विभूषित होते हैं, वहां वह जनता की मनोवृत्ति क्या है, उसकी इच्छा और आकांक्षायें क्या हैं, उसकी जरूरत और आवश्यकतायें क्या हैं, इसको अधिकारी नहीं जान सकते है, एक्सपर्ट्स नहीं जान सकते हैं, यह तो जनता के चुने हुये प्रतिनिधि ही जान सकते हैं। इसलिये नीति निर्धारित करने का काम सदन को दिया जाता है और उसको लागू करने का काम नौकरशाही को दिया जाता है। इसलिये एक्सपर्ट्स का सवाल पैदा नहीं होता है।

इसके अलावा जो नौकरशाही शासन प्रणाली में देर होती है, अंधेर होता है, उसके सम्बन्ध में मैं बहुत पुरानी बात की याद सदन को दिलाना चाहता हूं कि मेरे ही सभापतित्व में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने सन् १९४० ई० में आगरा में जो भाषण दिया था, वह शब्द आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने यह कहा था कि जब हमारे हाथ में शासन सूत्र आ जायगा तो हम झाड़ू लेकर नौकरशाही शासन प्रणाली को साफ करेंगे। जब पहले पहल १९३७ में कांग्रेसी मंत्रिमंडल कायम हुआ तो महात्मा गांधी जी ने जो नौकरशाही शासन प्रणाली में देर होती है, लालफीते शाही में देर होती है उसके बारे में यह कहा था—Our Ministers must learn the art of burning the red tape हमारे मिनिस्टर्स को वह कला सीखनी चाहिये कि लालफीते शाही जला कर जनता के कष्टों को दूर किया जा सके। यह बात आज तक नहीं हुई है।

आज हमें नौकरशाही शासन प्रणाली के मूल स्रोत को देखना है। लोक सेवा आयोग जिससे भर्ती होती है उसमें सुधार करने के बजाय इस बात की शिकायत पैदा हो गई है कि पार्टी के लोगों को जो एक विशेष पार्टी के होते हैं और विधान सभा के भी सदस्य रहते हैं, उनको भी लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है। जो जांच कमीशन की बात माननीय रामगोपाल जी गुप्त कह रहे हैं उसमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस तरह की बात करना कहां तक ठीक है और यह तरीका उसे सुधारने वाला होगा या बिगाड़ने वाला होगा।

दूसरी बात यह है कि नौकरशाही शासन प्रणाली में एक ऐब था और यह ऐब उस समय था और विशेष परिस्थिति के कारण था क्योंकि उस समय यह नौकरशाही शासन प्रणाली ब्रिटिश

साम्राज्यशाही को मजबूत करने के लिये, उसका शासन चलाने के लिये कायम हुई थी। इसलिये जब तक इस नौकरशाही शासन प्रणाली की कायापलट न की जाय तब तक यह जनतंत्र राज्य के अनुकूल, समाजवादी ढंग के राज्य के अनुकूल नहीं हो सकता। वह ऐसी ही चीज है जैसा कि लेनिन ने कहा था कि हम क्रान्ति का काम प्रतिक्रियावादी लोगों से नहीं ले सकते। इसलिये सुधार की आवश्यकता है और एक मोटी सी बात हम यह देखना चाहते हैं और जिससे हम १९३७ में सहमत भी थे कि जो भर्ती की जाय, उनमें और क्वालिफिकेशन्स के अलावा एक क्वालिफिकेशन यह भी हो कि उनमें स्पिरिट आफ पब्लिक सर्विस होनी चाहिये, जन सेवा की भावना उनमें होनी चाहिये और त्याग की भावना उनमें होनी चाहिये। जिस समय ग्राम सुधार विभाग कायम किया गया था और मैं उसका विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था, उस समय भी यह क्वालिफिकेशन रखी गई थी। उस समय का गवर्नर अंग्रेज था और उन्होंने उसको मंजूर किया था। कोई वजह नहीं है कि आज हम स्वाधीन भारत में इस प्रकार की क्वालिफिकेशन न रखें कि यह भी देखा जाय कि उसमें जन-सेवा का भाव है या नहीं, त्याग की भावना है या नहीं। यह बात लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में है।

इसके अलावा जहां तक हमारी इस सरकार का ताल्लुक है एक बात मैं मानता हूं जैसा कि माननीय रामगोपाल जी गुप्त ने कहा कि सरकार ने बहुत से प्रयत्न किये हैं इसमें सुधार करने के, हमारी सरकार ने भी किये हैं, और केन्द्रीय सरकार ने भी किये हैं। खेरा साहब और उनसे पहले जो सज्जन थे और के० के० दास साहब, ये सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यह कहने के लिए मुझे क्षमा किया जाय कि अभी तक समस्या के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस की तह में नहीं जाया गया है,उस बुराई को जड़ से दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है और इन खिलवाड़ों से नौकरशाही शासन प्रणाली बदल नहीं सकती। बल्कि मेरी तो एक शिकायत अपनी सरकार से है, मैं अपनी सरकार से कहता हूं, चूंकि जनता की सरकार है इसलिए मेरी भी है, और जैसा कि मैंने कहा, यह सवाल किसी दल का सवाल नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी सरकार से सब से बड़ी शिकायत मुझे यह है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो, जनता के शोषण और उत्पीड़न का किसी के खिलाफ आरोप हो तो उसकी जांच भी विभागीय की जाती है। तो वह जांच का तरीका भी आज तक नहीं बदला। पुलिस ऐक्ट में आज तक कोई विशेष सुधार नहीं किया गया। यह सब बातें क्या दिखाती हैं ?

अभी परसों ११ तारीख को इसी सदन में दो सवाल हुए थे। एक तो श्री कल्याणचन्द मोहिले का सवाल था---तीन सवाल थे उन के---और उन सवालों के सम्बन्ध में पूरक सवालों के जवाब में सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया कि डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस (कम्पलेन्ट्स) को गजटेड आफिसर्स के खिलाफ शिकायतों के बारे में जांच करने का अधिकार नहीं है। और पिछले वर्ष मैंने यहां एक सवाल किया था कि जिन भ्रष्टाचार विरोधी जिला समितियों की बहुत सी बातें कही जाती हैं और जिन के बारे में यह कहा जाता है कि वे सन्तोषजनक काम कर रही हैं तो उस समिति का अगर कोई सदस्य जो इस सदन का भी सदस्य हो वह स्वयं किसी कर्मचारी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत करता है और उस शिकायत की जिस समय विभागीय जांच की जाय उस समय उस सदस्य को भी उस में मौजूद रहने का अधिकार है या नहीं ताकि वह देख सके कि जांच ठीक तरह से हो रही है या नहीं। उसका उत्तर इस सदन में दिया गया था कि उसको अधिकार नहीं है। तो जब इस तरह से विभागीय जांच हो और जांच करने वाला अफसर वही हो जिसके खिलाफ शिकायत हो और शिकायत करने वाले सदस्य को यह भी अधिकार न हो कि जांच के समय वह मौजूद रहे तो उस जांच का परिणाम क्या होगा। इस सम्बन्ध में कुछ मोटी सी कहावतें हैं। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहता, लेकिन चूंकि सरकारी प्रशासन की ओर से दी गयी एक पुस्तिका में लिखा है और उसे लिखने वाले एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इसलिए बताता हूं कि "वही छिनार वही डोली के संग"। मैं तो इसको यह कहूंगा कि 'चोर चोर मौसेरे भाई" या 'चोर का भाई गिरहकट' या जो एक शहरी कहावत है कि 'हलवाई की कुतिया

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

और जलेबियों की रखवाली'। हलवाई की कुतिया जलेबियों की रखवाली नहीं कर सकती, वह उन्हें खा जायगी। तो इस तरह की विभागीय जांच से भी सच्चाई का पता नहीं चलेगा।

और बाकी प्रश्न नम्बर ६–७ के बारे, में जो राम सुन्दर पांडेय जी के सवाल थे, यह कहा गया कि और लोगों की भी शिकायत थी और थाने के इन्चार्ज की भी शिकायत थी। उन शिकायतों की जांच थाने के इन्चार्ज ने की। इस तरह की जांच के क्या माने होते हैं? तो जाहिर है कि इस बात के बारे में भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि अभी तक मूल समस्या को, जिसमें जनता का भी लाभ है और मंत्रिमन्डल का भी लाभ है, दूर करने के लिए हमारे मंत्रियों ने जांच के तरीके को भी नहीं बदला है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि एक जांच कमेटी बैठायी जाय जो अच्छी तरह से जांच कर के ऐसी रिपोर्ट दे जिस से सुधार हो सके।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राम गोपाल जी गुप्त के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री गुप्त जी ने शासन की प्रणाली को बदलने के लिए एक प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया और उसके सिलसिले में हमारे पालीवाल जी ने भी अपनी सहमति दी।

यह प्रस्ताव की अहमियत है कि जब प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया गया तो दूसरी पार्टी के लोगों ने भी उसमें अपनी एक राय दी और वह यह राय दी कि शासन प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि लोग शायद ऐसा सोचें कि इस सदन को शासन प्रणाली के सुधार से और जनता की राय से क्या सम्बन्ध है। लेकिन मुझे एक कहानी याद आती है कि महात्मा कंफ्यूशश, जो चीन में हुये थे, उन्होंने एक बार अपने एक शिष्य से पूछा कि भाई, क्या तुम बता सकते हो कि राज अधिकारियों और जनता के बीच में क्या सम्बन्ध है? उस चतुर शिष्य ने उत्तर दिया कि, गुरुदेव, राज्य अधिकारी और जनता में वही सम्बन्ध है जो मछली और पानी में है। मछली बिना पानी क नहीं रह सकती है और पानी के लिए मछली का होना अनिवार्य नहीं है। जनता के बिना शासन तो नहीं चल सकता है, लेकिन यह शासन जिसके सिलसिले में जनता की एक दूसरी भावना हो गयी है उसको हम अलग कर ही सकते हैं या उसका सुधार कर सकते हैं। जनता की भावना का और राज्य कर्मचारियों का यह एक बड़ा सुन्दर समन्वय है और यदि हम बिना जनता की राय के शासन में कोई सुधार करते हैं तो वह उचित नहीं होगा।

माननीय रामगोपाल गुप्त जी ने कहा कि श्री के० के० दास ने एक रिपोर्ट कलेक्टरी के सुधार के सम्बन्ध में दी है। ठीक है। उसका क्या असर वहां पड़ा, कितना भ्रष्टाचार वहां दूर हो गया है, जनता को कितनी सुविधा मिली है, यह हम जानना चाहेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि जनता ने उस सुधार को कितना अपनाया है? यदि आप वास्तव में देखना और जानना चाहेंगे तो आप को पता चलेगा कि इन्क्वायरी आफिस खुल जाने से भ्रष्टाचार का एक और साधन सरकारी अधिकारियों को मिल गया है। भ्रष्टाचार इसलिए कि कोई आदमी वहां पहुंचता है और कोई बात पूछता है, तो उसको यदि तैश में उत्तर दिया जाता है तो वह भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार भावना से भी होता है। वह उत्तर भ्रष्टाचार का लक्षण है। कितने सरकारी आदमी ऐसे सहिष्णु होंगे कि जो बाहर से, दूर से आयी हुई जनता को, उस की पूछताछ का समुचित उत्तर दें? मैं तो समझता हूं कि सरकार ने कलेक्टरी के सुधार के सम्बन्ध में जो आदेश भेजे हैं वह खुद इतने साफ नहीं हैं कि वहां के अधिकारी उनका पालन कर सकें। कहने का मतलब यह है कि जो कलेक्टरेट के सिलसिले में आदेश जारी किये गये हैं उनका भी कोई महत्व नहीं है, और साथ ही साथ महत्व हो कैसे? आज जनता कलेक्टर साहब के पास पहुंचने में हिचकती है, वह तो दूर की बात है, एस० डी० ओ० के सामने भी अपनी समस्या, शिकायत रखने से वह हिचकती है। वह सोचती है कि ये लोग उस की जांच किसी ऐसे अधिकारी

के द्वारा करायेंगे कि जो हम को और परेशान करेगा। जांच में भी हम को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे सुधार से क्या हल निकल सकता है?

जैसा आप को विदित है और राम गोपाल गुप्त जी ने भी बतलाया, कि सचिवालय का पुनर्संगठन किया जा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सचिवालय के पुनर्संगठन की जरूरत क्यों आ पड़ी? जिस सचिवालय के लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को कायम रखने में जुम्बिश नहीं खायी, वहां के कर्मचारी या वहां के अधिकारी इस सत्ता को कायम रखने में जुम्बिश खा सकते हैं क्या? मुझे तो ताज्जुब होता है जब मैं यह सुनता हूं कि सचिवालय का पुनःसंगठन होगा। सचिवालय वह ऊंचा स्थान है जो हेड आफ दि डिपार्टमेंट से आये तमाम प्रस्तावों की, तमाम चीजों की समीक्षा करता है कि उन पर अमल किया जाय या नहीं, और उन पर काम किया जाय या नहीं। लेकिन दास साहब का कुछ ऐसा ख्याल हो रहा है कि यहां पर काम देरी से होता है। मैं तो यह समझता हूं कि गोपाला कृष्णन् साहब, जो यहां पर वित्त सचिव रहे हैं, उन के जमाने में जो इन्क्वायरी कमेटी बनी थी, उस में उन्होंने एक बात कही थी कि जितनी चिट्ठया सचिवालय में आवें, सुपरिन्टेंडेंट महोदय उन सारी चिट्ठियों को खोलने के बाद बिना उन पर कुछ कमेंट के ज्यों की त्यों सेक्रेटरीज के पास भेज दें। इसके बाद यह हुआ कि वह चिट्ठियां भेजी जाने लगीं। लेकिन अधिकारियों ने सचिवालय में कोई आदेश उन पर दिया हो ऐसी बात नहीं है। वह सुझाव यों ही खत्म हो गया। उस के बाद दास साहब ने एक दूसरा रूप रखा कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट से जो सुझाव आवें, वह फाइल के रूप में सेक्रेटरीज के पास भेजे जायं और सेक्रेटरीज उचित समझें तो, माननीय मन्त्रियों के पास भेज दें। मैं तो समझता हूं कि आखिर यह बदलाव क्या हुआ? दास साहब को आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ी कि इस तरह से करें? वह चिट्ठियों के लिए कहते थे कि सीधे उन के पास भेज दो और यह कहते हैं कि फाइल के रूप में भेज दो। इतना रुपया दास साहब की रिपोर्ट पर क्यों खर्च किया गया? आप देखें कि इस तरह से जो रुपया बरबाद होगा, उस का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होगा। वह पब्लिक का टैक्स है और उस रुपये को जनता से किस प्रकार वसूल करते हैं यह भी हम लोगों ने देख लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि सचिवालय के सिलसिले में जो काम होता है वह काम ऐसा है कि उन चीजों को, जो हेड आफ दि डिपार्टमेंट के यहां से पत्र या सुझाव आते हैं उन को यहां स्क्रुटिनाइज किया जाता है और स्क्रुटिनाइज करने के बाद उन को दोहरा चेक किया जाता है। लोग कहते हैं कि इस प्रगति के जमाने में सचिवालय की कार्यशैली में चेक लगाने से कार्य में बाधा पड़ती है। यदि यहां पर इस प्रकार से दोहरा चेक न रखा जाय तो यहां भी उसी प्रकार से हो जायगा जिस प्रकार से सेन्टर में हुआ कि किसी सज्जन के ऊपर गबन का मामला चला। उस प्रकार से अगर यहां भी मामला चले तो यह सोचने की बात है। जो वहां से प्रस्ताव या पत्र आते हैं उन को यहां पर स्क्रुटिनाइज करने के बाद सेक्रेटरीज के पास भेजा जाता है। सेक्रेटरीज के समक्ष जाने के बाद वह मन्त्री महोदय के पास जाते हैं। यह बात सही है कि यह कार्यक्रम खर्चीला है और समय भी कुछ अधिक ले लेता है लेकिन आप सोचें कि जब हम यहां असेम्बली में प्रस्ताव पास करते हैं तो उन को अपर हाउस में इसलिए भेजते हैं कि वह भी इन को देखें और स्क्रुटिनाइज कर दें। यह जानते हुए भी कि वहां पर जाने से कोई ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है फिर भी हम इस प्रथा को अपनाये हुए हैं। इसलिए इस को अपनाये हुए हैं कि काम के विषय में आखिर में नुक्ताचीनी न हो और कोई गलती न हो और जनता के लिए जो कानून बने वह सर्वमान्य हो जाय। इसलिए हम अपर हाउस से जांच कराते हैं। आज सेक्रेटेरियट वही काम करता है जो अपर हाउस करता है। नहीं तो हम आर्डिनेंस ही बना दें और कानून न बनायें जिस से रुपये की बचत हो जाय और जैसा सेक्रेटेरियट के बारे में कहा जाता है कि सेक्रेटेरियट को खत्म कर दिया जाय ताकि रुपये की बचत हो जाय; किन्तु हम लोग प्रजातन्त्र प्रणाली को अपनाये हुए हैं, यह ऐसी जरूर है कि जो खर्चीली है और उस में ज्यादा समय भी लगता है। हम लोग यहां असेम्बली में बैठते हैं और कानून बनाते हैं। उस में पैसा भी खर्च करते हैं और समय भी खर्च करते हैं; तो क्या हम इस चीज को नहीं अपना सकते हैं कि 'आर्डिनेंस' बना दें? लेकिन उस प्रथा को हम नहीं अपनायेंगे। अधिष्ठाता

[श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी]

महोदय, आप के द्वारा मैं यह चीज सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्रणाली, जो इस वक्त सचिवालय में है, वह अहितकर नहीं है। इससे वह चेक हो जाता है जो डिपार्टमेंटल आफिसरों के हाथ से (बाहर) चले जाने के बाद नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि जब इस सचिवालय का विघटन कर दिया जाय और यह लोगहेड आफ दि डिपार्टमेंट को भेज दिये जायं तब क्या काम अच्छा हो जायगा। आप देखें कि यहां के कर्मचारी, यहां के बाबू लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से यहां पर भर्ती किये जाते हैं, लेकिन हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी न किसी सर्विस कमीशन के सामने जाते हैं और न उनसे किसी को पूछताछ करने की जरूरत होती है बल्कि वे सीधे भर्ती कर लिये जाते हैं। तो उन की एफिशियेंसी और इनकी एफीशियेंसी में कितना फर्क हो जायगा। इतना ही नहीं बल्कि यह भी हो सकता है कि यदि कोई हेड आफ दि डिपार्टमेंट यहां के सेक्रेटरी से मिल जाय और वे कोई गबन करना चाहें या जनता का ज्यादा पैसा खर्च करना चाहें तो वह सीधे उन के आपस में बातचीत करने से हो सकता है और हेड आफ दि डिपार्टमेंट के यहां जो आदमी काम करते हैं वे अपने आफिसर के खिलाफ नोट भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसी हालत में जो खर्चा आज हमारे सचिवालय के ऊपर हो रहा है उस के लिए हम मंजूर करते हैं, कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिस से उसे कम किया जाय, न कि यह कि सचिवालय का हम विघटन करें और जिला स्तर पर सचिवालय के कर्मचारियों को भेज दें। इसमें मैं समझता हूं कि कुछ वैधानिक कठिनाई भी होगी। यहां के सचिवालय के लोगों के लिए सर्विसेज की कन्डीशन्स हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो यहां सर्विस कन्डीशन्स की किताब है क्या हमारी सरकार इस किताब में दी हुई कन्डीशन्स को तोड़ कर के यहां के लोगों को दूसरी जगह भेज देगी और अगर भेज देगी तो कानूनी बाधायें भी उपस्थित हो सकती हैं। इसलिए हम को चारों तरफ से देखकर काम करना है। ऐसा न हो कि हम को पुनः वही काम करने पड़ें यानी हम विभाग तोड़ें और फिर उन को बनावें, हम जिसका विघटन करें फिर उस के पुनस्संगठन की तरफ आवें, जैसा कि अक्सर पिछली मर्तबे हुआ है। इसलिए हम को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, हम को वही काम करने चाहिए जिस से जनता सुखी हो, जिससे शासन का कार्य सुचारुरूप से चल सके, जिससे हमें कोई तकलीफ न हो और आइन्दा कोई शिकायत न हो सके।

श्री अधिष्ठाता---अवस्थी जी, आप बहुत अधीर हो रहे हैं, अभी वाजपेयी जी के बोलने का समय बाकी है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---साथ ही साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि सेक्रेटेरियट के समाप्त करने की बात कही जाती है, लेकिन क्या वह बिलकुल समाप्त हो जायगा? माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से पिछली मर्तबे जो जवाब दिया गया उस से स्पष्ट हो जाता है कि सेक्रेटेरियट स्केलेटन के रूप में बना रहेगा, उस की रूप-रेखा बनी रहेगी, सचिव होगा, पी० ए० होंगे, टाइपिस्ट, स्टेनो-टाइपिस्ट, रेफरेंस क्लर्क वगैरह होंगे, तो वह चीज तो बनी ही रहेगी। आप ने कमी कहां की? आप को तो यह चाहिए कि आप यहां के आफिसर्स को कम करें और आफिसर्स को कम करने के साथ साथ आप उन की कार्य प्रणाली में सुधार करें और काम तेजी से आगे बढ़ायें। हर मर्तबे कहा जाता है कि हम क्लर्कों को कम कर देंगे, चपरासियों को कम कर देंगे, उस का नतीजा यह हुआ कि जनता में एक आवेश सा पैदा होता जा रहा है। यह भावना गलत है और अगर यह भावना लोगों के दिल में काम कर गयी तो दबे हुए दिल एक दिन उभरेंगे और इस शासन प्रणाली और सरकारी अफसरों के कारण ही एक ऐसी क्रान्ति हो जायगी जिसका खयाल न हम ने किया है और न करते हैं। इसलिए मेरा यह नम्र निवेदन है कि सदन इस चीज को अपनावे और माननीय राम गोपाल गुप्त के प्रस्ताव के अनुकूल सदन अपनी राय प्रस्तुत करे कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाय जो इन चीजों की जांच करे और उसके बाद फिर यहां की शासन प्रणाली में कोई सुधार किया जाय जिस में जनता की आवाज हो तो बड़ा उत्तम होगा।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया है।

मोती लालजी, आप के २ संशोधन इस प्रस्ताव पर हैं कि 'वर्तमान' तथा 'शासन' के बीच में "प्रदेशीय तथा जिला" रख दिये जायें। प्रस्ताव में शब्द हैं 'वर्तमान शासन' और इस में ये सब आ जाता है। इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे अनियमित करार देता हूं। आपको बोलने का मौका देता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने संशोधनों को अस्वीकृत किये जाने के लिए आप को धन्यवाद देता हूं। मैं मानता हूं कि मेरा उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है क्योंकि प्रस्तावक महोदय के भाषण को सुनते ही मैं समझ गया था कि उनका और मेरा मंशा एक ही है।

श्री अधिष्ठाता--मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने महसूस किया कि वे प्रस्ताव में निहित हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इसे तो आपने स्पष्ट भी कर दिया और मैं भी मानता ही हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन बड़ी खुशी के साथ करता हूं लेकिन कुछ सन्देह अवश्य रखता हूं। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हमारे गुप्त जी हैं और उसके समर्थक वाजपेयी जी हैं। दोनों ने ही बड़े स्पष्ट और जोरदार शब्दों में इस प्रस्ताव को रखा है और समर्थन किया है। हमारी तरफ से भी श्री पालीवाल जी ने समर्थन किया है। मैं नहीं समझ पाता कि कोई भी सदस्य इसका विरोध करेंगे। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह सरकारी पक्ष से आया हुआ प्रस्ताव इस बात का द्योतक है कि सरकार की तरफ से इस चीज को माननीय समझा गया है? प्रस्तावक महोदय ने उस क्षेत्र की ओर से अपने कर्त्तव्य को निबाहा है और उन आशाभरी निगाह के निर्वाचकों की आशाओं की पूर्ति की है। लेकिन यह कहीं विचारार्थ हो कर ही न रह जावे। अक्सर देखा गया है कि सरकारी पक्ष की ओर से उपस्थित किये हुए प्रस्ताव वाद-विवाद के बाद वापस ले लिये जाते हैं इसलिए कि अपना काम पूरा हो गया, प्रकाशन हो गया और वाह-वाह मिलने के साथ साथ सरकार भी नाखुश नहीं हुई। यह प्रस्ताव सचमुच ही आवश्यक है और इसके द्वारा प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि शासन प्रणाली की जांच अच्छे ढंग से होनी चाहिए। मैंने भी संशोधन रखकर उसे और भी सख्त करने की चेष्टा की थी कि इसकी जांच गोलमाल शब्दों में न होकर जिला और स्टेट लेविल पर पूरी तरह से होनी चाहिए।

जनता का सम्बन्ध ज्यादातर जिला लेविल पर होता है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज किस प्रकार से जिलाधीश मुगल बादशाह की तरह से बने बैठे हैं। जब हम लोग प्रान्तीय शासन अधिकारियों के सम्पर्क में आते हैं, या उनकी शासन प्रणाली के सम्पर्क में आते हैं तो प्रत्यक्षरूप से लाल फीते के दर्शन होने लग जाते हैं। मैं ने जानना चाहा कि यहां बाकायदा सब चीजें ऊपर से नीचे को जाती हैं, लेकिन जनता को राहत क्यों नहीं पहुंच पाती है? मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुरानी नकल चली जा रही है। क्या इस प्रस्ताव के कारण सरकार का ध्यान आकर्षित होगा और जरा पीछे घूमकर देखा जायगा कि इस प्रणाली में क्या क्या सुधार आवश्यक हैं? रिआर्गनाइजेशन कमेटी, जिस के द्वारा मुख्य मन्त्री ने सुधार करने की बात कही है, उस से सुधार न होकर कुधार हो रहा है। अभी तक मुलाकातों में जनता के प्रतिनिधि सीधे-सीधे बातें कर लेते थे, अब एक इन्क्वायरी आफिस होगा जो जरूरी प्रश्नों के लिए मुलाकात की सलाह देगा अन्यथा पीछे लौटा दिया करेगा।

श्री अधिष्ठाता--अब आप लंच के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी बात रखते हुये यह कह रहा था और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि इस प्रस्ताव को, जो कि माननीय गुप्त जी द्वारा पेश है, यदि गौर से पढ़ा जाय तो उस में दिया हुआ है कि वर्तमान शासन प्रणाली में कौन-कौन सी त्रुटियां हैं इसको मालूम किया जाय। इस के साथ-साथ अभी तक जो सुधार हुए हैं, उनसे कोई लाभ हुआ है या नहीं इसको भी देखा जाय। आगे कहा गया है कि इस शासन प्रणाली में किन-किन सुधारों की आवश्यकता है। अन्त में यह भी कहा गया है कि इन सुधारों से जो बचत होगी उसका भी लेखा-जोखा देखा जाय।

मुझको खुशी इस बात की है कि इसके प्रस्तावक कांग्रेस पक्ष के ही हैं और इस बात की भी प्रसन्नता है कि श्री सीताराम जी शुक्ल ने इसकी व्याख्या अपने संशोधन में कर दी है। वह चाहते हैं कि जांच के साथ यह भी देख लिया जाय कि उसके अनुसार क्या ऐसे कार्य हो सकेंगे जिस से जनता ज्यादा सुखी और समृद्धिशाली हो सके। मैं आदरणीय शुक्ल जी को एक बहुत समझदार कांग्रेसमैन मानता हूं। उनके द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव है और जो मूल प्रस्ताव है उस से यह ज्ञात होता है कि कांग्रेस पक्ष वालों में भी कुछ समझदार सदस्य हैं जिनका लक्ष्य भी कांग्रेस के शासन में जो त्रुटियां आ गयी हैं उनको दूर करने का है और उस के दूर करने के लिये वे चिन्तित हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस शासन प्रणाली के अन्तर्गत बहुत से विभाग हैं। इन विभागों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी टीका हम प्रश्नों के समय करके सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन उत्तर में उस शिकायत का इवेजन ही होता है, निराकरण नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रश्न यह पूछा था कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन में सरकार की क्या नीति है? तो उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह प्रश्न के निराकरण का नहीं था बल्कि उनके जवाब से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता था कि सरकार उस के बारे में कोई चिन्ता नहीं कर रही है। दूसरा प्रश्न जुडीशियल मजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में किया गया। उसमें यह पूछा गया था कि क्या उनकी लिंकिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ रक्खी गयी है? लेकिन इस का भी उत्तर इवेजन के रूप में ही दिया गया। उत्तर से साफ यह मालूम होता था कि सरकार इस जुडीशियरी को स्वतंत्र रूप से रखने को बिलकुल तैयार नहीं है।

दूसरा विभाग कृषि विभाग है। उसके बारे में मुझे पता लगा है कि उसका अभी तक कोड ही नहीं बना है। इसी प्रकार ट्रान्सपोर्ट विभाग और कोआपरेटिव विभाग का कोड भी अभी तक तैयार नहीं हुआ। दूसरे विभागों के सम्बन्ध में यह मालूम पड़ता है कि उनके कोड उस समय के हैं जब कि ब्रिटिश राज्य का जमाना था और कोई कोई तो ३०-३० साल के पुराने हैं जिनमें समयानुकूल अनेक परिवर्तन होने चाहिये।

जेल डिपार्टमेंट की बात मैं आप से कहता हूं। जब जेल में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त था तो वहां मुझे जेल कर्मचारियों से पता लगा कि जेल कोड में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यथार्थता से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। जेल कोड में लिखा हुआ है कि फी कैदी को एक छटांक दाल मिलनी चाहिये, चूंकि एक छटांक दाल से उनकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती इसलिये वे मजबूर होकर उस दाल को पतली बनाकर कैदियों में बांटते हैं जिसकी वजह से उनमें असन्तोष फैलता है। उस कोड में लिखा है कि बावर्चीखाने में ऊंची जाति के लोग ही जाकर खाना पकावें, और कोई वहां नहीं जा सकता। इस प्रकार से अनेक विभागों के कोड अब आउट डेटेड हो चुके हैं।

क्या सरकार को यह नहीं मालूम है कि उनके रखेल डिपार्टमेंट पुलिस और सिविल कोर्ट जो हैं उनके प्रति लोगों में असन्तोष भरा पड़ा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं

कि हमारी पुलिस आज जनता की प्रेमभाजन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह बने। अगर इसको बनाने के लिये सरकार सचमुच में अपने शासन प्रणाली में सुधार की बात नहीं सोचेगी तो मैं बहुत जोरदार शब्दों में और दावे के साथ आप से कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे १०० साल तक सर पटके और कोशिश करती रहे यह पुलिस डिपार्टमेंट और सिविल कोर्ट्स जनता के प्रेम-भाजन नहीं बन पायेंगे। आज भी ये डिपार्टमेंट पुरानी परिपाटी के अनुसार ही चल रहे हैं जिस से जनता को कोई सहूलियत और रिलीफ नहीं मिल पाती। आप इस थ्योरी को ही बदलिये और एक सिद्धान्त पर रहिये। आप से यह बात बराबर सुनने को मिलती है कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं, आप खुद इस को मानते हैं कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसीलिये पुलिस को उसी प्रकार मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं ताकि वे अपने हथकंडों द्वारा जनता को परेशान करना जारी रखें और अदालतों में जिस तरह की मनमानी होती है वह उसी तरह से चलती रहे? जहां हजारों की तादाद में ४०-५० हजार केसेज हाईकोर्ट में पड़े हैं, और बहुत से केसेज दस-दस साल के पेंडिंग पड़े हैं जिसके लिये आये दिन जनता द्वारा आप का उपहास किया जाता है वहां भी आप अपनी आंखें उस तरफ से बन्द करना चाहते हैं।

शासन में सुधार करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि आप के बगल में ही बैठने वाले आपके वे साथी कह रहे हैं जो चाहते हैं कि फिर चुने जायं और फिर जनता के प्रेमभाजन बनें। अगर विरोध पक्ष की तरफ से यह बात कही जाती और यह प्रस्ताव आया होता तब तो उसको आप यों ही उड़ा देते और कहते कि यह विरोध करने के लिये किया गया है। काश आप अपने पक्ष की बात ही मान लेते. हो सकता है कि उनकी पीठ पर आप अपना हाथ फेर दिये हों, हो सकता है कि आप उनसे कह दिये हों कि हम तुम्हारी बात पूरी कर देंगे, लेकिन इस असेम्बली में इस को लाकर इस प्रकार हमारी हार-जीत मत कराओ, हो सकता है कि कोई मैंडेट जारी हो गया हो जिसकी वजह से कर्त्तव्य रूप में उसको पूरा करने के लिये वे अपना प्रस्ताव विद्ड्रा कर डालें, लेकिन मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव, जिसका सब पार्टियों की तरफ से समर्थन किया जा रहा है और जो वास्तविक रूप से सच्चा दिखलायी पड़ता है, और जिस के द्वारा गवर्नमेंट पर लांछन लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, उससे उद्धार पाना परम आवश्यक कर्तव्य है।

जहां तक एक्सपर्ट्स की बात है, मैं ऐपलबी नाम के एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट का उदाहरण देना चाहता हूं। रेलों के अन्दर की भीड़ को कम करने के लिये उनकी राय यह थी कि टाइम टेबिल ऐसा बनाया जाय जिस से लोगों को अपने समय पर पहुंच ने में दिक्कत पड़े, इससे ज्यादा लोग रेलों पर नहीं चढ़ सकेंगे और भीड़ कम हो जायगी। तो आपके ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस तरह का सजेशन भी देते हैं कि इस तरह का अड़ंगा लगा दें जिस से जनता को तकलीफ पहुंचे और रेलों की भीड़ कम हो जाय। क्या इन्हीं एक्सपर्ट्स के बल पर आप जनता की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं और शासन में सुधार कर सकते हैं? मुझे मालूम हुआ है कि इस शासन प्रणाली के सम्बन्ध में भी उनके कुछ सुझाव हैं। मैं उस एक्सपर्ट के अधिकार के बारे में अधिक न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विदेशों से आये हुये एक्सपर्ट्स हमारे देश के दृष्टिकोण से कभी सोच ही नहीं पायेंगे। हो सकता है कि वह अपने शासन की खूबियां उन के द्वारा प्राप्त कर लेते हों, लेकिन यह सम्भव है कि हम उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करें।

अब समय अधिक नहीं है और जो कुछ मैं कहना चाहता था वह कह चुका हूं, लेकिन अभी मैं सदन से अपील करूंगा कि वह इस पर विचार करे और एक मत से इस का समर्थन करे, और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस को स्वीकार करें और अपनी ओर से लीपापोती कर के माननीय सदस्य से उसको वापस करने के लिये न कहें, और मजबूर न करें। इस को कार्यान्वित करना चाहिय ताकि जनता का लाभ हो और जो

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इसका मन्तव्य है वह पूरा हो और वह रास्ता बनें जिस से हमारी शासन प्रणाली ठीक हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस को स्वीकार करें और इस को वापिस लेने के लिये माननीय सदस्य को बाध्य न करें।

*वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि जो कुछ यहां कहा जा रहा है इस वक्त इस प्रस्ताव के ऊपर, उसका जवाब दे दूं, बल्कि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इससे पहले कि यह तजवीज आगे को चले, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में यह अर्ज कर दूं कि सरकार का खयाल इस प्रस्ताव की बाबत क्या है इस प्रस्ताव का मकसद है कि हमारी इस स्टेट में सरकार की जो मशीनरी हो, जिसके जरिये से गवर्नमेंट की तजावीज के ऊपर अमल होता हो, उसमें भ्रष्टाचार न हो और उसका खयाल यह हो कि हम जनता के फायदे के काम करने के लिए हैं और पब्लिक के फायदे के काम करने की गरज से वह उन कामों को, जो उनके सुपुर्द किये जाते है, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अन्जाम दें। यह संक्षेप में वह बात है जो इस रेजोल्यूशन का मकसद है और जो किसी भी ऐसे प्रस्ताव का मकसद हो सकता है।

मैं अर्ज करूं कि सरकार को भी इस मकसद से पूरे तौर पर इत्तिफाक है और सरकार इससे सहमत हैं, लेकिन सवाल यह है कि वह तदबीर क्या है जो तदबीर इस मकसद को हासिल करने के लिए की जाय ? वह तजवीज जो इस रेजोल्यूशन में कही गई है, गवर्नमेंट ने इसको सोचा है कि जो कुछ इस प्रस्ताव में कहा गया है वह मकसद इससे हासिल हो सकता है या नहीं। जिस तरीके से उसको हासिल करना इस तजवीज में कहा गया है वह तरीका यह रखा गया है कि एक कमीशन बिठाया जाय और उसके सुपुर्द यह काम किया जाय कि वह यह देखे और बताये कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसके अन्दर क्या-क्या खराबियां हैं और उसके अन्दर किस-किस किस्म की इस्लाहे की जानी चाहिये। सही बात है, मकसद तो अच्छा है लेकिन सवाल यह है कि आया कोई कमीशन इस काम को कर देगा या नहीं? हमारे सामने मशीनरी की पूरी खराबियां आ जांयगी या नहीं? जो शासन या निजाम इस वक्त का है, उसके जितने शोबे हैं उन सब को देख कर कोई जमाअत यह राय दे कि इस के अन्दर फिलवाकय यह यह खराबियां हैं। इनको दूर करने के लिये यह यह तदबीरें हो सकती हैं। यह मकसद एक कमेटी का हो सकता है या नहीं। हो सकता है, मैं तसलीम करता हूं कि मेम्बरान मुझ से ज्यादा जानते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं और मैंने कमेटियां भी बहुत सी देखी हैं, १९२६ से लेकर आजतक, बेहैसियत मेम्बर के भी कमेटियों में बैठा हूं और जब से गवर्नमेंट में हूं उस वक्त से भी कमेटियां कुछ बैठी हैं। मैं अपने तजुर्बे की बिना पर भी, और दुनियां के तजुर्बे की बिना पर भी, जिस की बाबत मैं दूसरी बात अर्ज करूंगा, उस वक्त जिस वक्त मैं जवाब दूंगा, यह कहूंगा कि किसी कमेटी से यह मामला हल नहीं हो सकता। कमीशन का लफ्ज जरा डिग्नीफाइड है, चाहे कमेटी कहिये, कमीशन कहिये, या कुछ कहिये, इसलिये कि इस में इस बात की जरूरत है कि मशीन की हर एक कल को, पुर्जे को, छोटे को, बड़े को, उसके उठाव व बिठाव को, उसकी रफ्तार को, उसके जितने डिटेल्स और तफसीलें हो सकती हैं उन सब को, देख कर के कोई किसी नतीजे के ऊपर पहुंचे और उस नतीजे को एक शक्ल में सामने रख कर के और उसके साथ में फिर यह इलाज तजवीज करे कि फलां-फलां इसमें नुक्स है, उसका यह इलाज हो सकता है और फलां खराबी जो है उसका यह इलाज हो सकता है।

कमेटियां क्या करती हैं? कमेटियों पर मैं इल्जाम नहीं लगाता, कमेटियां उससे ज्यादा कर नहीं सकतीं। कमेटियां एक जनरल व्यू लेती हैं। हर चीज के डिटेल्स में उनको जाने का मौका नहीं होता। कमेटियां बैठीं। मुझे बुलाया, उसको बुलाया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो तरीके हैं दुनिया के काम करने के वह भी सब मालूम हैं। कमीशन यहां बैठा। उसने एक दावतनामा भेजा कि जिन जिन को ऐडमिनिस्ट्रेशन की बाबत कहना है, वह फलां फलां तारीख को हमारे पास आयें या अपने ऐतराजात लिखकर हमारे पास भेजदें। उनके पास वह आदमी गये। उन्होंने वह शहादत सुनी, उस शहादत में जो कुछ उन्होंने सुना उसकी निस्बत उन्होंने कोई राय कायम कर ली और उस को कायम कर के अपनी रिपोर्ट में लिखकर चन्द सिफारिशें कर दीं। लेकिन जो मकसद है उस तकरीर का, जो तकरीर मैंने इस रेजोल्यूशन के मूवर साहब की सुनी, और जो बात उन्होंने कही, अगर वह बात ठीक हो, और अगर उनका उतना ही मकसद हो, तब तो यह कमीशन बिलकुल ही बेकार है क्योंकि हमारा यह बात मान कर चलना, कि जो मशीनरी है यह तो किसी तरह से ठीक हो ही नहीं सकती और यह हमारा काम बन ही नहीं सकता, आदमी तो वही हैं, उन्हीं सरकारी मुलाजिमों को जो आज काम कर रहे हैं, अगर रखना है तो उन्हीं में से तलाश हो सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, सुनायी नहीं दे रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कोई कमेटी इस काम को नहीं कर सकती। दूसरे जो मैं अर्ज कर रहा हूं वह कमेटी नहीं कर सकती। उसके तरीके के मुताल्लिक मैं बाद में अर्ज करूंगा। इस वक्त मेरा ज्यादा वक्त लेना ठीक नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की राय है वह मैं अर्ज कर रहा हूं। इस मकसद को हासिल करने के लिये और जो बात मेरे दोस्त कहते हैं उसके मानी हुये कि इस मशीनरी के बजाय एक नयी मशीनरी कायम हो जाय। वह कैसी हो, किस किस्म की हो, क्या-क्या हो, वह बातें बिलकुल नहीं। मैं समझता नहीं कि किसी कमेटी या कमीशन को बिठाकर किस बात की सिफारिशें ली जायं और वह जो सिफारिशें देंगे उनसे क्या फायदा होगा। हमने इस से पहले भी एक कमेटी बैठायी थी। यह भी सुनता हूं कि उस से कुछ नहीं हुआ। अगर पहली कमेटी कुछ नहीं कर सकी तो इस कमेटी से क्या होगा? और अगर मेरी गवर्नमेंट से कुछ नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट मेरी ही है। यह तो गवर्नमेंट खराब है। बेहूदा है। यह कुछ नहीं करना चाहती। तो क्यों कमेटी को बिठाएं? जो गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती वही गवर्नमेंट है और कमेटी आने से वैसे कुछ फायदा नहीं हुआ। हम को मकसद से इख्तिलाफ़ नहीं है। इस रेजोल्यूशन के अच्छे होने से हमको इन्कार नहीं है।

लेकिन इस रेजोल्यूशन को मान करके इसके ऊपर अमल किया जावे यह कभी भी नहीं हो सकता। उसके होने के और ही तरीके हो सकते हैं जो बाद को मैं फिर अर्ज करूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन है कि संकल्प के उपखंड (ख) के अन्त में शब्द "तथा क्या हानि हुई है" एवं उपखंड (ग) के अन्त में "जिससे उत्तर प्रदेश को जल्द से जल्द सुखी और शक्तिशाली बनाया जा सके" जोड़ दिये जायं। सिर्फ इतना ही छोटा सा संशोधन है। इसके साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं बावजूद इसके कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले तो मैं समझता था कि मुझे विरोधी वृन्द अपोजीशन का ही जवाब देना पड़ेगा लेकिन मुझे माननीय मंत्री जी को भी जवाब देना पड़ेगा....

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट की ओर स कोई माननीय मंत्री या कोई भी उसका स्पोक्समैन जब तक कि प्रस्ताव की पूरी शक्ल न आ जावे और संशोधन जो उस पर हैं वे पेश न किये जायं, जवाब दे सकते हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं अर्ज करूं आपसे, जितनी प्रोसीडिंग्स हैं सब देखिये, पुराने कनवेंशन्स हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बाजे होता है जिस वक्त कोई रेजोल्यूशन पेश हो तो उसकी अर्लियेस्ट स्टेजेज में बतला दे कि गवर्नमेंट की राय उसके मुताल्लिक क्या है।

श्री अधिष्ठाता--मैं वित्त मंत्री जी से सहमत हूं, ऐसा हुआ भी है।

श्री सीताराम शुक्ल--तो पहले मैं अपोजीशन का जवाब दूंगा। वह यह कि प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय मित्र ने यह कहा कि प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है लेकिन यह हो सकता है कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाय। यह आपने डर जाहिर किया है, और निहायत अच्छाई से किया है। मैं मानता हूं कि विरोधी वृन्द (अपोजीशन) के कहने का ढंग है, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन बड़े अदब से अर्ज करता हूं कि हुजूरवाला, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पार्टी के सदस्य वृन्द कहने के लिये तो दो हैं, मगर दोनों का दृष्टिकोण एक हैं। जैसे आंख दो होती हैं मगर दोनों एक ही समय में दो चीजें नहीं देखतीं बल्कि एक चीज ही देखती हैं। प्रस्ताव आने के बाद हम अपने विचार रखते हैं, मकसद, उद्देश्य गवर्नमेंट का और हमारा एक है। गवर्नमेंट को अगर मालूम होता है कि प्रस्ताव का मकसद उस प्रस्ताव के पास करने से नहीं हल होगा, दूसरी तरह से होगा तो उसे वापस करने का मशविरा देती है, फलस्वरूप हम वापस ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी के उत्तर में मैं अर्ज करूं कि इसमें कोई शुबहा नहीं कि गवर्नमेंट भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, कोशिश कर रही है। फिर भी इस प्रस्ताव के यहां आने पर और पक्ष, विपक्ष में विवाद हो जाने पर आपको मदद मिलेगी भ्रष्टाचार मिटाने में, उसको दूर करने में आपका समय बरबाद नहीं होगा। इसलिये इस पहलू पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। यह सही है कि भ्रष्टाचार हमको अंग्रेजों की विरासत में मिला है, नया नहीं है, पहले तो हालत मुल्क की यह थी कि महाराजा रामचन्द्र जी ने कहा है कि :--

"न मे जनपदे स्तेनो न कदर्यो न मद्यपः।
नानाहुताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ।।"

मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कायर नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हवन न करता हो तथा कोई मूर्ख भी नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है। तब व्यभिचारिणी का प्रश्न ही नहीं उठता। एक जमाना वह था मुल्क में जिस तरफ जाइये स्वागत हुआ करता था। लेकिन जमाना पलटा, मुल्क गुलाम हुआ और गुलामी में, कहा गया है कि : "गुलाम कौम का सिजदा हराम होता है।" गर्जकि अनेक ऐब आ गये। वह ऐब धीरे-धीरे जायेंगे। तो हमको यह ऐब विरासत में मिले हैं।

मगर यह अर्ज करता हूं कि १० वर्ष का समय कम नहीं होता है हुकूमत को करते हुए। जहां यह मुझे कहना है कि यह विरासत ने हमें दिया है वहां यह भी मुझे अर्ज करना है कि दस वर्ष कम नहीं होता है। दस वर्ष में जितना काम होना चाहिये था हमें अफसोस है कि अभी नहीं हुआ। अतः इस पर तो हमें बार-बार कोशिश करनी चाहिये।

"प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमस्ति मध्याः ।।
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।।"

विघ्नों के भय से जो लोग काम को शुरू ही नहीं करते वह लोग नीच हैं। काम शुरू किया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, वह लोग मध्यम हैं और बार-बार विघ्न पड़ते रहने पर भी जो लोग काम को नहीं छोड़ते, उसे पूरा करते हैं वह लोग उत्तम हैं।

इसलिये हमको इस पर गौर करना चाहिये। भ्रष्टाचार हमारे प्रांत में है। कैसे दूर हो? शासन में ईमानदारी कैसे आये? लोग जानते हैं कि कोई भी सुधार किया जायगा उसमें कोई न कोई ऐब रहेगा। कोई कायदा-कानून, विधान आप बना नहीं सकते जिसका कोई दूसरा पहलू न हो। इसीलिये भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है कि--

"सर्वारम्भाहि दोषेण-धूमेनाग्निखिवृता।"

अर्थात् ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जहां कि बुराई न हो। जहां अग्नि होगी वहां धुआं जरूर होगा। मगर उसको दूर करने के लिये भी कोशिश की जायगी। हमेशा की जाती है और की जाती रहेगी।

अब यह सोचना है कि यह कैसे मिटाया जाय। यह भी सुझाव अपना पेश कर दूं। मिटाया तो जाय। है क्यों? माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या बतलाऊं, ऊपर से नीचे तक जहां देखिये सब जगह यह चीज है। सरकारी कर्मचारियों की शिकायत तो सामने आती है, जनता सम्पर्क में, पब्लिक टच में आती है इस वजह से, और नीचे जाइये तो और भ्रष्टाचार है। आप देखिये चन्द जगहों को छोड़कर कहीं आप दूध खरीदना चाहें, क्या शहर क्या देहात, तो बिना पानी मिला दूध नहीं मिलेगा। घी लेना चाहें तो बिना डालडा मिला नहीं मिलेगा। खुद चवन्नी, अठन्नी की बेईमानी करेंगे और चाहेंगे कि पटवारी, थानेदार ईमानदार हों, पैसा न लें। मैं यह नहीं कहता कि सब ऐसे हैं। वहां गरीब से गरीब ऐसे हैं जो कि दूध में पानी नहीं मिलायेंगे। आप से एक पैसे की बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन मेजारिटी यही है कि अपना लड़का मुकदमें में फंस गया तो रिश्वत देकर छुड़ा लो और बाकी सब लोग ईमानदार हों। सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है, अफसोस की बात है। क्या बतलाया जाय, पढ़े हैं, लिखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। यह है। लेकिन यहां भी सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। थानेदारों को मैं जानता हूं, चन्द ऐसे हैं कि मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, रुपया लेकर लोग आते हैं कि साहब ले लीजिये, लेकिन कहते हैं कि हम नहीं लेंगे। ऐसे अफसरों को भी मैं जानता हूं। अभी एक स्पीकर ने यहां के सेक्रेटरिएट के कर्मचारियों की शिकायत की थी। वह वही है कि जो अंग्रेजी जमाने में थे और हमको कुचलते और दबाते रहे। मालूम होता है कि उन्हें तजुर्बा नहीं है। इस सेक्रेटरिएट से तो बड़ी मदद मिलती थी। तार आते थे तो कांग्रेस कमेटी में उसकी कापी पहले पहुंच जाती थी, गवर्नर को बाद में खबर मिलती थी। उस वक्त अंग्रेजी राज था। एक एक्जेम्पशन करवाना था। मैं नाम ले लूं, राधारमण जी के पास मैं गया, मैंने कहा कि एक्जेम्पशन करवाना है, फलां काम है। रिस्क में पड़कर के भी उन्होंने वह काम किया। तो जहां आप शिकायत करें वहां अच्छे अफसरों की तारीफ भी करें? अगर आपने सबको बुरा कह दिया तो उससे उनका दिल टूट जाता है। ऐसे-ऐसे कलेक्टर हैं, थानेदार हैं, कि जहां जाते थे, पाठशाला बनवाते थे। रामेश्वर दत्त त्रिपाठी, श्री कैलाशचन्द्र मित्तल, ये लोग जहां गये कलाधाम बनवा दिया, ऊपर से कोई आर्डर नहीं, लेकिन जहां गये कलाकारों को इज्जत दी, और ऐसे भी हैं कि जो झूमते हुये दिखायी पड़ेंगे। झूमने वाले भी हैं। पब्लिक फरियाद कर रही है, साहब बहादुर सो रहे हैं। तो जहां झूमने वालों की शिकायत करें वहां अच्छा काम करने वालों की तारीफ भी होनी चाहिये। अब यह ठीक कैसे हों? माफ कीजिये पहले हमको अपने को ठीक करना पड़ेगा। सिफारिश हर वक्त की जाती है। जब हम लोग जाते हैं अपने क्षेत्र में तो कहते हैं कि हमने वोट दिया था, जिताया था, मेरे लड़के को नौकर कर दो, मेरा ट्रांसफर रुकवा दो, या तकलीफ में हूं ट्रांसफर करवा दो। माफ कीजिये थोड़े से हैं जो कहते हैं कि हमारी यह ड्यूटी नहीं है। हमसे क्वेश्चन कराओ, गवर्नमेंट का ध्यान दिलवाओ किसी मजमून पर। यह मेरी ड्यूटी है कि मुझसे सार्वजनिक काम लो, व्यक्तिगत काम करना मेरा काम नहीं है। अक्सर आप देखें कि सुबह का वक्त है, पढ़ कर तैयार होना है, लेकिन आज इस मिनिस्टर साहब के यहां मुलाकात हो रही है, कल वहां मुलाकात हो रही है। हुजूरवाला, हम ही गलती करेंगे तो फिर कौन ठीक करेगा?

[श्री सीताराम शुक्ल]

मैं यह भी अर्ज कर दूं कि इस तरह से बहुत दिन गाड़ी भी नहीं चलेगी। इस सूबे में एक साहब थे जिनका यही काम था इस पर अहसान करो, उस पर अहसान करो और वोट लो। लाइसेंस दो, ठेके दो, काम हो जायगा। बड़े भारी लीडर बन बैठे, लेकिन ७ वोट नहीं मिले आल इंडिया में जाने के लिये। १० का काम करोगे १०० काम कराने वाले पैदा हो जायेंगे, और १०० का काम करोगे तो हजार काम कराने वाले पैदा हो जायेंगे। इससे नुकसान ही होगा, पब्लिक का भी और आपका भी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाज लोग कहते हैं कि हम जानते हैं कि फलां आदमी बेकसूर फंस गया है। एक ने कहा कि हमारा बेकसूर लड़का फंस गया। मैंने कहा कि बेकसूर है फिर भी फंस जाने दीजिये। अफसर से कहियेगा कि छोड़ दो तो आपके कहने से एक को छोड़ेगा तो अपनी तरफ से ५० का काम करेगा। आपके कहने से एक मामले में अगर इंसाफ करेगा तो १०० में वह बेइंसाफी करेगा। नुकसान ज्यादा होगा।

मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं। मुझे भी वोट्स की जरूरत पड़ती है। मैं भी अपनी कांस्टीट्युएंसी में घूमता हूं। मैं बतलाता हूं कि किसी कार्य को सच्चाई के साथ करियेगा तो घाटे में नहीं रहियेगा। मैं अपने क्षेत्र में गया। शिकायत हुई कि साहब अब तो आते ही नहीं, मुंह नहीं दिखलाते। वोट लेकर चले गये। लखनऊ और नैनीताल घूमते रहते हैं। यह प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ वहां था। मैं गया तो मैंने कहा कि मैंने सुना है आप लोग नाखुश हैं कि मैं आता नहीं। मैंने कहा, न आता हूं और न आऊंगा। आपने मुझे हरवाहा समझ रक्खा है जो खेत-खेत घूमता फिरूं। आपने मुझे एम०एल०ए० चुना है। वहां न जाऊं तो शिकायत हो सकती है। मीटिंग हो और सार्वजनिक काम हो, न आऊं तो शिकायत हो सकती है। जहां जरूरत होती है, मैं आता हूं। लेकिन दलाली करने को कहिये तो यह नहीं करूंगा। इसमें हमारा और तुम्हारा दोनों का नुकसान होगा। मेरा नुकसान यह होगा कि हर दरख्वास्त पर दस्तखत कर दूंगा तो मेरे लिखने की कीमत घट जायगी। हर दरख्वास्त पर मेरी चिट्ठी, मेरा खत होगा तो मेरी इज्जत घट जायगी। जो मुझे जानता है, जिससे मेरे जाती ताल्लुकात हैं वह मेरा काम कर देगा और मेरे लिखने पर १००-५० को नौकरी मिल जायगी, लेकिन १०० आदमी अगर एक तरफ खुश होंगे तो १ हजार नाराज होंगे। वे सोचेंगे कि यह आदमी करवा सकता है, फलां-फलां को करवाया है, हमारा काम करवाना नहीं चाहता। आपका यह नुकसान होगा कि मेरी चिट्ठी पर आपको थानेदार तैनात किया और यह नहीं देखा कि इसमें कायदा कैसा है, चतुरता कैसी है, होशियारी कैसी है, उठता-बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, तो मेरी चिट्ठी पर मेरा आदमी मेरठ जायगा और मेरठ के एम०एल०ए० का थानेदार यहां आयेगा। उससे डकैती, चोरी और कत्ल बढ़ जायेंगे। मैंने कहा कि आपका जो मेम्बर है उसने असेम्बली में आपकी बात रक्खी है या नहीं रक्खी है, उसकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई इसे आप देख सकते हैं। अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे वोट दीजिये और अगर दूसरे कामों पर वोट देना है तो दूसरों को वोट दीजिये। अगर सच बोल कर इस बार न भी आ पाता तो दोबारा आता। घूस देकर कै दिन वोट लिया जायगा?

आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यही अर्ज करूंगा कि सिफारिश बन्द होनी चाहिये। कलेक्टर भी आपका नौकर है और थानेदार भी आपका नौकर है। तनख्वाह भी आप दे रहे हैं। हम उससे कहें कि हमारा फलां काम कर दो यह बुरा है। वह गलत काम करता है तो क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन पर बड़े-बड़े लोग बरखास्त किये जा सकते हैं। आपके पास बड़ी ताकत है। हम क्यों कहें उनसे आकर कि फलां काम कर दो। जब सिफारिश बन्द होगी तो अफसर अच्छे, आयेंगे और वह दिन फिर पलटेगा जब हमारे कर्मचारियों का और किसानों का अच्छा केरेक्टर होगा और सभी सुखी बनेंगे।

हुजूरवाला, एक बादशाह सलामत थे। उनके लड़के ने कत्ल किया। जब वह सामने आया तो उन्होंने कहा कि गर्दन मार दो। हुक्म हो गया। जब वक्त आया तो दोस्तों ने कहा कि हुजूर एक ही राजकुमार है इसको माफ कर दिया जाय और इसको कत्ल न किया जाय। बादशाह सलामत ने कहा कि :—

"गर्चे हजार लालो गुहर मे दिहो चे सूद।
दिलराशकस्तई न कि गुहर शिकस्तई।।"

हजारों लाल और जवाहरात हों उससे क्या फायदा? दिल टूट गया है, लाल जवाहरात नहीं टूटे हैं। वह जमाना आयगा कि:—

"निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैववा मरणमस्तु युगान्तरेवा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा।"

लोग निन्दा करें या प्रशंसा करें, जिन्दा रहें या मर जायं, लेकिन धार्मिक लोग न्याय का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे यहां ऐसे अफसर होंगे तो हमारा मुल्क सुखी बन सकेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इस सदन में कई बार ऐसा अवसर उपस्थित हुआ है जब कि कोई विषय सभी प्रकार की विचारधाराओं का समन्वय करता है। मेरा विचार है कि आज जो श्री रामगोपाल गुप्त ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह सदन के सभी अभिभावकों, सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा प्रस्ताव लाने के लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

आज प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या आज एक ऐसा कमीशन बिठाया जाय जो आमूल चूल हमारे प्रदेश के सरकारी प्रशासन के आवरण की जांच करे? यह जांच कोई सरकारी नीतियों की नहीं होगी, यह जांच किसी केबिनेट की या मंत्री विशेष का इंडिक्टमेंट करने की नहीं होगी, यह जांच कोई फाइव ईयर प्लानों के उसूलों की नहीं होगी या फायनेंशियल टारजेट्स को बदलवाने के कार्य की नहीं होगी, केवल मात्र यह होगी कि जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो शासन की इकाइयां जिला स्तर से लेकर प्रदेश के स्तर के विभिन्न अंगों में कार्य कर रही हैं, वह समाज की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है या नहीं? उनकी पूर्ति करती है या नहीं? यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि अच्छे से अच्छे साध्य भी, जब तक अनुरूप साधन नहीं होंगे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें प्रजातंत्र में समाजवादी समाज का निर्माण करना है, हमें डेमोक्रैटिक सोशलिस्टिक सोसाइटी का निर्माण करना है और सब लोगों को इसको दुहराना है। अब प्रश्न यह उठता ह कि आज का सरकारी शासन एक सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर बनाने के लायक है या नहीं? हम कितने ही सुन्दर प्लान बना दें, अगर हमारी शासन की इकाइयां उस आब्जेक्टिव तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिये साधन नहीं होती हैं तो हमारा सारा प्रयत्न चाहे किसी पार्टी के द्वारा किया जाय, चाहे कितने ही सुन्दर नेतृत्व के द्वारा किया जाय, सफल नहीं हो सकता है।

मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अभी सरकार का दृष्टिकोण यहां स्पष्ट किया उसमें उन्होंने इस बात को माना कि जो उद्देश्य इस प्रस्ताव का है वह सही है, लेकिन कमीशन बनना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? कोई कारण उन्होंने नहीं बतलाया। सिर्फ उनका कहना यह है कि अगर यह नौकरशाही चल नहीं सकती है तो फिर इसका सुधार ही क्या होगा? अगर कोई डाक्टर किसी दवा को कहता है कि यह निकम्मी है तो आल्टरनेटिव प्रेस्क्रिप्शन भी तो देता है। मैं जानना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से, बड़ा पुराना उनका पार्लियामेंटरी कैरियर रहा है, सैकड़ों कमेटियों की उन्होंने सदारत की होगी, कि अगर कमीशन इसकी दवा नहीं है तो क्या दवा है? रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर का एप्वाइंटमेन्ट है दवा? मिस्टर के० के० दास, आई० सी० एस० का एप्वाइंटमेंट है दवा? चीफ़ मिनिस्टर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के पास एक उन्हीं के अफ़सर द्वारा कोई फ़ाइल भेज देना है दवा ? या जो असेम्बली में हम लोग बहस कर रहे हैं यह है दवा ? तो कोई दवा भी तो उनको बतलानी चाहिये। हम लोग इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ? कोई अविश्वास का मोशन तो आपके खिलाफ ला नहीं सकते। हमारा तो यह कहना है कि सम्पूर्ण इकाइयों को बदलने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यह केवल प्रदेशीय स्तर की बात नहीं है, आल इंडिया लेविल पर भी इसको सोचना चाहिये, केवल गोरखाला कमेटी या एपिलबाई कमेटी से काम नहीं चल सकता। यहां तो करप्शन दूर करने के लिये पीसमील काम होता है। मिसाल के लिये करप्शन की ज्यादा शिकायत आयी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिव्यूनल बना दिया और हमको सन्तोष दिला दिया कि हमने एक हाई पावर का ट्रिव्यूनल बना दिया। फिर थोड़ी सी नाराजी और बढ़ी तो कह दिया कि हमने हर जिले में एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) मुकर्रर कर दिया है। अगर कहीं पी० डब्ल्यू० डी० के खिलाफ़ शिकायत हुई तो गोरखपुर में एक छोटी सी कमेटी बिठा दी। तो सरकार का आज तक पीसमील ऐक्शन लेने का तरीका रहा है। लेकिन सम्पूर्ण रूप से जो स्ट्रक्चुरल चेन्जेज करने चाहिये उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, और इसलिये आज चाहे सरकार कलेक्टोरेट का रिआर्गेनाइजेशन करे, चाहे सेक्रेटेरियट का रिआर्गेनाइजेशन करे, चाहे बोर्ड आफ रेवेन्यू का रिआर्गेनाइजेशन करे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये रिआर्गेनाइजेशन की योजनायें फिर रिआर्गेनाइज होंगी, क्योंकि एक सोशलिस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो पैटर्न होना चाहिये उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति यह नहीं करतीं।

आज प्रदेशीय स्तर पर तो प्रजातंत्र सरकार है लेकिन जिले के स्तर पर सर्वशक्तिमान कलेक्टर है और तहसील के स्तर पर सर्वशक्तिमान एस० डी० ओ० है। अधिकारों का विकेन्द्रीकरण सेक्रेटेरिएट में तो हो जाता है लेकिन वैसे इट इज मोर सेन्ट्रलाइजेशन इन ऐक्शन। एक तरफ सेक्रेटेरियट के अफसरों के हाथ में इसका केन्द्रीयकरण है और दूसरी तरफ़ जिनको एक्सपर्ट्स कहा जाता है उनके हाथ में है। और तारीफ़ तो यह है कि जिस बंगाल की कमेटी के आधार पर यह फैसला किया गया वहां यह कतई लागू नहीं हुआ। श्रीमन्, मैं श्री के० के० दास की योग्यता के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, उनकी योग्यता में मुझे पूरा विश्वास है। मैं उनकी योग्यता में कोई शंका नहीं करता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर साहब के प्रपोजल्स थे उनक साथ कुछ लेजिस्लेचर्स शामिल नहीं किये जा सकते थे ? क्या उनके साथ कुछ और व्यक्तियों को, जिनको कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स हो उनको, शामिल नहीं किया जा सकता था ? केवल एक रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर, जो कि उस मशीनरी का ही एक अंग है जिसका कि हम संशोधन करने जा रहे हैं, उसके हाथ में यह सारा काम सौंप देना कहां तक ठीक था यह आप सोचें। आई० सी० एस० का कैडर किसने स्थापित किया ? वह तो इम्पीरियलिज्म के स्ट्रक्चर को मुकम्मल करने के लिये स्थापित किया गया था और अब आप कहते हैं कि इंडियन सिविल सर्विस तथा प्रांविंशियल सिविल सर्विस के लोगों ने अपने को ऐडजस्ट कर लिया है। जो प्रणाली समाजवाद के लिये बनाई नहीं गई, जो गुलामी की व्यवस्था के लिये बनाई गई है आप देखें कि वह कैसे अपने को ऐडजस्ट करे ? यह व्यवस्था ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है कि जो उसी व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, यह समाजवादी व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते।

श्रीमन्, मैं रूस और चीन का अनुकरण करने के लिये नहीं कहता, लेकिन आप देखें कि रूस और चीन में समाजवाद स्थापित करने के लिये उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल दूसरा पैटर्न रखा। उन्होंने पोलिटिकल आफिसेज और ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसेज को बहुत मानों में एक कर दिया। मैं यह नहीं कहता कि आप भी वही सब करें, मैं नहीं कहता कि आप मुझे डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ बना दें, मैं यह नहीं कहता कि आप मुझे मिनिस्टर भी बना दें और सेक्रेटरी, मेडिकल हेल्थ भी; लेकिन एक तरफ अमरीकन माडेल भी है। उसको आप देखिये कि

जहां एक बार सरकार बदलने के साथ-साथ ३०-३० हजार आदमी बदल जाते हैं। उन्होंने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिये एक नया स्ट्रक्चर बनाया। ब्रिटेन में एक महत्व की बात है कि वहां का जो परमानेन्ट सिविल सर्विस या दूसरी सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है वह इंडिया के स्ट्रक्चर से भिन्न है। उन्होंने अपने यहां से भिन्न एक स्ट्रक्चर हमारे यहां रखा और हम आज भी उसी स्ट्रक्चर का पालन पोषण करते चले जा रहे हैं। यह उन्होंने हम को गुलाम बनाये रखने के लिये कायम किया था, लेकिन हम आज भी ब्रिटेन की तरह पर इसको बदलने नहीं जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है। इसलिये नहीं कि हमको सन्तोष हो जाय, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि अगर आप सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के लिये सिन्सियर हैं, सोशलिस्टिक सोसाइटी के लिये सिन्सियर हैं तो आपको इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा।

श्रीमन्, प्रस्तावक महोदय ने इसमें जो त्रुटियां और सुधारों की आवश्यकता और आय-व्यय के ब्यौरे में तमाम बातें कहीं, वह तो हैं ही, मैं साथ में यह भी कहूंगा कि अगर हम को यह कमीशन बनाना है तो इसमें हमें जो सरकारी कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन्स हैं और एमालूमेंट्स आदि के बारे में जो कई प्रश्न हैं, जिनसे विभिन्न स्तरों के विभागों में जो हार्टबर्निंग हुआ करती है, तथा जो रेशनलाइजेशन की बात है सर्विसेज में, उस सबको भी इसमें विचार करना होगा। एक तरफ तो सेक्रेटेरियट का रिआर्गनाइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत से दफ्तरों का आर्गनाइजेशन ही नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है। मिसाल के लिये आप ट्रान्सपोर्ट विभाग को देखिये। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के आफिस का आर्गनाइजेशन ही अभी तक नहीं हो पाया है, रिआर्गनाइजेशन कैसे होगा? तो हमारी प्रान्तीय सरकार की नीति ऐसी है कि उसके कुछ दफ्तरों का तो रिआर्गनाइजेशन हो रहा है और कुछ का आर्गनाइजेशन ही नहीं हो पाया। तो यह अनारकी जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की है, उसको हम दूर करेंगे या नहीं? यह क्या कोई शिकायत की बात है? मैं समझता हूं कि यह एक वास्तविक तथ्य हमारे सामने है।

एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि सरकार का जो अपना आइडिया सेन्ट्रलाइजेशन, शक्ति के केन्द्रीकरण की ओर है, वह भी स्पष्ट नहीं है, जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा था और माननीय वाजपेयी जी ने भी कहा, सरकार अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाती है कि हम कितनी शक्ति ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को दें और कितनी शक्ति फाइनेन्स डिपार्टमेंट को दें और कितनी शक्ति हेड आफ दि डिपार्टमेंट को दें। एक तरफ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सर्वशक्तिमान बना हुआ है, बजट मैनुअल पुरानी ही है, जो डेवलपमेंट नीड्स को पूरा नहीं करती, वही है जो सन् ४७ के पहले थी, किसी भी ५०० रुपये से ज्यादा के आइटम के लिये फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास दौड़ना पड़ता है और महीनों तक वह स्कीम पड़ी रहती है और जब रुपया रिलीज होता है तो पता चलता है कि ३१ मार्च बहुत नजदीक है, तो यह हालत फाइनेन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन की है।

दूसरी तरफ हालत यह है कि आप कमिश्नरों को ले लीजिये। जो अभी डिपार्टमेंटल कमिश्नर बनाये गये हैं कि उनके क्या अधिकार हैं? अगर उनसे पूछा जाय कि उनके क्या अधिकार हैं तो वे कहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारी सारी शक्ति सेक्रेटेरियट में है। अगर कोई नागरिक इन्साफ मांगने आता है तो उसको पता नहीं चलता है कि उसको कहां से इन्साफ मिलेगा। क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी तक, उसको मालूम नहीं होता है कि किससे बात करे। ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे से रिपोर्ट मंगाई है और नीचे वाले कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है ऊपर वाले ही इसमें कुछ कर सकते हैं। समझ में नहीं आता है कि उसको कहां से न्याय मिले?

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसलिये इस प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते में विनम्र शब्दों में लेकिन अपनी सारी शक्ति के साथ , माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने निश्चय पर पुनः विचार करें। वह कोई कमीशन न बनायें, और न कोई कमेटी बनायें, लेकिन कोई न कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे यह शासन ठीक हो । वह खुद ही कमीशन के सदस्य हो जायं और अपना सारा समय इसमें लगायें तभी शायद वह न्याय कर पायें। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी सारे सदन की एकमत से जो राय है इस सम्बन्ध में, उसको नहीं ठुकरायेंगे। इतना कार्य आप करें फिर कोई फैसला ले लिया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय गुप्त जी ने आज अपने प्रस्ताव के द्वारा ऐसा विषय इस सदन में प्रस्तुत किया जो अपनी जगह पर बहुत महत्व का है। इस विषय पर बहुत से साथियों ने अपने विचार रखे। मैं समझता हूं जहां तक इसका मौलिक आधार है उसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती हैं। प्रायः सभी जानते हैं कि आज जो हमारे देश और प्रदेश में शासन प्रणाली है, वह जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं और जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिये बहुत उपयुक्त नहीं है। यह सही बात है। आज से नहीं बल्कि जब से कांग्रेस ने इस देश के अन्दर आजादी का आन्दोलन छेड़ा था तब से सारे बड़े-बड़े नेताओं ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि यह जो नौकरशाही है, यह हमारे देश के शासन के लिये उचित और मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि अंग्रेजी जमाने में इसका अपना उपयोग रहा हो और अंग्रेजों ने उसका उस तरह इस्तेमाल भी किया जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा, कि अंग्रेजों का मन्शा साम्राज्यवादी था और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाये रखने के लिये यह ढांचा बनाया था; लेकिन आज हिन्दुस्तान को १० साल आजाद हुये हो गये और इस १० साल के बाद भी, यह तो मैं नहीं मानता हूं कि उसमें चेन्जेज करने की कोशिश नहीं की गयी, कोशिश की गयी और स्वयं प्रस्तावक महोदय ने इस बात को माना है कि १ नहीं, ३-३ बार सेन्टर ने कमेटी बिठायी जिसकी रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने पेश हुई। एपिलबी कमेटी और गोरवाला कमेटी का जिक्र यहां पर किया गया। अगर मेरी याददाश्त काम करती है तो श्री आयंगर की अध्यक्षता में भी वहां पर एक कमेटी बनी थी जिसने जांच की। बहरहाल उन दोनों कमेटीज की रिपोर्ट पढ़ने का मुझे भी मौका मिला है। इनके कमेन्ट भी मैंने पढ़े हैं। जब कोई बाहर से हमारे यहां की शासन प्रणाली की जांच की बात करता है तो उसको कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता कि कोई बाहर का एक्सपर्ट आकर हमारी गवर्नमेन्ट को किसी किस्म की एडवाइस नहीं कर सकता। यह भी अपनी जगह पर सही है कि जो कांस्टीट्युशन हमने बनाया है यह भी कोई, हमारी जो पुरानी प्रथायें और परम्परायें रही हैं, उनके आधार पर बनाया नहीं गया। हमने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया अपने देश के अन्दर, यह भी हमारे देश की देन नहीं है, बल्कि इंगलैण्ड की देन है और दूसरे देशों की देन है। हमारे कांस्टीट्युशन में भी हम देखते हैं कि बहुत कुछ इंगलैंड से लिया गया है और बहुत कुछ अमेरिका से लिया है। तो जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम आफ डेमोक्रेसी की प्रथा है उसके साथ-साथ उसकी जो शासन प्रणाली है वह भी सेट है। इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता कि श्री एपिलबी की रिपोर्ट कहां तक उचित है। वे बाहर से आये थे, केन्द्रीय सरकार ने उन्हें बुलाया था। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और रिपोर्ट वहां तक तैयार की। सही है। अब जहां तक प्रदेश का सवाल है उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहां सर्वश्री गोपालकृष्णन्, एस० एस० खेरा और के० के० दास साहब की रिपोर्टें आईं। बहरहाल मैंने तीनों में से कोई भी रिपोर्टें नहीं पढ़ी है, यह मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं और दास साहब की रिपोर्ट के क्या डिटेल्स हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं कि बावजूद इसके कि श्री के० के० दास हमारी सरकार के बड़े योग्य अफसर हैं, वे पुराने आई० सी० एस० हैं, इस बात को समझने में मुझे कठिनाई होती है कि एक पुराने आई० सी० एस०, जिनका मेन्टल एप्रोच, जिनकी मेन्टल ट्रेनिंग, जिनकी अब तक की जिम्मेदारियां जो बिल्कुल

भिन्न रही हों उनसे जो आज के इस प्रदेश के प्रजातांत्रिक शासन के कारण बढ़ी हैं, उनके ऊपर वह भी केवल उन्हीं एक ही व्यक्ति पर छोड़ देना, कि वे हमारे प्रशासन का पुनस्संगठन कर दें, मुझ सन्दह ह कि हम कहां तक इसम कामयाब हो सकत हैं। हो सकता है कि कुछ पेचवर्क हो जाय, कुछ एकोनामीज १०, २० हजार या एक दो लाख रुपये की हो जाय, लेकिन जैसा कि सदन ने कहा कि हमको एक आमूल परिवर्तन की जरूरत है वह नहीं हो सकेगा। हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू की इस सिलसिले में क्या ओपीनियन है उसको भी हमारे साथी जानते हैं। वे कहा करते हैं, एक दफे नहीं २० दफे कहा कि यह मशीनरी बड़ी हाल्टिंग, जर्किंग, क्रेकिंग और डाइंग है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा करते थे, यद्यपि वे अंग्रेज कौम से मुहब्बत करते थे, कि यह ब्योरोक्रेसी सेटेनिक तथा मर्डरस है। इसक बावजूद भी हम देखते ह कि कुछ परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आईं और ऐसा हुआ कि देश के सामने एक के बाद एक ऐसी कठिन समस्यायें आती गईं कि जिस हद तक कि हमको नौकर-शाही को बदलना चाहिये था, बावजूद नेकनियती के और कोशिश के, उस हद तक हम इस ब्यूरो-क्रेसी को बदल नहीं पाये। यह भी अपनी जगह पर सही है और कम से कम मेरी अपनी तो यही भावना है कि इन दस सालों के अन्दर नौकरशाही मजबूत होती गई है और होती जाती है। दास साहब की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी रिपोर्ट के लिए, जो अच्छे पार्लीयामेन्टेरियन्स हों या शासन में अनुभवी हों उनकी एक कमेटी बना दी जाय। यह रिपोर्ट कैबिनेट के सामने जरूर गई होगी। उसकी बात तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोगों को भी सोचने समझने और उस पर अपनी राय तथा सुझाव देने का मौका मिलता तो अच्छा होता। लेकिन खैर, यह तो अलग की बात रही।

एक्जाम्पिल के तौर पर मुझे मालूम हुआ है कि दास साहब ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि एस० डी० एम० साहबान क ट्रान्सफर का वास्ता मंत्रियों से न रहे बल्कि वह बोर्ड आफ रेवन्यू ही करे। मैं इसको बड़ी भारी शिकायत की बात तो नहीं मानता लेकिन म समझता हूं कि आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट सर्विसेज अपने आपको इन्डेपेन्डेन्ट करना चाहती हैं और हर बात के अन्दर वे कोशिश करते हैं कि इन्डेपेन्डेन्ट होते चले जायं। एक छोटी सी बात हमने यह भी देखी कि जो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर साहबान होते थे उनके यहां एक पोस्ट स्टेनो की ऐसी होती थी कि उस पर वह अपनी च्वायस के व्यक्ति को एप्वाइन्ट कर सकते थे। मगर अब शायद वह भी खत्म कर दी गई है। हमको मालूम हुआ है कि उनके लिये भी सचिवालय से ही आदमी आयेंगे। मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेज में, जनतंत्रीय शक्तियों में, जिनका बहुत हद तक हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें और सर्विसेज में एक तरह का संघर्ष सा चल रहा है। यह चीज इस जनतन्त्र के लिये ज्यादा अच्छी नहीं है, और आगे चलकर घातक सिद्ध हो सकती है।

एक चीज मैं जरूर देखता हूं उसे चाहे हमारी बदकिस्मती कहिये या खुशकिस्मती, कि हम डेमोक्रेसी के लिये कमिट हो गये हैं। मेरा विचार है कि डेमोक्रेसी से ज्यादा किसी तरह की गवर्नमेंट भी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन हम उसके लिये कमिट हो गये हैं और उसी में हमारा विश्वास भी है। दूसरे इसके अन्दर जो काम होता है वह इस कदर जिगजेग वे में, इस कदर भूल-भुलैयों में चलता है कि उसको समझना कठिन हो जाता है। एक-एक काग़ज ६–६, ७–७ टेबिलों पर होकर जाता है और एक ही कमरे में आमने-सामने बैठे हुए सेक्रेटरी, या असिस्टेंट सेक्रेटरी के बीच एक दूसरे के पास कागज को पहुंचने में २–२, ३–३ दिन लग जाते हैं। इस लाल फीते के कारण बड़ा विलम्ब होता है।

तीसरी चीज डिपार्टमेंटलिज्म है। हम आज जिस विभाग में हैं, उसके लिये हमारी यह कोशिश होती ह कि वह विभाग इंडिपडेंट रहे, उस पर किसी का शासन न हो, खुदमुख्तार हो और अगर वही आफिसर फिर किसी दूसरे विभाग में चला जाता है तो वहां उसका इटरेस्ट पैदा हो जाता है, जिसके कारण सही कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता। डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन हर विभाग में इस बात की होड़ लगी हुई है कि जितना स्टाफ बढ़ाया जा सके बढ़ाया

[श्री नवलकिशोर]

जाय और वह भी खास तौर से डेवलपमेंट और प्लानिंग के नाम पर। अगर किसी डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि हमारा एक डिप्टी डायरेक्टर जोनल हो तो हर विभाग यही कोशिश करेगा कि उसके यहां भी जोनल डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी कमिश्नर हो। वह सोचता है कि हमारी एफीशियेंसी कहां और किससे कम है। इस किस्म की होड़ हर विभाग में लगी हुई है और यही कारण है कि विभागों में आपस में कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। हमें यह मान कर चलना चाहिये कि उत्तर प्रदेशीय सरकार एक यूनिट है, उसके विभिन्न विभाग हैं, लेकिन ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी हैं मेरा निश्चित खयाल है कि कोआर्डीनेशन से काफी बचत भी हो सकती है।

इस सम्बन्ध में एपिल-बी रिपोर्ट में एक बात यह भी कही गयी है कि सेक्रेटरियों की मंथली मीटिंग्स हुआ करें और उन मीटिंग्स में वे यह तय करें कि उनके यहां काम का कितना डिसपोजल हो, कितना बाकी है और क्यों, क्या बाटिलनेक्स हैं और उनको आपस में विचार विनिमय करके शीघ्र ही वह बहुत सी बातों को डिस्पोज आफ कर सकते हैं। बहरहाल, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। यह भी हमारे ध्यान देने की बात है।

एक बात एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और है जिसको मैं दो पहलुओं से देखना चाहता हूं। एक तो सिस्टम है उसमें किसी दो ओपीनियन्स की बात नहीं हो सकती। दूसरी एक और काबिले जिक्र बात आ गयी जिसका ताल्लुक पर्सोनल से है। पर्सोनल के बारे में मेरा कहना यह है कि हर फील्ड में और हर विभाग में काबिल से काबिल और ईमानदार से ईमानदार आफीसर्स हैं। ऐसे आफीसर्स हैं जिनके लिये मैं समझता हूं, हमको और आपको गर्व हो सकता है। उनके अन्दर कुछ ब्लैकशीप भी हैं। परन्तु इन बातों के अन्दर इस वक्त जाना उचित नहीं है, क्योंकि बजट के मौके पर इस तरह की बहुत सी बातें हम लोगों के सामने आ चुकी हैं और सम्भवतः यह इस प्रस्ताव की परिधि में नहीं आता है। आज तो हमें सिर्फ देखना यह है कि वे कौन से तरीके इस्तेमाल किये जायं जिससे इस प्रदेश के अन्दर जो शासन प्रणाली है उसके अन्दर इस तरह की तब्दीली हो कि आज हमारे प्रदेश का जो गरीब से गरीब किसान है, जो देहातों के अन्दर बैठा हुआ है वह भी इसे महसूस कर सके। मान्यवर, आज उसको इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि हम कितनी बड़ी-बड़ी योजनायें बनाये हुए हैं। उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाखरा नांगल डाम क्या है। उसको तो इंटरेस्ट है नत्थू नाम के चौकीदार से, जो उसके गांव में रहता है और कल्लू नाम के उस कांस्टेबिल से कि उसके साथ उसका क्या बर्तावा है जिससे कि उसका रोज का वास्ता पड़ता है। उसका वास्ता तो सूबे की हमारी सर्विसेज के उन छोटे-छोटे कैडर से है, जिनके साथ उसका वास्ता अदालतों वगैरह में पड़ता है, उस सबको बदलना है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को नहीं सुन सका और मैं नहीं जानता कि वह कमीशन बनावेंगे या क्या करेंगे और मैं इस पर भी वजिद्द नहीं हूं कि उसमें किस-किस को रखा जाय, क्योंकि मैं कई कमीशन्स के बारे में जानता हूं कि उनसे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। जैसे एजूकेशन के सम्बन्ध में कितने कमीशन बने और उनके लिये यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के नेतृत्व में वे कमीशन बने जिनको देश के सर्वोच्च शिक्षाशास्त्री कह सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी शिक्षा प्रणाली में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की तीन कमेटीज बनायीं, जिनकी रिपोर्ट हमारे सामने आयीं। इस प्रदेश में भी कमेटी बनायी गईं। अब कमेटी बनाई जायं या कमीशन बनाया जाय, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन यह जरूर है कि यदि कोई कमेटी या कमीशन बने तब वह थोड़ा व्यापक हो, वह महदूद न हो। चन्द आदमियों के अन्दर, स्पेशली सरकारी कर्मचारियों के अन्दर ही, हां, उसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और अपनी बात रखने का उनको भी मौका मिलना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनको बहुत बड़ा अनुभव है और उसका फायदा उठाना चाहिये। मगर अन्य अनुभवी व्यक्तियों को भी उसमें शामिल किया जाये। सेट-अप की तब्दीली की तरफ ठोस कदम उठना चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अधिष्ठाता जी, मैं हमीरपुर जिले के उन माननीय सदस्य, जिन्होंने इस प्रश्न को इस आदरणीय सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है, के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। किसी देश के उत्थान के लिए, विशेषकर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जहां है वहां यह जरूरी है कि राज्य के कर्मचारी ईमानदार हों, योग्य हों, और निष्पक्षता से काम करें। इस प्रदेश के राज्य शासन का ढंग और प्रणाली उसी प्रकार से चल रही है मोटे तौर पर जैसी कि सन् १९४७ के पहले चल रही थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सन् १९४७ के पहले जो राज्य कर्मचारी थे उनके सुपुर्द दो प्रकार के कार्य थे। एक था देश की सेवा करना और दूसरा था देश पर राज्य करना "सर्व दि पिपुल, रूल दि पिपुल"। आज राज्य करने वाला हिस्सा समाप्त हो गया है, राज्य करने का हिस्सा उनसे निकल गया है। लेकिन उन की जो लिस्ट आफडच्युटीज हैं, चाहे वे कलेक्टर हों, चाहे वे कमिश्नर हों, चाहे वे किसी विभाग के अधिकारी हों, या सरकार के किसी विभाग के सचिव हों, उस में कोई अन्तर नहीं आया है, कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि इजाफा हुआ है। उनके काम का एक जुज, जो राज्य करने का था, वह आज उनके सुपुर्द नहीं होना चाहिए। मुझे इस सिलसिले में जो प्लानिंग कमीशन की ओर से कुछ हल्की सी जांच करायी गयी है और जो ऐपिलबी रिपोर्ट का हवाला इस सदन में दिया गया है उसे सरसरी तौर पर देखने का मुझे इत्तिफाक हुआ है। लेकिन इन रिपोर्टों के बीच में न जाकर जिस तरह से इस प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है उसको ठीक तौर से समझने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इन रिपोर्ट्स का हवाला दिया जाय या उनसे कोई मुकाबला किया जाय। मैं अपनी निजी जानकारी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शासन व्यवस्था पहले चलती थी वही ढंग आज भी उसका है, और जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं किया जायगा तब तक जो हमारे लक्ष्य हैं, जो इस राज्य के ध्येय हैं, जिन ध्येयों की कुछ झलक प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में आती है, जो मन्सूबे हमने अपने सामने रक्खे हैं, उनकी पूर्ति होने में मुझे बड़ा सन्देह है।

मैं मिसाल के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक जमाना था, बहुत दिन की बात नहीं है, थोड़े समय की बात है, कि जब राज्य सरकार के काम बहुत सीमित थे, एक लिमिटेड फील्ड था, एक लिमिटेड स्कोप उसकी ऐक्टिविटीज का था, लेकिन आज जिन्दगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां सरकार का कुछ न कुछ दखल न हो। बहुत वाइड फील्ड हो गया है। यही नहीं बल्कि वह दिनों दिन विस्तृत होता चला जा रहा है। इस फैलाव के साथ कार्य-कुशलता में कोई फर्क नहीं आया। मैं यह मानता हूं कि एफीशियेंसी को बढ़ाने के लिए विकेन्द्रीयकरण या डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए। राज्य की शासन व्यवस्था का ढांचा आज भी उसी आधार पर चलता है जिस पर आज से दस बीस साल पहले चलता था और वह आधार है सेन्ट्रलाइजेशन का, केन्द्रीयकरण का। इस मंगलकारी राज्य में प्लानिंग कमीशन ने जो बहुत से लक्ष्य सामने रखे हैं, उनकी सफलता की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के कार्यों का विकेन्द्रीयकरण हो, साथ ही कार्यकुशलता में अन्तर न आये। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी खोजबीन, जांच और लोगों से सलाह लेकर ही, एक ठीक राय कायम की जा सकती है।

यह सब जानते हैं कि इस आदरणीय सदन में बार-बार और अनेक बार इस बात का जिक्र आता है कि इस प्रदेश के कार्यों में शिथिलता आ गयी है, कुछ ढीलापन आ गया है, एफीशियेंसी घटी है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार का भी जिक्र होता है। कम से कम यह माना जाता है कि भ्रष्टाचार को रोकने में जो सफलता सरकार को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं तो उतनी ही बात कहूंगा जो निर्विरोध है कि जो सफलता उसको रोकने में प्राप्त होनी चाहिए थी, वह नहीं प्राप्त हुई। इस फिकरे को मैं दोहराये देता हूं। मेरा खयाल है कि कहीं न कहीं कुछ कमी जरूर है, कहीं न कहीं कुछ चूल ढीली है जिसको कसने की आवश्यकता है। वह बात क्या है? यदि यह माना जाय कि उस से मौजूदा सरकार नावाकिफ है तो जो कमी है उसे निकाल लेना चाहिए था। देरी और असफलता इसका प्रमाण है कि इतनी कोशिश के बाद भी आज वह उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

इस प्रस्ताव के द्वारा जो कमीशन या कमेटी की तजवीज की गयी है मैं उस में वजन और महत्व पाता हूं, इसलिए कि उन प्रश्नों पर विचार करने के लिए कोई बात जल्दी मे नहीं हो सकती। यहां के० के० दास साहब जो रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर हैं, उनकी सिफारिशों का भी जिक्र किया गया। यह हमारी बदकिस्मती है कि वह सिफारिशें हमारे सामने मौजूद नहीं हैं और जो चीज हमारे सामने न मौजूद हो उस पर राय देना मैं मान्यवर, मुनासिब नहीं समझता हूं। वह जो भी हो, चाहे के० के० दास साहब की हो या जिस किसी की हो, लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि इन सब मामलों पर अज-सरे-नौ खास तौर से विचार किया जाय। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों पूर्व इस आदरणीय सदन को माननीय मुख्य मन्त्री ने यह सूचना दी कि सेक्रेटेरियट मे एक हजार कर्मचारी, बाबू लोग लिखने पढ़ने वाले अस्थायी हैं। यह भी मालूम हुआ कि अस्थायी कर्मचारी कोई साल छः महीने के अन्दर के नहीं हैं बल्कि छः-छः, आठ-आठ साल के, और बाज-बाज दस साल से ज्यादा से अस्थायी चले आ रहे हैं। यह सभी मानेंगे कि एक आदमी जो मुस्तकिल हो और दूसरा जो गैर-मुस्तकिल हो, दोनों की कार्यकुशलता में फर्क होगा। क्या कारण है कि विभाग बढ़ते चले जा रहे हैं, काम बढ़ता चला जा रहा है, काम के अनुसार कर्मचारी बढ़ते चले जा रहे हैं? वर्क लोड, अगर मैं एक कारखाने का शब्द इस्तेमाल करूं, एक कर्मचारी दिन भर में कितनी फाइलें डील करेगा, कितने केसेज करेगा, कितने कागज टाइप कर सकता है, यदि इस बात का पूरा ज्ञान हो तो जहां पर साल भर गुजरा, दो साल गुजरे, कोई कारण नहीं कि उनको मुस्तकिल न कर दिया जाय? अस्थायी रखने से काम में शिथिलता आती है। सरकार के सचिवालय में खुद एक इतनी बड़ी मिसाल है जो इस बात की जरूरत को पेश करती है और ताईद करती है कि इन मामलात की पूरी तौर पर जांच की जाय। इसलिए मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय हमीरपुर जिला के सदस्य ने उपस्थित किया है मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—अधिष्ठाता महोदय, मैं जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संकल्प में जो उद्देश्य निहित है उस सम्बन्ध में हमारे माननीय मन्त्री जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है और जो दूसरा अंग है कि उसके लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाय इस सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ अपना खयाल जाहिर किया है। वास्तव में, श्रीमन्, अगर देखा जाय तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान शासन प्रणाली है यह ब्रिटिश सरकार की देन है। वही प्रणाली आज तक चली आ रही है जो १९४७ के पहले थी। यह सही है कि सन् १९४७ के बाद जब अपने देश में अपनी हुकूमत हुई तो उस पैटर्न में एक प्रकार की पैचिंग की गयी, पैवन्द लगाये गये लेकिन पैटर्न ज्यों का त्यों बना रहा। आज देश की आवश्यकता है, देश की मांग है, कि जब हम अपने देश में एक सोशलिस्ट समाज की रचना करने जा रहे हैं तो हमको एक ऐसा आमूल परिवर्तन अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लाना है जो कि सोशलिस्ट समाज की रचना में सहायक हो सके।

जैसा कि श्रीमन् को स्वयं मालूम है, बजट पर इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की गयी। यह भी बतलाया गया कि आज सारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रही है, सर्विसेज के हाथ में जा रही है। जब सारी शक्ति सर्विसेज के हाथ में जायगी, तो डेमोक्रसी को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है और विशेषकर उस अवस्था में जब कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में मैन और मैटीरियल दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का यह ढंग है कि उसमें ग्लेमर होता है, उस में रेड टेपिंग होती है, वेस्ट होता है, उस में ह्विम्स (whims) होते हैं, उसमें डिपार्टमेंटलिज्म क्रिएट करने की एक भावना होती है और उनका जो दृष्टिकोण है, जो ऐप्रोच है वह डेमोक्रसी से बिलकुल भिन्न है।

एक ओर हम डेमोक्रैटिक सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना के लिए संकल्प कर बैठे हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा संघर्ष बराबर ब्यूरोक्रेसी से होता जा रहा है, तब हमें खतरा है कि ऐसा न हो कि इन सामन्तशाही शक्तियों से टक्कर खा कर हमारी डेमोक्रेसी चकनाचूर हो जाय। बिलकुल उसी तरह की मिसाल है जिस तरह पहले देश के अन्दर पंचायत राज की स्थापना थी और वह पंचायत राज मुसलमानों के जमाने तक भी कायम रहा। लेकिन ज्यों ही ब्रिटिश के कदम आये और सामन्तशाही राज्य की स्थापना हुई तो वह हमारी शासन की इकाई जो कि डेमोक्रेटिक और विकेन्द्रीयकरण के आधार पर स्थापित थी सब चकनाचूर हो गयी। हो सकता है यही खतरा हमारी इस डेमोक्रेसी को भी इन से हो। सही है, हमें इन्डिविजुअल्स से कोई ताल्लुक नहीं, सभी अफसर हमारे भाई हैं, सभी अफसर हमारे अच्छे हैं और उनके हृदय में भी देश के प्रति प्रेम की भावना होगी, यह मुझे विश्वास है। लेकिन मेरी शिकायत तो सिस्टम से है। एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिस में कोई अगर अच्छे से अच्छा आदमी भी पहुंच जायगा और चाहे जो भी भावना ले कर पहुंचेगा, उस सिस्टम के अनुसार काम करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए जरूरत है कि चाहे यही लोग रहें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो सिस्टम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह बदला जाय। उस बारे में, श्रीमन्, हम लोग भी अपनी राय रखते हैं, कुछ अनुभव ऐडमिनिस्ट्रेशन का भी है, कुछ अनुभव देश के अन्दर एक सोशलिस्ट समाज की रचना करने के फन्डामेंटल्स के बारे में भी है। और किस तरह से सर्विसेज को सोशलिस्ट समाज के अन्दर ऐडजस्ट किया जा सकता है, उसका भी हमें ख्याल है। तो क्या मुश्किल है, श्रीमन्, यदि एक कमीशन ऐसा बना दिया जाय या कमेटी बना दी जाय कि जिसमें हम लोग भी अपनी राय रख सकें। तो मुमकिन है, आप का मौजूदा जो स्ट्रक्चर है और जिस के बारे में इत्तिफाक राय से यह चर्चा है, इसमें आमूल परिवर्तन लाकर के ऐसा बनाया जाय जो आज के समाज में ऐडजस्ट हो सके। श्रीमन्, अभी जो कुछ हमारे माननीय पालीवाल जी ने कहा, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। क्या आप आशा रखते हैं, चाहे वह गोपालकृष्णन् की रिपोर्ट हो, चाहे सूचा सिंह खैरा की हो, क्या उनसे आशा रख सकते हैं, जिनका ऐंगिल आफ विजन ही दूसरा है, जो चीज वह देखेंगे अपने दृष्टिकोण से देख कर के आप के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, न कि आप के दृष्टिकोण से। उनसे क्या आप आशा करते हैं कि जो आपका सामन्तशाही ढांचा है जिस में हम ने अब तक पैचवर्क किया है, क्या वे उसको बदल सकेंगे? वे तो वही करेंगे जिस में ब्यूरोक्रेसी को शक्ति मिलती जाय। हम उन पर एतबार नहीं कर सकते। हमको विश्वास अपने पर है, जनता पर है, और जनता के नुमाइन्दों पर है, इनका ऐसे कमीशनों में रहना जरूरी है। आखिर उद्देश्य जो इस संकल्प का है वह यह है कि हम एक ऐसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहते हैं जो एफीशियेंट हो, जिस से जनता और उनके बीच में जो एक बड़ी भारी खाई खुद गयी है वह पट जाय, और हमारे इस सोशलिस्ट समाज की रचना में पूर्ण रूपेण सहायक बन सके।

श्रीमन्, जिला स्तर पर देखिये एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में उसके लिए कहा गया था "लायन अन्डर दि थ्रोन"। आज वह ग्रेटर लायन है। आज सारी शक्ति उसके हाथ में सेन्ट्रेलाइज्ड है। अगर वह उंगली नहीं उठाता है तो चिड़िया नहीं हिल सकती। आज पब्लिक के नुमाइन्दे चिल्लाया करें मगर कुछ नहीं होगा जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट नहीं आती है, हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीमन्, मुझे एक मिसाल मालूम है। बीज के लिए तकावी की जरूरत जिले में पड़ी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत की और वह रुपया मंजूर होकर पहुंच गया। तकावी बंट गयी, लेकिन कुछ कमी पड़ गयी। उसने दूसरी मांग की और वह कमिश्नर के द्वारा गवर्नमेंट के पास आयी। वक्त थोड़ा रह गया था। कमिश्नर ने उसके ऊपर यह सवाल किया कि इसका जस्टिफिकेशन लिखो। जब तक कि वह जस्टिफिकेशन लिखा गया तब तक सीड का वक्त निकल गया और गरीब किसान हाथ मलकर रह गये, अपना खेत न बो पाये। यह रेड टेपिज्म है।

यह तो हुई डिस्ट्रिक्ट की बात। श्रीमन्, आप यहीं देखिये। यहां जो मशीनरी है प्रदेशीय स्तर पर, वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव और हेड आफ दि डिपार्टमेंट में बंटी हुई है। यहां ऐड-

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई बात हो तो आप उसको आसानी से बदल सकते हैं, उसमें इस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं जो कि आपके इरादों के माफिक हो, लेकिन एक सैद्धांतिक बात यह है श्रीमन्, कि हमारे मिनिस्टर यहां से कोई भी पालिसी, कोई भी नीति बनावें, वह नीति नीचे तक एक गांव के स्तर पर, पहुंचते-पहुंचते, उसका रूप बदल जाता है। इसी वास्ते जरूरत पड़ती है कि हम इस मशीनरी में ऐसा परिवर्तन करें कि जो हमारे मिनिस्टर कैबिनेट में बैठकर नीति निर्धारित करें वह गांव के एक रिमोटेस्ट कार्नर तक पहुंच सके। आप यह न समझें कि मैं अपनी ही बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे स्वयं कुछ थोड़ा बहुत ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां कि यह आई० सी० एस० ,पी० सी० एस०, के दृष्टिकोण रखने वाले सफल नहीं हो सकते।

मिसाल के तौर पर पंचायत राज डिपार्टमेंट है। मेरा तो चैलेंज है कि आप एक इन्क्वायरी कमेटी बिठला कर इस चीज की जांच कर लें, जिस समय वह डिपार्टमेंट एक नान-आफिशियल डायरेक्टर के हाथ में था, इतनी सफलता से चला और वही आज डिपार्टमेंट है, उसकी क्या हालत है श्रीमन्, खुद जांच करके देख लें। दूसरा है आप का इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट । मेरी आज भी यह राय है कि ऐसे-ऐसे डिपार्टमेंट जिनका घनिष्ट सम्पर्क जनता से है वह ऐसे अफसरों के हाथ में होने चाहिए जिन को कि आनरेरी आर्गनाइजेशन या वालन्टरी आर्गनाइजेशन चलाने का अनुभव हो क्या आप आशा कर सकते हैं एक आई० ए० एस० से कि वह पंचायत राज विभाग चलावेगा ? आज पंचायतों की क्या दशा है ? गांव-गांव के अन्दर बजाय इस के कि वह अन्दर आशीर्वाद कही जाय जिनके बारे में हमको बड़ा नाज है, कि हमने शासन की इकाई गांव-गांव में बिठाल दी है, आज वही गांव पंचायतें आशीर्वाद न बन कर अभिशाप बनती चली जा रही है और जनता का अविश्वास बराबर ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हटता जा रहा है।

ऐडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच एक बड़ी भारी खाई खुदी हुई है। यह खाई कब पट सकती है ? तभी श्रीमन्, जब यह सरकार इसके बारे में कुछ ऐसा इरादा करे कि एक कमेटी या कमीशन या कोई दूसरा तरीका जो उनकी समझ में आये इस तरह का बिठाले जिससे कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारे दृष्टिकोण उनके पास पहुंच जायं और उस आधार के ऊपर अगर वह कुछ इसके बारे में विचार करें तो मुझे आशा है कि बहुत कुछ सफलता मिल सकती है।

आज श्रीमन्, हम निर्माण के युग में चल रहे हैं । आज हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू है। उसकी सफलता के ऊपर हमारी निगाहें हैं और आज इस देश के अन्दर गरीबी को दूर करने का सबसे बड़ा सवाल है। यहां की बेकारी को दूर करने का सवाल है, यहां की जहलात, यहां की बीमारी को दूर करने का सवाल हमारे सामने हैं। जब यह बड़े-बड़े काम हमारे सामने हैं और इनका बहुत बड़ा दारोमदार हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के ऊपर है तो मुझे विश्वास नहीं श्रीमन्, कि मौजूदा जो मशीनरी है वह हमारे उस उद्देश्य को पूरा कर सकेगी।

श्रीमन्, बहुत सी बातें इस तरह की भी हैं कि जिनके बारे में कहने में कुछ हिचक भी लगती है, लेकिन नहीं, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जरा निगाह बढ़ाकर के देखें, आज वही पंचायत राज है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। श्रीमन्, उसके अन्दर अपने बजट की सेविंग से बाईस-बाईस हजार की गाड़ियां खरीद ली जाती हैं । ह्वमि के ऊपर सारी हुकूमत चलती है। एक अफसर पहुंचा और उसने कठपुतली का नाच कराया और १०-१५ हजार रुपये पर पानी फेर दिया। आज जरूरत इस बात की है कि एक-एक पैसा भी हमारा बेकार नहीं जाना चाहिये। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेसी का वह दृष्टिकोण, जिसमें अव्यवस्था हो, ग्लेमर हो, रेडटेप हो, ह्वम्सि हों, उसको खत्म करके वह दृष्टिकोण पैदा करें जिससे समाजवादी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में हम सफल हो सकें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय चेयरमैन साहब, मैं माननीय रामगोपाल जी गुप्त का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस सदन में एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया है जिसकी पिछले दस वर्षों से यहां के सभी सदस्यों को और इस सदन को जरूरत महसूस होती थी। आज उस अन्तर्विरोध को मिटाने की चेष्टा इस संकल्प के द्वारा की गई है जो अन्तर्विरोध इस सरकार और इसके नीचे काम करने वाली शासन प्रणाली में पिछले दस वर्षों से हर व्यक्ति को दिखायी दे रहा है।

कांग्रेस संस्था की परम्परा, जब से इसका जन्म हुआ, इसके आन्दोलन का उदय हुआ, हमारे देश में जनवादी रही। कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों की परम्परायें भी जनवादी रहीं और कांग्रेस आन्दोलन की परम्परायें भी जनवादी रहीं। उसकी और शासन प्रणाली की परम्परा साम्राज्यवादी नौकरशाही की परम्परा रही, उसकी परम्परा सामन्तवादी रही और उसकी परम्पराएं राष्ट्र विरोधी और जनवाद के विरुद्ध रही हैं। यह अन्तर्विरोध हमको पिछले दस वर्षों से दिखाई पड़ रहा है।

मुझे आश्चर्य है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। भावना का समर्थन लेकिन उसके रूप का विरोध, उसके असली मूल तत्व का विरोध करना मेरी समझ में कोई मतलब नहीं रखता। मैं समझता हूं कि आज का दिन इस सदन के लिये वह शुभ दिन है, चेयरमैन साहब भी इसके सहमत होंगे कि पिछले दस वर्षों में ऐसा शुभ दिन कम प्राप्त हुआ है जब पूरा सदन एक वाणी से, एक स्वर से, किसी संकल्प पर एक मत रहा हो। आज का यह शुभ दिन राष्ट्रीय एकता की भांति हमें दिखाई पड़ रहा है। शासन प्रणाली के आमूल परिवर्तन और सुधार के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसके समर्थन में बोलते हुए जो भावनायें यहां अभी तक व्यक्त की गयी हैं, इधर से या उधर से, उनमें कोई भी अन्तर दिखायी नहीं पड़ा है। मैं समझता हूं कि उसकी अहमियत को, उसके वजन को इस सरकार को महसूस करना चाहिए। इसके बाद भी अगर सरकार इस बात की धृष्टता करे या भूल करे और इस माननीय सदन की एक वाणी को ठुकराये तो यह दुर्भाग्य का दिन होगा और जनता और इतिहास इतनी बड़ी भूल को क्षमा नहीं कर सकता।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस भावना को अपने भाषण में व्यक्त किया उसमें हमें कोई सन्देह नहीं है, सरकार की भावना में कोई सन्देह नहीं है। सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार रहे, सरकार चाहती है कि गड़बड़ियां जो शासन प्रणाली में हैं वे जारी रहें, ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार की बावजूद तमाम चेष्टाओं के दस साल में कोई मूल परिवर्तन नहीं हो सका है। यही वजह है कि हमारे प्रदेश के ६ करोड़ नागरिक इस को महसूस नहीं करते हैं जिसको हमारी सरकार चाहती है कि वह उसको महसूस करें और डंडे के जोर से प्रचार करती है, लेकिन फिर भी कोई महसूस नहीं कर पाता है क्योंकि कोई परिवर्तन दिखायी नहीं पड़ता है, वह तो उस समय दिखायी पड़ेगा जब शासन की एक-एक कड़ी में माडल परिवर्तन होगा, रेडीकल चेंज होगा तब वह इस तब्दीली को महसूस करेगा, चाहे वह देहात में रहता हो या शहर में रहता हो।

नौकरशाही और सरकारों में हमेंशा से टक्कर होती आई है और अनेक देशों में इनकी टक्कर हो चुकी हैं और बड़ा दुखांत कांड हुआ है। नौकरशाही अनेक देशों की सरकारों को ध्वस्त कर चुकी है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय वित्त मंत्री जी की भावना सरकारी भावना का प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिफलेक्ट करती है तो मुझे डर है कि यहां की नौकरशाही सरकार को खत्म न कर दे। नौकरशाही के सुधार की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक लम्बा चौड़ा प्रोसीजर है, वह एक दिन में नहीं हुआ करता है।

हम यह कहना चाहते हैं कि अपने देश में जनतंत्र प्रणाली के अपनाने के बाद सभी पार्टियों ने इसको स्वीकार किया है और उन कुर्सियों पर कोई भी बैठ सकता है

[श्री झारखंडेराय]

और इस प्रणाली में इस नौकरशाही को कायम रखकर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। कोई भी वही धक्के खायगा जो आज वहां पर बैठे हुए लोगों को खाने पड़ रहे हैं। इसलिये हमारा परम पुनीत कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम इसमें परिवर्तन करने के लिये जितना हो सके, करें। सरकार बड़ी-बड़ी योजनायें बनाती हैं, कोशिश होती हैं और बड़ी-बड़ी घोषणायें भी करती हैं, लेकिन नीचे पहुंचते-पहुंचते न जाने क्या हो जाता है? हम आंकड़े सुनते हैं और ऊंची-ऊंची घोषणाओं के हम सुनने के आदी हो गये हैं लेकिन जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिये कि जनता और सरकार के बीच में एक यंत्र ऐसा है जो ठीक प्रकार की भावना के विरुद्ध है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज गांधीवाद की बात छोड़ दी गई, आज लोक कल्याण की बात छोड़ दी गई और आज समाज वाद के समाज की बात कही जा रही है। समाजवाद के पैटर्न की बात माननीय वित्त मंत्री जी की स्पीच में कही गई थी। वह बहुत दूर की बात है। इसको मुख्य स्थानों पर बैठकर वह लोग नहीं कर सकते हैं जो प्राइवेट प्रापर्टी का होर्डिंग करते हैं, जो प्रायवेट प्रापर्टीज को रखा जाना अपनी ड्यूटी समझते हैं, वह यह समझते हैं कि यह तो हमेशा रहेंगी और खुदा मिया ने इनको ऐसा कर दिया है। विभिन्नता रहेगी और छोटे बड़े भी रहेंगे, कहीं अपार धन रहेगा और कहीं कौड़ी की मोहताजी रहेगी। यह प्रापर्टी की भावना तो ईश्वर की पैदा की हुई है और हमेशा रहेगी, ऐसी भावना के रखने वाले चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे बड़े-बड़े सेक्रेटरीज हों, वह समाजवाद की स्थापना तो क्या कैपिटेलिस्ट्स डेमोक्रेसी की भी स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसलिये बड़ी गम्भीरता पूर्वक इस ओर माननीय वित्त मंत्री जी तथा सरकार को ध्यान देना होगा।

मैं एक छोटी सी बात बतलाऊं। एक पी० सी० एस० ग्रेड के अफसर से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में चरण सिंह जी आते हैं और अन्य मंत्री भी आते हैं लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मैं उनके प्रति कोई डिस्ट्रस नहीं करता हूं और उनकी सेवा में खड़ा रहता हूं और उनके प्रति कोई ऐसी बात नहीं होती जो बुरी हो। उनके प्रति मुझे सफोकेशन नहीं मालूम होता है, घुटन नहीं मालूम होती है और मुझे एक आजादी की बात मालूम होती है, लेकिन जब कमिश्नर साहब या उसी जिले के कलेक्टर साहब मेरी तहसील में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है, पता नहीं कौन जरा सी गलती पकड़ लें और मुझे मरोड़ दें। यह उ की एक भावना का परिचय मुझे मिल रहा था। एक नौजवान जो अभी अभी विद्यार्थी जीवन से निकल कर सर्विस में आया है, जो इस नये वातावरण को चाहता है लेकिन पुराना वातावरण उसको खाये जा रहा है।

आज हमारे भाई शिवशरणलाल जी ने जो बताया वह सही है। इस समाज में आज कोई आदमी अच्छा रह सकता है, इसमें सन्देह है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। एक नौजवान लड़का मेरे करीब का इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की सर्विस में चला गया। बड़ा ईमानदार लड़का था। वहां दो महीने काम करने के बाद वह मुझसे कहने लगा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि मैं किसी से रिश्वत लेता नहीं लेकिन वहां का तरीका दूसरा है, सब मुझे रिश्वत लेने पर मजबूर कर रहे हैं और मेरे न लेने से नाराज़ हैं। अन्त में मुझे इन्टरफ़ियर करना पड़ा, मैंने इंजीनियर साहब से बातचीत की तब जाकर उसकी जान बच पायी नहीं तो उसको किसी न किसी गलती में पकड़ कर निकाल देने का एक षड़यन्त्र बन रहा था। तो आज पूरी की पूरी प्रणाली सड़ गयी है। कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, इसमें मेरा मतभेद नहीं है, लेकिन जैसे एक सड़े गले मकान में कुछ धन्नियां, कुछ ईंटें, कुछ लोहे की छड़ें अच्छी हैं लेकिन जब पूरा घर ही जर्जरित है तो वह रहने लायक नहीं है, उसको ढाह देने की जरूरत है। उसके बाद उन ईंटों, उन धन्नियों और उन लोहे की छड़ों का नये जगह पर इस्तेमाल करें तो ठीक होगा। पुराने मकान में उनकी भी दुर्गति है और

जो सड़े हुए हैं उनका तो कहना ही क्या है। तो इस पुरानी सड़ी गली प्रणाली में जो अच्छे हैं वे भी सत्यानाश हैं और जो बुरे हैं वे तो सत्यानाश हैं ही। इसलिये इस बुराई को दूर करने के लिये क्रान्तिकारी साहस की जरूरत है और उसका अभाव मुझे माननीय वित्त मंत्री जी में दिखाई पड़ता है। क्या जो अंग्रेज यहां से चले गये वे लौट आयेंगे और अमरीकन हमारे मुल्क में घुस आयेंगे? हिन्दुस्तान का एक एक नागरिक कट मरेगा। फिर आप को डर किस चीज का है। नौकरशाही को खत्म करने के लिये आप रेडिकल स्टेप्स लें। यही न होगा कि थोड़ी सी एनार्की पैदा हो सकती है, थोड़ी सी उनकी ओर से अड़चनें डाली जायंगी। जिस साहस से आपने अंग्रेज का मुकाबला किया, जिस साहस से भूमि सुधार किया उसी साहस से आप यह काम भी करें और ऐसे कदम में हम सब आपके साथ रहेंगे।

जहां तक कमीशन की स्थापना का संबंध है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि केवल विशेषज्ञ ही उसमें रहें। जो रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर बनाये गये हैं वे योग्य हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज सेक्रेटरी माननीय वित्त मंत्री से कम योग्य नहीं होता था। हमें योग्यता लेकर चाटना नहीं है, हमें टेन्डेंसीज देखना है, हमें वह राह देखना है जहां पर वह व्यक्ति हमको ले जाना चाहता है। अंग्रेज हमारे लिये योग्यता की कमी के कारण आग्राह्य नहीं हुआ। हमारे देश का जो अंग्रेज सेक्रेटरी आफ स्टेट हुआ करता था वह हमारे देश के बड़े-बड़े पालिटीशियन्स से कम जानकार नहीं हुआ करता था लेकिन वह हमारे लिये अग्राह्य हुआ। तो इसलिये जो कमिश्नर साहब हैं वे बड़े योग्य हो सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा काम डाल देना गलत है। एक कमेटी होनी चाहिये और मेरा सुझाव है—इसमें कोई दो रायें नहीं होंगी अगर यह वाणी एक है जैसे कि आज दिखाई दे रही है और यह राष्ट्रीय समस्या है—कि एक आल पार्टीज कमेटी बननी चाहिये जिसको बड़ी हिकारत से वित्त मंत्री जी ने ठुकरा दिया है। एक डर है, भय है कि पता नहीं पार्टी के लोग इसमें क्या करेंगे। मैं कहता हूं कि पार्टी के लोग रहें और आप भी रहें। हमें तो प्रशासन का अधिक अनुभव नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों को जनता की भावनाओं का ज्ञान भी नहीं है। यदि यह मैं कहूं तो अत्युक्ति न होगी कि वे लोग जनता की भावनाओं को उपेक्षा की नजर से, हिकारत की नजर से देखते हैं। इसलिये जन-भावनाओं के प्रतिनिधियों के साथ जब वे लोग काम करेंगे, कमीशन काम करेगा तो काम ठीक चलेगा। मैं समझता हूं कि इसके लिये तीन महीने का समय कम है, ६ महीने किया जा सकता है, साल भर किया जा सकता है, लेकिन वह कमीशन बनना चाहिये कि जो आलपार्टीज कमीशन हो। उसमें चेयरमैन कोई भी हो सकता है, आप ही हों। लेकिन अन्त में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि अवश्य रहें। उनमें योग्य व्यक्ति भी हैं। जो उन तमाम चीजों को जिनको कि डिपार्टमेंटल हेड्स छिपाये रखते हैं, दबाये रखते हैं, खोलेंगे और रास्ता दिखलायेंगे, वह मुख्य मंत्री जी को डाइरेक्ट करेंगे। यह जो निम्न मध्यम वर्ग के नौजवान और लड़के नौकरियों में आ गये हैं वे असल में डिपार्टमेंट का भेद मुख्य मंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी को देंगे, वे उनको मदद करेंगे इस काम में और ऐसा कर के ही हम जनवाद की तरफ बढ़ सकते हैं।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुमकिन है कि डेमोक्रेसी के नाम पर कोई बात कही जाय। डेमोक्रेसी जीवन का साध्य नहीं है, समाज का साध्य नहीं है, केवल साधन है। अगर साधन बाधक होता है तो हम उसे फेंक सकते हैं, अपने ऊपर से उतार सकते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर तमाम रेडिकल स्टेप्स को रद्द करना प्रतिक्रियावाद है और इसका जितना भी विरोध हो उतना कम है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत उठने और बैठने के बाद आप ने मुझे टाइम दिया। श्रीमन्, जो संकल्प यहां पेश है और उसका जो मंशा है उससे मेरा खयाल है कि जनतंत्र का हर पुजारी सहमत होगा।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

मैं यह समझता हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि इसमें दो रायें नहीं हैं कि जनतंत्र में जनता का विश्वास होना चाहिये और जनतंत्र सरकार में, उसकी प्रणाली में जनता का विश्वास होना चाहिये और वह प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। यानी कहने का मतलब यह कि जो उस जनतंत्र के शासन की इकाई हो वहां पर शक्ति केन्द्रित हो, उधर ज्यादा जोर हो।

अब मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब मैं सदन के माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था तो मुझे कुछ बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे नेता विरोधी दल तथा श्री पालीवाल जी के भाषण को सुनकर और भी आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने इस प्रश्न पर उस दृष्टि से आलोचना करनी चाही कि चूंकि एक मौका आ या है इसलिये जैसा डिस्कशन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बजट के समय होता है वैसा विरोधी पक्ष के नाते ही यहां किया जाय। मैं नहीं समझता कि वह कैसे इस बात को कहते हैं कि इस राज्य में, इस शासन में जनता का विश्वास नहीं है और वह इस शासन प्रणाली से ऊब गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर जब हम एलेक्शन से आते हैं और चुनाव के जरिये से मिनिस्टर साहब भी आते हैं और इन सब लोगों को मिल कर जब सरकार बनती है और उसके बाद वह इन सब लोगों की राय से अपनी पालिसी तय कर के इस सूबे का राज्य चलाती है, तो मेरी समझ में बात नहीं आती कि यह कैसे कह दिया जाता है कि इसमें जनता का विश्वास नहीं है और जनता इसके साथ नहीं है। हां, यह बात और हो सकती है कि यह बात कही जाय कि जो सिस्टम है, जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इससे ज्यादा सुधार हो सकता है या उसमें और जैसे भी जरूरत हो वैसे परिवर्तन किये जा सकते हैं, लेकिन एक दम से इस तरह की बात कह देना कि जितना भी इस वक्त मशीनरी का ढांचा है वह एक दम से ऐटम बम के जरिये खत्म कर दिया जाय और जितने मिनिस्टर यहां पर हैं या यहां असेम्बली में हम कानून बनाते हैं, ये मिनिस्टर बैठे-बैठे यह काम कर दें। इनको न तो कोई सेक्रेटरी दिया जाय और न जिले के लेविल पर कोई सेवक दिया जाय। ऐसा मालूम होता है कि इसको अबालिश कर के सारी जिम्मेदारी मिनिस्टरों के ऊपर छोड़ दी जाय और वही राज्य करें यह मेरी समझ में नहीं आता। आखिर एक बात तो आपको करनी ही होगी और वह यह कि कोई न कोई शासन का ढांचा आपको बनाना होगा। मान लीजिये कि शासन का ढंग आपकी निगाह में डिफेक्टिव है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन उसमें एकदम आमूल परिवर्तन करने की मांग समझ में नहीं आयी क्योंकि मैं देखता हूं कि जबसे यह सरकार बनी है तब से बहुत परिवर्तन किया गया है। मुझे दुख होता है जब लोग यह कहते हैं कि जबसे यह सरकार बनी है तब से वही शासन-प्रणाली बनी हुई है जो यहां पर अंग्रेज ने अपना पुलिस राज्य कायम करने के लिये बनायी थी। यह सरकार उसी शासन-प्रणाली पर चली जा रही है यह सुनकर मुझे दुख होता है।

अंग्रेजों के जमाने में कभी भी इस शासन प्रणाली में जनता की राय का महत्व नहीं था, लेकिन आज अगर आप देखें तो यह सरकार बराबर कोशिश कर रही है और कदम-कदम पर इस की यह कोशिश है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करे। इस परिवर्तन को आप देखते हैं कि हर एक गांव की इकाई पर गांव पंचायत बनाकर गांव वालों को अधिकार दिया गया है। क्या यह गांव की इकाई पर शासन को मजबूत करने का तरीका नहीं है? इसके साथ ही आप यह भी देखें कि हर मिनिस्टर के साथ एक ऐडवाइजरी कमेटी नान आफिशियल्स की बनी हुई है। अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक प्लानिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें नान आफिशियल्स की राय ली जाती है। इरीगेशन का इंजीनियर चाहे हो, चाहे पी० डब्लू० डी० का इंजीनियर हो और चाहे कोई दूसरा आफिशियल हो उसको इस तरह से निरंकुश नहीं छोड़ा गया है कि वह अपनी मनमानी कर सके। यह कितना बड़ा परिवतन कर दिया गया है। नानआफिशियल की कमेटी हर एक जिले में है जिसमें एम० एल० एज० और प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके साथ

जनता की आवाज है। इस प्रकार गैरसरकारी लोगों को स्थान दिया गया है। फिर समझ में नहीं आता कि यह कैसे कहा जाता है कि कोई कदम इस तरफ नहीं उठाया गया है। जनतंत्र की तरह से यहां का शासन चल रहा है। इसलिये जो बातें इस तरह की कही गयी हैं उनसे मैं डिसएग्री करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

कुछ भाइयों ने यह कहा कि यहां के सेक्रेटेरियट का रिआर्गनाइजेशन हो रहा है यह गलत है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यहां पर मौके बेमौके यह कहा गया कि एक फाइल को एक मिनिस्टर के पास पहुंचने में ६ महीने लग जाते हैं। इसकी शिकायत रही है, लेकिन एफिशियेन्सी के साथ अगर कार्य संचालन में जल्दी हो और एक मेज से दूसरे मेज तक जाने में ७ दिन लग जाते थे उसमें तेजी लाई जाय तो यह कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एक नये तरीके से आर्गनाइज करने की बात है तो यह बात समझ में नहीं आती है कि क्यों उसके खिलाफ बात की जाती है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात आज गांवों में देखी जा सकती है। सेक्रेटेरियट में सत्ता को केन्द्रित करने की बात नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि सरकार का काम एफिशियेन्सी के साथ और जल्दी हो।

मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ जब कई सदस्यों ने यह बात कही कि एक्सपर्ट जनतंत्र के लिये खतरा हैं। हो सकता है कि एक्सपर्ट का राज्य हो जाय तो क्या हमारे मिनिस्टर अपंग हो जायंगे, मेरी समझ में नहीं आया। किन्तु जनतन्त्र में यह होगा नहीं कि इन लोगों से खतरा पैदा हो। साथ ही मेरा यह निश्चित मत है कि एक्सपर्ट जो अपनी राय देते हैं, वह जब किसी चीज के विशेषज्ञ होते हैं तो उनकी राय वहां पर देश को बनाने में होना जरूरी है। चाहे वह जनतन्त्र हो चाहे जैसा राज्य आप बनाना चाहते हों अगर आपके एक्सपर्ट्स आपके पास नहीं हैं, आपका प्लान बनाने वाले नहीं है, आपको कोई डेफिनिट पिक्चर देने वाला नहीं है तो आप अंधेरे में टटोलेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि न तो यह योग्यता माननीय त्रिलोकीसिंह में है, न माननीय पालीवाल में है और न इधर के बैठने वाले लोगों में है। हम हर एक बात के टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं और न हम हर एक चीज का अध्ययन कर चुके हैं। जो व्यक्ति बहुत ऊंची से ऊंची शिक्षा पाते हैं, किसी विषय में माहिर होते हैं उनकी राय का अगर किसी मुल्क को बनाने में, योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है तो मेरी समझ में बात नहीं आती कि यह बात कैसे कही जाती है कि इससे एक बड़ा भारी खतरा है। हां, यह बात जरूर है कि हम उनके हाथ में ऐसी शक्ति नहीं देते हैं कि उनका जो प्लान हो उस पर सिर्फ हम डिटो करें बल्कि अंतिम फैसला माननीय मंत्रियों का होता है। इसलिये एक्सपर्ट्स की राय का मिलना हमारे लिये जरूरी है। जहां तक मैं जानता हूं विदेशों में भी एक्सपर्ट्स की कद्र है और वहां एक से एक अच्छे प्लान बने हैं। आज आपके यहां भी आपको याद होना चाहिये कि रिहन्ड डैम, तथा भाखरा नंगल ऐसे प्रोजेक्ट्स जो जनता के लिये हैं उनके लिये हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं थे और उनके लिये विदेशों से हमें एक्सपर्ट्स उधार लेने पड़े हैं। ऐसी हालत में आप फिर यह बात क्यों कहते हैं कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बढ़ाना या उनका यहां पैदा होना एक खतरा है, मैं इस बात से डिसऐग्री करता हूं।

साथ ही साथ एक और बात पालीवाल जी ने कही। मैं उनसे माफी चाहता हूं क्यों कि वे पुराने सदस्य हैं और उन्हें काफी तजुर्बा है इस दिशा में, मैं बहुत कम तजुर्बे का हूं, उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में पार्टी के आदमी रख दिये जाते हैं। मुझे उनकी इस बात को सुन कर बड़ा धक्का सा लगा। मैं नहीं समझता कि पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी आदमी का एप्वाइन्टमेन्ट इस बिना पर होता है कि वह पी० एस० पी० का मेम्बर है या, प्रोग्रेसिव दल का है या कांग्रेस दल का है। उन्हें समझना चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों के एप्वाइन्टमेन्ट का ताल्लुक न इस सरकार से है और न किसी विरोधी दल से। यह तो सिर्फ प्रदेश के गवर्नर महोदय के अधिकार में है और वही उनका एप्वाइन्टमेन्ट करते हैं। माननीय

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

गवर्नर जो हैं वह अपनी निगाह प्रदे श के टैलेन्ट्स पर डालते हैं, यहां के विद्यार्थियों पर डालते हैं और उस वक्त वह खयाल नहीं करते कि कोई व्यक्ति कांग्रेस का है या मुस्लिम लीग का है या पी० एस० पी० का या संयुक्त दल का है, बल्कि उनकी निगाह इस पर रहती है कि ऐसा आदमी किसी भी पार्टी का हो लेकिन वह ऊंचे स्तर पर यहां की सर्विसेज का सेलेक्शन कर सकें। तो ऐसी हालत पर मैं इसको अपने हक में एक बहुत ही शान की चीज समझता हूं और कांग्रेस पार्टी के हक में भी एक शान की चीज समझता हूं और अपने लिये सम्मान की बात समझता हूं और गौरव समझता हूं कि कम से कम इस पार्टी से ऐसे योग्य व्यक्ति निकले, इस पार्टी ने ऐसे टैलेन्ट पैदा किये, ऐसे योग्य व्यक्ति निकाले जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जा करके इस तरह से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हां, एक बात हो सकती है कि माननीय पालीवाल जी को हसद हो कि हमारी पार्टी से ऐसे टैलेन्ट निकले हैं, हमारी पार्टी को ऐसे लोगों को पैदा करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि उनको इससे सबक लेना चाहिये और ऐसे टैलेन्ट्स पैदा करें जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इस प्रकार से कार्य कर सकें। हमारी पार्टी को या किसी को कतई कोई एतराज नहीं है, यह मैं साफ कह देना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही और यह मिसाल दी कि जो जांचें होती हैं वह विभागीय अफसरों के पास भेज दी जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। यह उन्होंने बड़ी लचर दलील दी। उन्होंने कहा कि किसी आफीसर के भ्रष्टाचार की जांच उसके ऊपर वाले आफिसर से न कराई जावे। अगर जांच नहीं होती है तो क्या चौराहे पर खड़ा करके उस आफिसर को गोली मार दी जायगी? इससे तो पता चलता है कि सारी ईमानदारी और सच्चाई का ठेका पालीवाल जी ने ले लिया है। उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण बना रखा है कि नीचे से ऊपर तक के सभी अधिकारी खराब और असत्य हैं, उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। आखिर, वे भी हिन्दुस्तान के हैं। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं कि उनमें हमारे और पालीवाल जी के रिश्तेदार भी हैं जिनकी सचाई की हम जाकर सिफारिश करते हैं।

मैं प्रस्तुत प्रस्ताव के मक़सद से सहमत हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह समय के अनुसार नहीं है। सरकार प्रदेश और जिले के लेविल पर बराबर गांधी जी के कहने के अनुसार शान्तिपूर्वक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही बहुत बड़ा परिवर्तन शासन में दिखाई देने लगेगा। अतः मैं अपने साथी से चाहूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री धरमपाल सिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। हमारी शासन प्रणाली के लिये कहा गया कि यह गन्दी हो चुकी है और इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिये था। इससे सभी सदस्य सहमत हैं। यह प्रणाली इतनी खराब हो चुकी है कि अभी प्रश्नोत्तर काल में जिक्र आया था कि जिसकी जमीन बन्धे या नहर में ले ली गयी.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय वीरेन्द्रशाह जी, आप बहुत जोर से बातें कर रहे हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री धरमपाल सिंह—जिनकी जमीन लिये ४, ५ साल हो चुके हैं उनके मुआविजे की तो कौन कहे, उनसे लगान भी वसूल किया जा रहा है। जो माननीय सदस्य अभी बोल कर खत्म कर चुके हैं उन्होंने मौजूदा शासन प्रणाली की बड़ी तारीफ़, की लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वह लगान उसी समय बन्द नहीं हो जाना चाहिये था जब उनकी भूमि या जीविका ली गई और लगान लेकर फिर वापस करना कहां की बुद्धिमानी होगी? हर तरफ ऐसा अन्धेर नजर आता है। अभी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से किसी भी निर्माण कार्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के लिये किसी को कोई रकम दी जाती है, किसानों को या खेती करने वालों को कोई रकम दी जाती है तो सरकार उस पर सूद वसूल करती है। लेकिन जो लगान वह उन लोगों को भूमि लेकर भी वसूल करती हैं उसके पाने में उन्हें कितनी कठिनाई होती है, वह उसको समझती नहीं है। हमारे यहां तुलसापुर क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं पानी के बड़े-बड़े जखीरे बनाये गये हैं, लोगों की जमीन ले ली गयी है लेकिन फिर भी लगान वसूल किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—इस प्रस्ताव से लगान वसूल करने का कोई संबंध मालूम नहीं होता।

श्री धरमपाल सिंह—हम इसके द्वारा सरकार का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। शासन की ओछी के बारे में कह रहे हैं।

अब शासन प्रणाली को बदलने का जो सुझाव आया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसके लिये सुझाव आया कि एक कमेटी या कमीशन बना दिया जाय जो इस पर विचार कर सके। उसमें हर पार्टी के सदस्य हों, अच्छे-अच्छे काबिल लोग हों। हम यह समझते हैं और मैं यह मानता हूं कि हमारे दिमाग इतने छोटे नहीं हैं कि जिनकी बातें हम न मानें। हमको मानना चाहिये और उन पर अमल करना चाहिये, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया है कि हमारे समाज में भी ऐसे काबिल और विद्वान् लोग मौजूद हैं जिनके सहयोग से हम बड़े-बड़े काम कर सकते हैं, उनको भी उसमें रखने की आवश्यकता है। बगैर उनको रखे और हर पार्टी की राय लिये बगैर किसी चीज को करना हमारे लिये हानिकर होगा।

अभी हमारे सीताराम जी शुक्ल ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी के समय में कैसी व्यवस्था थी। उस समय किसी चीज का गड़बड़ा न थी। वहां कोई चोरी नहीं होती थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था, सब सम्पन्न थे खुशहाल थे, सब अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। उसका भी नमूना आप लीजिये कि जिसके लिये हमारे यहां बहुत बड़ी पुस्तक है, जिसमें उनके राज्य का विस्तारपूर्वक व्यवस्था बतायी गयी है। ज्ञाता भी हमारे यहां हिन्दू शास्त्रों के मौजूद हैं, उनकी राय भी ऐसी हो सकती है जिससे शासन प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर सकते हैं।

एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं। माननीय सीताराम जी ने अपने भाषण में कहा कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं कि क्षेत्र में क्यों नहीं आते। लेकिन सीताराम जी कहते हैं कि क्षेत्र में जाकर अधिक काम नहीं कर सकते, यहां रह कर अधिक काम कर सकते हैं। यहां रहना तो हमारा कर्तव्य ही है, लेकिन जनता की राय सदन के सामने उपस्थित करने के लिये जब हम यहां आये हैं तो जब सदन बंद होता है, जब हम घर जाते हैं तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम जनता के अन्दर जाकर यह देखें कि उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं। इस शासन प्रणाली ने जो गलत तरीका अपनाया है उनसे उन्हें क्या कष्ट हो रहे हैं और उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी अपने राज्य में रात को घूमते थे और घूम कर देखते थे कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। इस तरह से यहां के जाने के बाद सब का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे जनता के अन्दर जायं और उनको जो दुख हो वह इस माननीय सदन के सामने उपस्थित किया जाय।

आज की यह शासन प्रणाली ऐसी लचर और खराब हो गयी है कि इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---जनाब चेयरमैन साहब, जो रेज्योल्यूशन आज इस सदन के सामने आया है, मैं समझता हूं कि उससे हमने बहुत कुछ सीखा। इस पर जो तकरीरें हुईं वे मैंने गौर से सुनीं मगर मुझे अफसोस है कि बाज दोस्तों की तकरीरें जो इस पर हुईं उनको मैं सुन नहीं पाया। इसमें कोई शक नहीं कि यह शिकायत हम बार-बार सुनते हैं, स्पीचेज में सुनते हैं, प्लेटफार्म से सुनते हैं कि हमारे यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमी है और ऐडमिनिस्ट्रेशन के उस ढांचे को बदलना चाहिये। इसमें कोई भी शक नहीं कि अभी १० वर्ष पहले तक जब हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ था हमारे मुल्क के अन्दर जो तरीकए हुकूमत थी वह सिर्फ हुकूमत करने की गरज से थी, लेकिन आजादी हासिल होने के बाद हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ गयीं और हमें इस बात को सोचना है और बहुत गौर व खोज से इस पर सोचना है कि हमें क्या नया ऐक्शन लेना चाहिये। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि हमारी सर्विसेज में बहुत अच्छे लोग हैं और हमारी सर्विसेज ने जो अपना अच्छा रेकार्ड पेश किया है वह किसी से कम नहीं है। मुझे याद है कि जब सर्विसेज के सम्बन्ध में सेंट्रल असेम्बली में डिबेट हुआ था तो सरदार पटेल ने सर्विसेज की वहां ताईद की थी और उनके काम को ट्रिब्यूट पे किया था। इससे जाहिर है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं वे किसी दूसरी जगह से कम नहीं हैं। लेकिन यह सवाल जरूर सही है कि जो सिस्टम हमारे यहां हुकूमत का चल रहा है उसमें मौजूदा जमाने के अन्दर तब्दीली की जरूरत है और अगर वह तब्दीली हो तो क्या तब्दीली होनी चाहिये? बहुत से लोगों ने, मैं समझता हूं कि करीब-करीब सभी ने इस बात को कहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है वह तब्दील होना चाहिये लेकिन मुझे अब तक यह बात सुननी है कि आया तब्दीली जो हो वह तब्दीली क्या हो। एक पुराना ढांचा हम हटावें, वह हटना भी चाहिये, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर वह ढांचा हटा दिया जाय तो उसके बाद कौन सा ढांचा हो, इसे सरकार के सामने किसी ने नहीं रखा है।

इस बात से भी इन्कार नहीं हो सकता कि जो हमारा कांस्टीट्यूशन है, चाहे वह कांस्टीट्यूशन अमेरिकन माडल का बना हो, जैसा कि बाज दोस्तों ने कहा, चाहे वह इंगलिस्तान के माडल का बनाया गया हो, हमारा कांस्टीट्यूशन एक मुकम्मल कांस्टीट्यूशन है और हम सब उसके पाबन्द हैं और उसी कांस्टीट्यूशन के मातहत हमारे मुल्क और हमारे सूबे के अन्दर आज डेमोक्रेसी चल रही है।

डेमोक्रेसी की सबसे बुनियादी चीज यह है कि वह दो बातें सबसे ज्यादा तलब करती हैं। एक तो यह कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेन से काम ले और दूसरे यह कि पूरा टालरेंस हो। इन दोनों चीजों को सामने रख कर उसके बाद पोजीशन को जज करने की कोशिश करें तो आप भी महसूस करेंगे और हम भी यह महसूस करेंगे और तब यह मालूम होगा कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खामियां हैं। उन खामियों और खराबियों की जिम्मेदारी कुछ हमारे ऊपर भी है क्योंकि इस डेमोक्रेसी का जब तक ऐसा कंडक्ट आफ कंडक्ट नहीं बन जाता जिसके मातहत हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और हर शख्श अपनी जिम्मेदारी को लेकर चले, तब तक मैं समझता हूं कि आप चाहे कितने भी रिआर्गनाइजेशन कमीशन बैठावें, चाहे कितने भी आफिसर्स बैठावें, लेकिन उससे यह चीज दूर नहीं हो सकती।

मैं इस बात को मानता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में लूजनेस है लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया आखिर ऐडमिनिस्ट्रेशन के लूज होने की वजह क्या है? हमारे बाज दोस्तों ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भ्रष्टाचार कम था, करप्शन कम था, जब कि आज करप्शन ज्यादा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इसकी वजह क्या है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या अंग्रेजों के जमाने में हमारी मोरेलिटी कुछ ऊंची थी ? क्या अंग्रेजों के जमाने में हमारे अखलाक का मेयार बढ़ा हुआ था ? जो इस बात को मानते हैं मैं समझता हूं कि वे बहुत गलत हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी हमारा कैरेक्टर वही था जो कि आज हमारा कैरेक्टर है। उस वक्त सिर्फ एक चीज थी कि उसके जमाने में एक बहुत ही सख्त किस्म का जूता हमारे सिर पर लगा रहता था और हम महसूस करते थे कि हममें से अगर कोई आदमी भी करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जायगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे दिलों पर आज यह इम्प्रेशन हो गया है कि आजादी होने के बाद हमें हर चीज का परमिट मिल गया है, चाहे हम झूठ बोलें, चाहे बेईमानी करें, चाहे जुल्म करें, चाहे किसी के साथ ज्यादती करें, लेकिन अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी वजह क्या है ? इसकी वजह वह रोजमर्रा के वाकयात हैं जो हम देखते हैं। कभी-कभी हमें जब माननीय मंत्रियों के यहां जाने का मौका मिलता है तो बिना तफरीक इस बात के कि इधर के लोग हों या उधर के बैठने वाले लोग हों, वहां पर एक भीड़ लगी रहती है, उनके यहां दो दो सौ और तीन-तीन सौ आदमी जाते हैं और ऐडमिनिस्ट्रेशन के माइन्यूट डिटेल्स के मुताल्लिक मुतालबात करते हैं और जिन का मानना किसी भी दुनिया के ऐडमिनिस्ट्रेटर के लिये नामुमकिन है और जब यह चीज हमारे जरिये होती है तो वह जनता को भी मजबूर करती है कि वह हमारे सामने अपने मुतालबात रखे। आज हमारे भी, जो इस सदन के सदस्य हैं कुछ कर्त्तव्य हैं, हमारा कर्त्तव्य है कि हम यहां आयें और गवर्नमेंट को और ऐडमिनिस्ट्रेशन को मशवरा दें, कानूनों के बनाये जाते वक्त अपनी सलाह और मशविरा पेश करें, लेकिन मैं आज महसूस करता हूं कि हमारा कर्त्तव्य यह हो गया है कि किसी को बन्दूक का लाइसेन्स दिलायें, किसी को पब्लिक कैरियर का लाइसेन्स दिलायें, किसी का ट्रान्सफर करायें, किसी का एप्वाइंटमेन्ट करायें और किसी को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करायें। किसी भी कांस्टीट्यूशन में या किसी भी कोड आफ कन्डक्ट में हमारे यह हकूक नहीं हैं। किसी भी तरह से यह चीज जायज, सही और मुनासिब नहीं हो सकती।

हमारे कांस्टीट्यूशन ने हर चीज को अलग-अलग डिफाइन किया है। उसके अन्दर गवर्नर है, कैबिनेट है, लेजिस्लेचर है, पब्लिक सर्विसेज हैं और जुडीशियरी है, संविधान में हर एक के अख्तियारात बिलकुल अलग-अलग दिये गये हैं। गवर्नर हमारे यहां स्टेट के कांस्टीट्यूशनल हेड हैं, कैबिनेट का काम यह है कि वह राज्य के मुताल्लिक अपनी ब्राड पालिसीज को ले आउट करे और उस पालिसी को चलाना पब्लिक सर्विसेज का काम है, वह उस को डे टु डे ऐडमिनिस्ट्रेशन में लागू करती है। लेजिस्लेचर का काम है कि वह सरकार को मशवरा दे और कानून के बनाने में मदद दे और जुडीशियरी इसलिये है कि अगर कभी एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी में इख्तिलाफ राय हो तो वह फैसला दे और बतलाये कि उनके अख्तियार क्या हैं और क्या नहीं हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, अफसोस यह है कि हमारे कांस्टीट्यूशन में जब कि गवर्नर साहब के, जुडीशियरी के, लेजिस्लेचर के, पब्लिक सर्विसेज के, कैबिनेट के सब के अलग-अलग अख्तियार दिये गये हैं तब दिक्कत उस वक्त होती है जब कि एक शख्स दूसरे के अख्तियारात में एन्क्रोचमेंट करता है, वहीं पर एक तरह का डिसलोकेशन और कनफ्यूजन पैदा होता है और तरह-तरह की मुश्किलात पैदा होती हैं।

मैं समझता हूं कि हमारे यहां की हर पार्टी चाहे वह इधर की हो या उधर की हो, अपने लिये एक कोड आफ कन्डक्ट तैयार करें और हम में से हर शख्स उस पर चलने के लिये पाबन्द हो। तब ही हम एक मिसाल पेश कर सकते हैं, तभी हम लोग गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स से भी इस तरह का मतालबा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उनका रिओरिएन्टेशन होना चाहिये।

जैसा मैंने शुरू में कहा है कि उनमें कुछ लूजनेस है, उस के मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम किसी एक शख्स पर या क्लास पर नहीं डाल सकते। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे यहां लूजनैस के अलावा एक चीज

[श्री सुल्तान आलम खां]

यह भी है कि रेड टेपिज्म बहुत बढ़ गया है और उसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आती है। मुझे एक केस खुद याद है कि सरकार के कृषि विभाग में एक साहब ३० साल तक मुलाजिम रहे और उसके बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं मिली और उन से कहा गया कि आप अब घर जायं, वह ३० साल तक टेम्पोरेरी रहे और इस वजह से उनको कोई पेंशन नहीं मिली। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेन्ट ऐसे हर केस पर गौर करे, इन चीजों की तरफ उसकी तवज्जह हो कि एफिशियेंसी कैसे बढ़े, रेड टेपिज्म कैसे जाय, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया इसके जाने का तरीका यही है कि हम गवर्नमेन्ट पर कानफीडेंस करें, गवर्नमेन्ट हम पर करे। हमारा जो स्फेयर आफ वर्क है उसमें हम अलग-अलग काम करें और किसी तरह से जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरीमेंट हमारे यहां हो रहा है उसको कामयाब बनायें।

जनाबवाला, मैं यह भी अर्ज करूं कि डेमोक्रेसी का यह एक्सपेरीमेंट हिन्दुस्तान में पहली दफा किया जा रहा है और उस एक्सपेरीमेंट के जरिये १० साल की मुद्दत में जो कुछ हो सका है, कम नहीं है। १० साल की मुद्दत एक इन्सान की जिन्दगी में बहुत लम्बी मुद्दत होती है, तकरीबन उसकी जिन्दगी का १/५ हिस्सा होता है, लेकिन जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है १० साल इतने भी नहीं होते जैसे समन्दर में एक कतरा। तो इसलिये १० साल के अन्दर इतनी चीजें हम शासन में नहीं तब्दील कर पाये हैं जितनी लोगों की ख्वाहिश है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यह चीज तो उसी वक्त मुमकिन हो सकती है अगर हम यहां से डेमोक्रेसी को स्क्रैप कर दें और एक नासिर पैदा कर दें और उसके हाथ में हुकूमत दे दें। तो फिर ठीक है वह हुकूमत एक हफ्ते या दो हफ्ते के अन्दर जो चाहेगी, कर देगी, माननीय झारखंडेराय जी यहां मौजूद नहीं हैं, वह शायद उसको पसन्द करें, लेकिन उस हुकूमत का तरीका दूसरा हो सकता है। हमारे इस हाउस के अन्दर जो लोग बैठे हुये हैं उनमें से बेश्तर हिस्सा, ९०, ९५ फीसदी लोग ऐसे हैं जो नान-वायलेंट तरीकों में और गांधी जी के उसूलों पर यकीन करते हैं और उसको लेकर अगर हमें आगे चलना है तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवा इसके कि हम डेमोक्रेसी को अपनायें, न सिर्फ डेमोक्रेसी को अपनायें बल्कि इसको कामयाब होने का मौका दें और इसके साथ-साथ हम इस तरीके पर तनकीद न करें हमें इसको खत्म कर देना है, बल्कि हम तो इसको एक कोआपरेटिव एफर्ट के जरिये से इस बात की कोशिश करें कि हम सब लोग कंधा देकर इसमें कामयाबी पैदा करायें और दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें।

जनाबवाला, इस बात के मुताल्लिक भी कोई दो रायें नहीं हो सकती कि डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर बहुत जरूरी है और इसी को एकम्प्लिश करने के लिये हमारे यहां पंचायत राज ऐक्ट बनाया गया और आज हर गांव में पंचायतें कायम हैं। कभी-कभी यह बात सुनने में आती है कि पंचायतें सही काम नहीं करती हैं। आज भी चन्द दोस्तों ने जब तकरीर की तो कहा कि पंचायतें अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं अर्ज करूंगा पंचायतें अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो गवर्नमेन्ट का कोई कसूर नहीं हो सकता इसलिये कि पंचायतें ऐसी यूनिट हैं जिनके ऊपर हमारे तमाम स्ट्रक्चर की बुनियाद है और पंचायतों को कामयाब करना हमारा काम है। इस बात का हमने बीड़ा उठा रक्खा है, पंचायतों में चाहे गलतियां हों, बहुत सी ऐसी बातें हों जो नहीं होनी चाहियें थीं, लेकिन उन पंचायतों के एक्सपेरीमेंट को कामयाब ही कराना है। उसके लिये हम सब कमिटेड हैं। उन पंचायतों को कामयाब कराना, उस एक्सपेरीमेंट को ट्राई करना मैं समझता हूं डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर का यह सबसे बड़ा नमूना है जो इस सरकार ने हमारे सामने पेश किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर सरकार से हम यह तवक्को रखें कि वह डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर की बुनियाद पर एफीशियेंसी बढ़ाये और रेड टेपिज्म

दूर हो और ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में तब्दीली आये तो कोई ऐसी बात हमारे सामने रखी नहीं गयी है। लेकिन मैं समझता हूं अगर हम सब मिल कर गौर करें और गवर्नमेन्ट को कोई तजवीज पेश करें तो कोई बुरी बात नहीं है।

एक बात जरूर है, जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, यह बिलकुल टैक्निकल सबजेक्ट है। जनाबवाला, ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक यह कहना बड़ा आसान है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, गलत है, सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद कोई दूसरा सिस्टम उसके सामने रखना यह चीज बड़ी मुश्किल है और खासतौर पर काम और भी ज्यादा इसलिये मुश्किल हो जाता है कि हमें कोई दूसरा सिस्टम जो लाना है वह डेमोक्रेसी की ही बुनियाद पर लाना है, जो हमारे सामने गांधी जी का बताया हुआ नमूना है उसकी बुनियाद पर लाना है। तो यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। इसलिये ज्यादा मुनासिब यही होगा कि हम सरकार पर विश्वास रखें और अपने पर रेस्ट्रेंट रखें। एक कोड आफ कंडक्ट पहले अपने लिये बनायें जिसके मातहत हम चलें। सबसे पहले अपने से यह चीज हम शुरू करें उसके बाद गवर्नमेन्ट से यह तवक्को करें कि गवर्नमेन्ट करप्शन को दूर करे, एफिशियेंसी लाये और रेड टैपिज्म को दूर करे ताकि हमारी जनता की जो ख्वाहिशात हैं वह पूरी हो सकें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, आज श्री रामगोपाल गुप्त ने इस सदन में एक ऐसा निजामी मसला पेश किया है कि मैं उसके लिये उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। श्रीमन्, यह एक ऐसा मसला है जिसका कि हमारे राज्य की तमाम जनता और हम राज्य के कर्मचारियों से गहरा ताल्लुक है।

इसमें एक मांग की गई है कि एक ऐसा कमीशन मुकर्रर किया जाय जिसके मातहत रिआर्गेनाइजेशन की एक स्कीम पेश की जाय। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहता हूं कि कमीशन की मांग के पहले हमारी इस सरकार ने श्री के० के० दास, आई० सी० एस० को रीआर्गेनाइजेशन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया और उनकी एक रिपोर्ट भी आयी जो कि सदन के सामने नहीं पेश की गयी। अभी तक उसका किसी को पता नहीं है। हमने भी उसे नहीं देखा है। मगर कुछ मालूमात उसके बारे में हासिल कीं तो यह मालूम हुआ कि उसने एक ऐसी सिफारिश की है कि जिस सिफारिश के मातहत हमारे हाउस में और हमारे हाउस के तमाम सेक्रेटेरियट भर में एक भी कर्मचारी नहीं रहेगा, एक भी चपरासी नहीं रहेगा, केवल अफसर रह जायेंगे। यह रिपोर्ट अभी तक सदन के सामने नहीं लायी गयी। यह रिपोर्ट अभी तक कहीं शाया नहीं की गई और इस रिपोर्ट के अन्दर एक ऐसी स्कीम रखी गयी है जिसे देख कर हैरत होती है मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी रिपोट छिपा क्यों रखी है, क्यों नहीं सदन के सामने इस प्रस्ताव के साथ रखी गयी।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं इस सदन से कि जो योजना रखी गयी है उस रिपोर्ट में उसको केवल तीन विभागों पर लागू किया जाने वाला है और उन तीन विभागों पर लागू करने के बाद उससे तजुर्बा हासिल किया जायगा। क्या जरूरत है कि इसको तीन विभागों पर लागू किया जाय और उससे एक तजुर्बा हासिल किया जाय। इस मामले में पहले से दर्जनों तजुर्बे किये जा चुके हैं। जरूरत नहीं है कि उन तीन विभागों में लागू करके तजुर्बा हासिल किया जाय, क्योंकि श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि तजुर्बा है इस बात का कि अगर क्लर्क और चपरासी नहीं रखे जायेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह से अफसर सारे काम कर लेंगे क्या यह किसी तरह सम्भव है कि वह चपरासियों का भी और क्लर्कों का भी पूरा काम अंजाम दे सकें और इस निजाम को ठीक तरह से चला सकें?

श्रीमन्, आपके द्वारा सदन के सामने एक मिसाल पेश करता हूं कि थानेदार रखे जायं और सारे के सारे कांस्टेबिल बरखास्त कर दिये जायं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह से पुलिस का काम चलेगा? इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर को भी देखा जाय। अगर सेक्रेटेरियट

[श्री शिवप्रसाद नागर]

के सारे अहलकार बरखास्त कर दिये जायं, सारे चपरासी निकाल दिये जायं तो मैं पूछना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर के अहलकार भी क्यों न हटा दिये जायं और फिर देखा जाय कि किस तरह से वह सारा कारोबार चला लेते हैं। ऐसी योजना, ऐसी रिपोर्ट अगर रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर की आयी है तो वह सदन के सामने रखी जानी चाहिये। मुझे ऐसी इत्तला है कि ऐसी रिपोर्ट आयी हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सेक्रेटेरियट के तमाम कर्मचारियों को हटाने की बात कही गयी है उसी तरह से अगर एक तहसीलदार के सारे पटवारी हटा दिये जायं तो वह किस तरह से अपनी तहसील का सारा कारोबार चलायेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने क्लर्क सन् ४६ में यहां मौजूद थे, इस समय सन् ५७ में उन क्लर्कों में केवल ३३ फीसदी का इजाफा हुआ है। मगर श्रीमन्, इसी सदन के इस सेक्रेटेरियट में अफसरान का इजाफा जो हुआ है वह सन् ४७ के मुकाबिले में आज तक ६६ फीसदी हुआ है। मैं, आपके द्वारा, यह कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर एक राजगीर तामीर के लिये रक्खा जाता है तो लाजमी हो जाता है कि एक गारा लाने वाला, एक पानी लाने वाला, एक ईंट देने वाला और एक चूना सीमेंट पहुंचाने वाला भी उसकी मदद के लिये हो। लेकिन यहां तो सारे अहलकारान बरखास्त कर दिये जायेंगे, तो किस तरह से अफसरान काम करेंगे और किस तरह से देश की तामीर का काम हो सकेगा ?

मैं पूछना चाहता हूं कि के० के० दास साहब की रिट्रेन्चमेन्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है इसके मुताल्लिक सदन के किसी भी सदस्य से पूछा गया, जनता की राय ली गयी और उन लोगों से भी राय ली गई जो उनके एप्वाइन्टमेंट की रिकमेंडेशन भेजते हैं ? मेरा मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन से है जिस कमीशन को हजारों और लाखों रुपया पेमेंट किया जाता है और उसकी सिफारिश पर मुलाजिम रक्खे जाते हैं। अगर उसकी कोई राय नहीं ली गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि के० के० दास साहब ने किसी से राय ली कि सेक्रेटेरियट के अन्दर इतना बड़ा रिट्रेन्चमेंट कर देना चाहिये ? मेरा अनुमान है कि अपने सेक्रेटेरियों और डिप्टी सेक्रेटेरियों से पूछ कर इस राय को उन्होंने कायम किया है ? किस आधार पर वे इतना बड़ा रिट्रेन्चमेंट करने जा रहे हैं।

बात भ्रष्टाचार की कही जाती है। भ्रष्टाचार है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं और जनता भी कहती है। लेकिन भ्रष्टाचार अगर कहीं नहीं है तो सेक्रेटेरियट के इन अहलकारान के अन्दर नहीं है जो फाइलों के बस्ते बांधते हैं और अफसरान के रहमोकरम पर रहते हैं। यह रिट्रेन्चमेंट की सिफारिश किसी की राय से नहीं की गयी। यह सब फिर क्यों किया गया ? यह इसलिये किया गया कि डर इस बात का था कि कहीं कोई आफिसर्स रिट्रेन्च न कर दिये जायं। डर इस बात का था कि अफसरान की तनख्वाहों में कमी न कर दी जाय, उनका ग्रेड कम न कर दिया जाय, क्योंकि लोग यह कहते हैं कि अफसरान मिनिस्टरों से ज्यादा तनख्वाहें पाते हैं इसलिये कहीं उनकी तनख्वाहें घटा कर मिनिस्टरों के बराबर न कर दी जायं। इसलिये इन तमाम कारिन्दों को रिट्रेन्च करने की सिफारिश कर दी गयी।

आपके द्वारा, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं जहां तक भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार केवल जनता से नहीं होता है, केवल कर्मचारियों से नहीं होता है। इसके लिये हमारे यहां बड़ी पुरानी कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। जब ऊपर से कोई चीज डाली जाती है तो नीचे तक पहुंच जाती है और नीचे से कोई चीज ऊपर नहीं जाती। इसके लिये मिसाल मौजूद है। जब अंग्रेज आये तो सबसे

पहले भ्रष्टाचार मुर्शिदाबाद की दारुल सल्तनत से शुरू हुआ। मीर जाफर को अपनी तरफ मिला कर और आधे राज्य का लालच दे कर सिराजुद्दौला को धोखे से कत्ल कराकर हाथी की नंगी पीठ पर उसे डाल कर सारे शहर में जुलूस घुमाया गया। यह भ्रष्टाचार अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ। यह अंग्रेजों की देन है वर्ना हमारे देश में भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं जानता था। वहां से वह फिर सारे देश में फैल गया। इसलिये, श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चलता, ऊपर से चलता है। केवल कर्मचारियों को रिट्रेन्च कर देने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जायगा; जितने भी बड़े-बड़े अफसरान हैं वे अपने दिल को टटोलें कि वे कहां हैं? अपना आसन वे ठीक करें, अगर अपना आसन ठीक करेंगे तो सारे देश की जनता तसल्ली की सांस लेगी।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं कि एक बात यह कही जाती है कि कर्मचारियों की इतनी बड़ी शृंखला है कि उससे काम में देरी हो जाती है। जब देरी की बात कही जाती है तो मैं आपके द्वारा सदन से यह कहना चाहता हूं कि देरी बेशक होती है, लेकिन छान बीन करने का अच्छा सुअवसर मिल जाता है। अगर छानबीन न हो, टीका टिप्पणी न हो तो अंधेर हो जायगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी सदन में प्रस्ताव पेश होता है, कौंसिल में जाता है और फिर वहां से वापस आता है और यहां पर रिवीजन होता है। मैं पूछता हूं कि जब देरी होती है तो क्या जरूरत है कि कौंसिल को रखा जाय। अगर कौंसिल को हटा दिया जाय तो देरी नहीं होगी? अगर देरी का बहाना लिया जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत है कि यहां पर विधेयक लाये जायं, बिल लाये जायं और उन पर महीनों तक बहस हो और फिर कानून बनाये जायं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सबकी कोई जरूरत नहीं है और आर्डिनेंसों से ही काम ले लिया जाय। इसलिये यह कहना कि देर हो जाती है और इतनी बड़ी शृंखला कर्मचारियों की है इसलिये उनको रिट्रेन्च कर दिया जाय, ठीक नहीं है। मैं यह सब बातें इस लिये कह रहा हूं कि श्री के० के० दास की रिपोर्ट में यह सब बातें कही गयी हैं और दलीलें दी गई हैं। इसलिये मैं यह सब बातें सदन के समक्ष रख रहा हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां रिट्रेन्चमेन्ट का सवाल है वहां हमें यह देखने की जरूरत है कि अगर एक इंजीनियर है तो उसके मातहत ओवरसियर्स जरूर होंगे और ओवरसियर्स ह तो उनके नीचे मेट जरूर होंगे और जब मेट हैं तो काम करने के लिये मजदूर जरूर होंगे। अगर सारे के सारे लोग हटा लिये जायं और उम्मीद की जाय कि अकेले इंजीनियर से तामीर हो जायगी तो नहीं हो सकती है। इंजीनियर नक्शा बनाकर तामीर नहीं कर सकता है। इसलिये श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हुकूमत का नक्शा इस तरह से तब्दील किया जाय जिसके मातहत सारे काम सुचारु रूप से चल सकें। जिस तरह से आज नक्शा बनाया जा रहा है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे एक खतरा महसूस हो रहा है। रिपोर्ट नहीं आयी है इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि १७ तारीख को रिपोर्ट जरूर पेश की जाय ताकि दुबारा बहस हो सके।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, मैं रामगोपाल जी के रेजोल्यूशन की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि बुराई भलाई का एक उसूल है और दुनियां में यह दोनों हमेशा होती रहती हैं। जिस जमाने में ज्यादा अच्छे लोग होते हैं उसको अच्छा माना जाता है और जिस जमाने में ज्यादा बुरे लोग होते हैं उसको बुरा माना जाता है। रामचन्द्र जी का जमाना अच्छा माना जाता है। हालांकि उस जमाने में रावण था लेकिन ज्यादा लोग अच्छे थे। जिन लोगों में ज्यादा बुराई होती हैं वह बुरे और जिनमें ज्यादा अच्छाई होती हैं वह अच्छे माने जाते हैं।

आज हमने जम्हूरियत के उसूल को माना है और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो इस दूरबीन से देखते हैं कि जम्हूरियत को चोट न पहुंचे। जो रिजोल्यूशन रखा गया है और जो बातें कही गयी हैं उनकी कहां तक जरूरत है। जम्हूरियत हमारी जिन्दगी है

[श्री शब्बीर हसन]

और इसी पर हमें चलना है। इन्तजाम का सवाल बहुत अहम है। जब हम सोचते हैं और हमने तय कर लिया है कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे जम्हरियत का खून हो तो फिर ऐसा काम करना कि किसी एक आदमी के ही सुपुर्द काम कर दिया जाय चाहे वह बड़े से बड़ा अफसर हो, ठीक नहीं है। रिआर्गनाइजेशन का उसूल जो आप तय करने जा रहे हैं पहले उसे सदन में आना चाहिये और फिर, जहां दूसरों की किस्मत का फैसला करना है, अगर वह किसी एक आदमी के हाथ में होता है तो वही डिक्टेटरशिप बन जाती है। जरूरत इस बात की है कि जब हम दूसरों की किस्मत का फैसला करें तो उस चीज को सदन में लायें और सदन से मंजूर कराने के बाद उस पर अमल करें। अगर एक आदमी को हम ऐसा काम देते हैं तो इसके माने हैं कि हमने यह मान लिया है कि जम्हूरियत कोई चीज नहीं है। इसलिये पहले ऐसी चीज को सदन में आना चाहिये तब वह ज्यादा अच्छी होती है। इस तौर पर मैं अपने साथी के प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मेरे पास श्री ब्रजनारायण तिवारी का एक प्रस्ताव आया है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय। तो मैं उनकी जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि नान-आफिशियल रेजोल्यूशन तो अभी दो दिन होंगे। इस वास्ते मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे १७ सितम्बर, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१३ सितम्बर, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, बिधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिय तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७० पर)

१---बुलन्द शुगर कम्पनी लिमिटेड, रामपुर ।
२---आर० बी० नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्सर, सहारनपुर ।
३---बी गंगा शुगर कोरपोरेशन लिमिटेड, देवबन्द, सहारनपुर ।
४---बी रजा शुगर कम्पनी लिमिटेड, रामपुर ।
५---कमलापत मोती लाल शुगर मिल्स, फैजाबाद ।
६---अपर गेंजेज शुगर मिल्स, शिवहारा, बिजनौर ।
७---एस० बी० शुगर मिल्स, बिजनौर ।
८---धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर, बिजनौर ।
९---एल० एच० शुगर फैक्टरी एन्ड आयल मिल्स, काशीपुर, नैनीताल ।
१०---हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोला गोकरननाथ, लखीमपुर-खीरी ।
११---लक्ष्मी जी शुगर मिल्स लिमिटेड, महोली, सीतापुर ।
१२---लक्ष्मी शुगर एन्ड आयल मिल्स, हरदोई ।
१३---एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली ।
१४---दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, मेरठ ।
१५---मोदी शुगर मिल्स लिमिटेड, मोदीनगर, मेरठ ।
१६---कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, गौरी बाजार, देवरिया ।
१७---प्रताबपुर शुगर फैक्टरी, मैरबा, देवरिया ।
१८---सिम्बौली शुगर मिल्स, सिम्बौली, मेरठ ।
१९---बी यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर कम्पनी लिमिटेड, तमकोई, देवरिया ।
२०---बलरामपुर शुगर फैक्टरी, गोंडा ।
२१---बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती ।
२२---नीआ्रोली शुगर फैक्टरी, एटा ।
२३---बी अमृतसर शुगर मिल्स, रोहनकला, मुजफ्फरनगर ।
२४---अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, मुजफ्फरनगर ।
२५---दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, सकोट्टीटांडा, मेरठ ।
२६---जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड, बागपत रोड, मेरठ ।
२७---बी अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, शामली, मुजफ्फरनगर ।
२८---राम लक्ष्मन शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ ।
२९---महा लक्ष्मी शुगर मिल्स कम्पनी, सहारनपुर ।
३०---मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, मेरठ ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८५ पर)

निम्न सारिणी में यह दिखाया गया है कि पिछले ६ महीनों के अन्तर्गत किन-किन जिलों में कितने व्यक्ति अतिसार (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) एवं हैजा तथा चेचक और प्लेग से मरे और उक्त बीमारियों की रोक-थाम के हेतु कितने निरोधक टीके लगाये गये ।

जिला	अतिसार (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) एवं हैजे से हुई मृत्युएं	चेचक से हुई मृत्युएं	प्लेग से हुई मृत्युएं	प्लेग निवारक टीके	हैजा निवारक टीका	चेचक निवारक प्राथमिक एवं पुनर्भेद टीके
१	२	३	४	५	६	७
आगरा प्रान्त						
देहरादून ..	९	..	..	..	११,९३४	९,४४२
सहारनपुर ..	..	५	..	..	१,२३२	११,८८८
मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	..	..
मेरठ ..	..	१७	..	३,७२६	५,६९०	७५,८७०
बुलन्दशहर ..	१	१८	..	२९२	१,००२	२५,०३०
अलीगढ़ ..	१४	४	..	४६५	१६,४१२	११,६५२
मथुरा ..	८	२५	..	..	४३०	१२,०५६
आगरा ..	२०	१४	..	..	३,०३७	३,५८०
मैनपुरी ..	१५१	११	..	२८०	५४,०५९	३१,१३५
एटा ..	८४	४	..	..	१३,१२३	१३५
बरेली ..	..	..	..	..	..	..
बिजनौर ..	..	..	..	..	..	..
बदायूं ..	५	६	..	..	६,९८६	३७,९३१
मुरादाबाद ..	..	..	..	..	..	..
शाहजहांपुर ..	१४	४	..	..	१०,९३१	२१,०५६
पीलीभीत ..	७	..	..	..	१,८६५	१६,३०२
रामपुर ..	..	६	..	..	९२,०४५	१९,७१७
फर्रुखाबाद ..	१२५	..	..	..	७४,१३१	३५,३८२
इटावा ..	१०२	२	..	..	३६,६५०	१,४६४
कानपुर ..	४७९	४१	..	२४९	३,३६,०९१	९१,४०५
फतेहपुर ..	७४	११	..	..	२६,८९०	२३,४७६
इलाहाबाद ..	५६७	३०३	..	..	२,७०,०३५	१,०३,९३६
बांदा ..	६२२	..	..	..	१,७३,३२९	२,२२५
हमीरपुर ..	१९६	५	..	..	५५,९४१	२,५९३
झांसी ..	१९	२१	..	..	१४,७२१	८,९११
जालौन ..	३६	..	..	..	१५,७९०	७,३२४

जिला	अतिसार (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) एवं हैजे से हुई मृत्युएं	चेचक से हुई मृत्युएं	प्लेग से हुई मृत्युएं	प्लेग निवारक टीके	हैजा निवारक टीका	चेचक निवारक प्राथमिक एवं पुनर्भेद टीके
१	२	३	४	५	६	७
वाराणसी ..	४२५	५३ ..		७३३	३,३४,५२४	८६,६०४
मिर्जापुर ..	४२७	५ ..		..	२,२३,४०७	१६,१०४
जौनपुर ..	९६२	३४ ..		८२२	१,५८,६१५	२६,२७४
गाजीपुर ..	७०२	७० ..		..	१,३१,०८२	३४,३९०
बलिया ..	९७	२ ..		२७७	११,२२७	३३,३३०
गोरखपुर ..	११७	१६ ..		६२२	७४,७१३	३२,३०१
बस्ती ..	४५	.. ..		..	१,११,४२२	८,३०३
आजमगढ़ ..	५६०	१९ ..		..	१,१८,७१२	५३,०६३
देवरिया ..	८९	१४ ..		६,३९१	६३,६६६	१४,५११
नैनीताल ..	..	.. ..		..	..	..
अल्मोड़ा ..	..	२ ..		..	९,४०४	३,५५३
गढ़वाल ..	..	७ ..		..	६९,५०४	११,७४२
टेहरी-गढ़वाल	..	१२ ..		..	७२,५४१	६,०१४
लखनऊ ..	१७८	३५ ..		२,१७६	१,०७,६५३	४४,५६८
उन्नाव ..	२११	७ ..		८५०	६२,०१०	४,६३१
रायबरेली ..	४८०	३७ ..		..	८,१५६	२,१७१
सीतापुर ..	६२	९ ..		..	७४,४७८	२६,७८६
हरदोई ..	८६	२२ ..		४५	२,४६४	२९,१८२
खीरी ..	१	६१ ..		८९५	९,८१५	३२,२११
फैजाबाद ..	१६७	८ ..		१४५	८१,२०२	३९,३०५
गोंडा ..	८	९ ..		..	२,४८,११०	३४,४१३
बहराइच ..	७	८ ..		..	२९,२२४	११,२३८
सुल्तानपुर ..	३७२	.. १		२४,७८४	१,८९,२६२	८,५५०
प्रतापगढ़ ..	५२०	२ ..		..	१,०२,१४८	४,०४२
बाराबंकी ..	२००	.. ..		२,९४९	८२,८६२	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८७ पर)

सूची

फार्म का नाम	१९५५-५६		१९५६-५७	
	आय	व्यय	आय	व्यय
	रु०	रु०	रु०	रु०
१--सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़	११,३३,२५४	११,४५,९९९	१५,१६,९१३	१४,१४,९५३
२--राजकीय पशु-धन क्षेत्र, चक-गंजरिया, लखनऊ	५,२०,६२१	५,७१,५३५	५,८४,५३५	५,९६,०८३
३--पशु प्रजनन तथा दुग्धशाला क्षेत्र, कालपी, जिला देहरादून ..	४७,४६७	९३,७६९	५९,१९९	१,१९,५४१
४--डिस्ट्रिक्ट डेयरी डिमान्स्ट्रेशन फार्म, मथुरा ..	१,०७,६०९·२४	२,३५,४८१·८४	१,१४,२१२·६५	२,६२,०५३·५२
५--यांत्रिक कृषि क्षेत्र, बाबूगढ़, जिला मेरठ ..	५,५१,९६८	५,१४,४७८	६,४१,५२७	५,७४,८३८
६--यांत्रिक कृषि क्षेत्र हस्तिनापुर, जिला मेरठ ..	५,७०,९२२	६,७४,१६०	४,७३,९३३	५,५२,१४६
७--यांत्रिक कृषि क्षेत्र भरारी, जिला झांसी ..	२,९३,४०६	३,९८,१७१	२,६८,३४२	३,४८,४३७
८--यांत्रिक कृषि क्षेत्र सैदपुर, जिला झांसी ..	१,१९,९४८	३,५४,७९०	२,२४,८८०	२,४४,९८६
९--यांत्रिक कृषि क्षेत्र, मंझरा, जिला लखीमपुर, खीरी ..	२,५५,८१९	२,७६,९५७	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।	
१०--यांत्रिक कृषि क्षेत्र, नीलगांव, जिला सीतापुर	१,९३,५९६	३,६६,०१६		
११--यांत्रिक कृषि क्षेत्र, आराजी लाइन्स, वाराणसी	१,२८,५४६	२,५४,०७९		

फार्म का नाम	१९५५–५६		१९५६–५७	
	आय	व्यय	आय	व्यय
	रु०	रु०	रु०	रु०
१२—यांत्रिक कृषि क्षेत्र, माधुरी कुण्ड, मथुरा ..	३,७९,१८३	४,४०,१०३	४,३१,७८९	४,६४,०७३
१३—राजकीय तराई फार्म, नगला, नैनीताल	२,०७,८३६·७७	२,१५,७५३·२४	१,९२,१७३·०३	२,०९,३९७·७७
१४—यांत्रिक कृषि क्षेत्र, हेमपुर, नैनीताल ..	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।			

सत्यमेव जयते